सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

16 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा वृहस्पतिवार, तिथि 16 मार्च, 2017 ई0

पंचम सत्र 25 फाल्गुन,1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या:-14 (श्री संजय सरावगी)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: महोदय, आधा घंटा का समय चाहिए । जवाब मँगा लेते हैं ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, अल्पसूचित प्रश्न 20 मिनट का होता है और माननीय मंत्री जी आधा घंटा का समय मांग रहे हैं, तो क्या होगा इस प्रश्न का ?

अध्यक्ष: जवाब आ रहा है ।

श्री संजय सरावगी: महोदय, तारांकित प्रश्न चालू होने के बाद अल्पसूचित होगा ।

अध्यक्ष: तारांकित प्रश्न ।

श्री संजय सरावगी: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1787 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री अलोक कुमार मेहता, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, कटिहार की अनुमति से जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार का कार्यालय भेड़िया रेहिका स्थित सामुदायिक भवन में चल रहा है । सहकारिता विभाग के अधीन कटिहार जिला में सहकार भवन बनाने की प्रक्रिया विचाराधीन है । सहकार भवन बनने या अन्य वैकल्पिक सहकारी भवन की उपलब्धता होने पर इस कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक भवन या तो माननीय सांसद, माननीय विधायक या राष्ट्रीय सम विकास योजना की राशि से उसका निर्माण किया जाता है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सामुदायिक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो आम समुदाय है, उसके इन्टरेस्ट में मांगलिक कार्य, सामाजिक कार्य या कोई शोक कार्य उसमें सम्पन्न किया जाता है और सरकार के पास राशि की उपलब्धता भी है, तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वर्षों वर्ष से उसमें मांगलिक कार्य होते थे, तो क्या सरकार किसी किराये के मकान में उसको स्थानान्तरित करके इस सामुदायिक भवन को तुरत खाली कराने का इरादा रखती है ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, मैंने पहले ही कहा कि या तो सहकार भवन जिसकी प्रक्रिया विचाराधीन है या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उसे स्थानान्तरित किया

जायेगा और प्रयास किया जायेगा, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है और सरकार प्रयास करेगी कि जल्द से जल्द इसे स्थानान्तरित किया जाय ।

अध्यक्ष: इस कार्य में माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का भी सहयोग ले लीजिये । किराये के भवन खोजने में ये भी आपको सहयोग कर सकते हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: धन्यवाद सर ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, सहकार भवन एक लंबी प्रक्रिया है और इस सामुदायिक भवन से सहकार भवन का संबंध नहीं है ....(व्यवधान)

अध्यक्ष: उन्होंने सहकार भवन या वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: महोदय, वैकल्पिक व्यवस्था का एक अवधि तो तय कर दिया जाय ।

अध्यक्ष: अवधि कैसे तय कर दिया जायेगा ? अब तारांकित प्रश्न संख्या:1788 श्री शमीम अहमद।

श्री संजय सरावगी: जवाब आ गया है सर ।

अध्यक्ष: आ गया है, तो आ जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 1788 (श्री शमीम अहमद)</u>

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब अल्पसूचित प्रश्न श्री संजय सरावगी जी का ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या: 14 (श्री संजय सरावगी)</u>

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । राज्य के सभी 38 जिलों को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ इस योजना में 2013-14 तक 1159 करोड़ रुपये आवंटित की गयी है ।

खण्ड 2: उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । खण्ड 1 में वर्णित राशि के संबंध में कहना है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में समर्पित किया जाना था, जिसमें से अब तक 1032 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है ।

खण्ड 3: वर्णित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात् अवशेष राशि 127 करोड़ रुपये के लिए विभाग द्वारा अभियान चलाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कराया जा रहा है । अत: किसी पदाधिकारी के विरुद्व वर्तमान में कोई कार्रवाई का मामला नहीं बनता है ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें से अधिकांश राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आ गया है और कुछ का बाकी है और अध्यक्ष महोदय यह राशि गयी थी विभिन्न योजनाओं जैसे नालों में, सड़कों में, पार्कों में और महोदय उपयोगिता

प्रमाण पत्र के बदले वहॉ से जो है, राशि मांगी जा रही है, तो अगर कोई योजना प्रबंध समिति के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, जो एक कमिटी बनती थी और उसमें हमलोग योजनाएँ पास करते थे और पदाधिकारियों के विलंब से अगर योजनाएँ स्वीकृत हो गयी कमिटी में और उसका काम नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, तो सरकार कह रही है कि राशि वापस कर दीजिये, निदेश दिया है कि राशि वापस कर दीजिये, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना है कि जब वहॉ के प्रबंध समिति के प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में योजनाएँ पास हो गयी, योजनाएँ स्वीकृत हो गयी और पदाधिकारियों के विलंब से अगर उस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका और जनता हमको पकड़ रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री नगर विकास योजना से मंत्री की अध्यक्षता में योजनाएँ जो स्वीकृत हो गयी उसी कर्णांकित राशि का, तो क्या सरकार उसका निर्माण कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है, जो प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में योजनाएँ स्वीकृत हो गयी, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ ?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो राशि स्वीकृत हो गयी थी, तो हमलोगों ने कहा है कि उसको खर्च कीजिये, जिला में जहॉ-जहॉ स्वीकृत योजनाएँ हैं, उसपर खर्च की जायगी ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जो योजनाएँ स्वीकृत हो गयी, लेकिन मेरा यह कहना है कि प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमिटी थी मुख्यमंत्री नगर विकास की और प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमिटी थी और उसमें जो योजनाएँ स्वीकृत कर दी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं योजनाएँ स्वीकृत मतलब जिला पदाधिकारी ने जो वित्तीय स्वीकृति दे दी और मेरा यह कहना है कि प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जो योजनाएँ स्वीकृत हो गयी और राशि वहॉ रखी हुई थी, उन योजनाओं के बारे में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, यह मैं पूछना चाहता हूँ ?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत जो राशि गयी थी यहॉ से, जो स्वीकृत थी, उसको तो रोका ही नहीं गया है, उसमें काम करने का आदेश दिया ही गया है, तो जो राशि बची हुई है, उसके बारे में हमलोगों ने कहा है कि जिस योजना में राशि का टेंडर हो गया है, जिसकी स्वीकृति है, उसपर कार्य करने के लिए ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न के मूल दिशा की तरफ तो देखिये । अब कौन सी योजना स्वीकृत हुई, कैसे इसका क्रियान्वयन होगा, यह तो प्रश्न की दिशा है नहीं । प्रश्न की दिशा तो है कि किसी योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् उस एजेंसी के द्वारा जो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाता है, वह भेजने में जो विलंब हुआ है या वह नहीं आ रहा है, जिसके कारण असुविधा हो रही है, उसको भेजने की प्रक्रिया को, उसको सही ढंग से चलाने के लिए, वह समय पर आ जाय और अगर समय पर पदाधिकारियों द्वारा नहीं भेजा जाता है, तो उसपर कार्रवाई की बात है । प्रश्न की दिशा

तो वह है । आप मंत्री जी इसके संबंध में देख लीजिये, जहाँ से आया है, आपने बताया है कि 625 करोड़ का आपने भेजा है और जहाँ नहीं भेजा है............

(व्यवधान)

टर्न-2/सत्येन्द्र/16-3-17

श्री नन्द किशोर यादव:महोदय,आपने ठीक ही कहा है कि प्रश्न की दिशा कुछ और थी लेकिन जब मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया महोदय तो वह सदन की सम्पति हो गयी । जब मंत्री महोदय ने कोई जवाब दे दिया, कोई विषय रख दिया तो उस पर पूरक पूछने का अधिकार है महोदय इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ विषय दूसरा है, बात जो अंतर आ रहा है माननीय मंत्री महोदय के बयान में और माननीय सदस्य के बयान में, प्रशासनिक स्वीकृति और कमिटी की स्वीकृति । मंत्री महोदय जो बयान दे रहे हैं, वह कह रहे हैं प्रशासनिक स्वीकृति की बात और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो कमिटी बनती है मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के चयन के लिए उस कमिटी ने अगर स्वीकृत कर दिया है तो उसको भी लागू करने का निर्देश दें । अगर मंत्री जी कहते हैं कि उसका दिया है तो कोई आपति नहीं है । सवाल इसका है महोदय, चूंकि मंत्री महोदय ने कह दिया इसलिए इसका जवाब होना चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष: सरकार ने ही कमिटी बनायी है और उसको योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार है । इसमें क्या मंत्री जी आप कहना चाहते हैं ?

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री: माननीय सदस्य का कहना है जो पैसा, जिस पैसा का यू0सी0 नहीं आया है, यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, वह पैसा किस कारण से, क्यों नहीं आया है? चूंकि जो पैसा स्वीकृत वहां पर जिस योजना में है, उस योजना में खर्च करने का है तो हम इसमें स्पेशली आदेश देकर के जल्द से जल्द जो योजना स्वीकृत है उसको जल्द से जल्द करवा देते हैं।

श्री नन्द किशोर यादव: मेरा बहुत स्पष्ट प्रश्न है महोदय, कोई इसमें किन्तु परन्तु नहीं है । प्रशासनिक स्वीकृति और कमिटी की स्वीकृति । इसके बारे में स्पष्ट मंत्री महोदय को करना चाहिए । यह सभी सदस्यों के हित का सवाल है महोदय, ये किसी पोलिटिकल पार्टी का या एक मेम्बर का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश के अन्दर शहरी क्षेत्रों में नगर विकास के तहत जो काम हो रहे हैं उसका सवाल है । चूंकि नगर विकास योजना बंद है और उसमें अब कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं इसीलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह होगा, ठीक है आप सही दिशा में जा रहे हैं, मेरा आग्रह होगा प्रशासनिक स्वीकृति की वजाय आप इस बात की घोषणा कीजिये कि जो कमिटी ने स्वीकृत किया है, उसको करवा दीजिये।

श्री संजय सरावगी: महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठिये, आपका प्रश्न आ गया है । और लोगों को पूछने दीजिये, प्रश्न को आने दीजिये।

श्री विनोद प्रसाद यादव: मैं प्रश्न के कंडिका-1 की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से..

अध्यक्ष: आप पूरक पूछियेगा ।

श्री विनोद प्रसाद यादव:मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 तक राशि आवंटित की गयी और संचालन समिति के द्वारा जो माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित कमिटी है और जिसके सचिव जिला पदाधिकारी होते हैं। 2015-16 तक की योजनाओं की स्वीकृति समिति के द्वारा दे दी गयी है। प्रश्न का मूल प्रश्न यह भी है और स्वीकृति के उपरांत राशि भी उपलब्ध थी उसके बावजूद जो स्वीकृति के बाद योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया इसके लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेवार हैं और क्यों नहीं हुआ, वैसे लोगों पर सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है?

श्री दिनेश चन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना बंद हो गया है और विभाग ने निर्णय लिया कि संचालन समिति से जो योजना स्वीकृत हो गयी और जिला में राशि यदि उपलब्ध है तो जिला पदाधिकारी को विभाग ने निर्देश दिया है कि जो योजना स्वीकृत हो गयी, जिला में राशि उपलब्ध है तो संबंधित नगर निकाय को, नगर परिषद या नगर पंचायत को वह राशि उपलब्ध करायी जाय । यह निर्णय है विभाग का तो अध्यक्ष महोदय ,हम यह माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं इस निर्देश का भी बहुत दिन हो गया, जिला पदाधिकारी राशि रखे हुए हैं और उनको विकास से कोई रूची नहीं है जैसे सहरसा जिला में तो माननीय मंत्री जी उस निर्देश के आलोक में निर्देर्शित करेंगे जिला पदाधिकारी को कि वह राशि नगर निकाय को उपलब्ध करवा दें ।

डॉ0 सुनील कुमार: अध्यक्ष महोदय,मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ..

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न । आप नहीं भी आते तब भी पूछ सकते हैं ।

डॉ0 सुनील कुमार: मुख्यमंत्री शहरी योजना के अन्तर्गत हर साल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राशि कर्णांकित की जाती है सरकार के द्वारा और वह राशि हर जिले को दिया गया और प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में उसकी बैठक हुई । इसके वे अध्यक्ष होते हैं, स्वीकृति देते है और उसके कस्टोडियन होते हैं जिला पदाधिकारी..

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न, ये बात तो कई लोग बोल चुके हैं ।

डॉ0 सुनील कुमार: और हमलोगों ने अनुशंसा किया, स्वीकृति मिली गयी और सरकार ने 31 मार्च के बाद योजना को बंद करने का 1 अप्रैल 2016 से बंद करने का निर्णय किया लेकिन जो स्वीकृत योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ और सरकार उल्टे पैसा मांग रही है वापस तो हम मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं जो स्वीकृत योजनाएं हैं कमिटी द्वारा पूरे राज्य में, बिहारशरीफ में भी उन योजनाओं का कार्यान्वयन कराना चाहती है?

अध्यक्ष: यह बात तो वह भी पूछे थे और आपको भी वही पूछना है तो बेकार समय नहीं लगाईए।

श्री तारकिशोर प्रसाद: इसको और स्पष्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जिला संचालन समिति मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और उसका जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गयी लेकिन एक कट ऑफ डेट देकर उस राशि को जो स्थानीय नगर निकाय है उसमें वापस कर दिया गया जबकि वह राशि समाहरणालय के डूडा से संबंधित सेल में वह रहता है इसलिए माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उस राशि को आप पुन: मुख्यमंत्री नगर विकास की जो संचालन समिति है उससे जो जुड़ा टेक्निकल सेल है उससे उसको खर्च कराने का इरादा रखते हैं क्या?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी,अभी तक जो सदन ने समझा है इसका दो पक्ष है, एक तो जो प्रश्न में है कि जहां भी योजनाओं का क्रियान्वयन हो चुका है, यू0सी0 संबंधित पदाधिकारी क्यों नहीं दे रहे हैं ? अगर है तो नं0-1 और नं0-2 जो आपके जवाब से पूरक माननीय सदस्यों ने पूछा है कि जो प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में संचालन समिति की बैठक में योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और उन योजनाओं के विरूद्ध राशि उपलब्ध है तो फिर प्रशासनिक स्वीकृति देने में अधिकारी क्यों बिलम्ब करते हैं या उसमें क्या दिक्कत होती है ? ये दो बात है और सब लोग लगभग एक ही बात पूछ रहे हैं तो इन दोनों विषयों के संदर्भ में अभी आप कुछ स्पष्ट कर सकते हैं तो बता दीजिये, नहीं तो ये दोनों बातें तो समझ में आती हैं, अगर योजनाओं का क्रियान्वयन हो गया तो यू0सी0 आना चाहिए और अगर योजनाएं संचालन समिति से पारित हैं राशि उपलब्ध है तो उनकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जानी चाहिए, सीधी बात है ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री: महोदय, सरकार स्पष्ट रूप से विभाग ने आदेश दिया था कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना जो था वह बंद हो गया, उसके बाद जो संचालन समिति द्वारा पास की हुई योजनाएं थी उस योजना का पैसा हमलोगों ने नहीं मंगवाया,यू0सी0 मांगा उनसे,जो-जो योजनाएं पास हुई थी उसको हमलोग कहे थे काम करने के लिए तो हम...

अध्यक्ष: उसको सुनिश्चित करवा दीजिये, आपने कहा है तो उसे लागू करवा दीजिये ।

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री: जो संचालन समिति द्वारा पास कर दी गयी है उसका कार्य होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1788(श्री शमीम अहमद)</u>

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,(क) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बंजरिया प्रखंड अन्तर्गत सेमरा पंचायत के सेमरा ग्राम में विभागीय आदेश संख्या 2462 दिनांक 18-9-12 के द्वारा प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सेमरा स्वीकृत एवं कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि उक्त ग्राम में पूर्व से स्थापित सुगौली प्रखंड का कृत्रिम गर्भाधान उक्त

केन्द्र कार्यरत था परन्तु सुगौली प्रखंड के विभाजन के पश्चात् सेमरा ग्राम बंजरिया प्रखंड अन्तर्गत नवसृजित उक्त ग्राम में पूर्व से सुगौली प्रखंड का कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्वीकृत एवं कार्यरत था । प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा सेमरा बंजरिया स्वीकृति के पश्चात् स्थापना काल से उक्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के भवन से संचालित हो रहा है । वर्त्तमान में उक्त परिसर में लगभग 50 डी विभागीय जमीन उपलब्ध है जिसमें पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जा सकता है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है । अतएव अगले वित्तीय वर्ष में निधि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण के कार्य योजना पर सरकार विचार करेगी ।

टर्न-3/मधुप/16.03.2017

तारांकित प्रश्न संख्या-1789 (श्री वशिष्ठ सिंह)

श्री रामविचार राय, मंत्री : महोदय, 1- वर्ष 2014-15 में बिहार राज्य बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, कुदरा द्वारा बीज उत्पादक किसानों से कुल 65,033 क्वींटल 72 कि0ग्रा0 मात्र धान बीज संग्रहित किया गया था जिसपर मूल्य के अतिरिक्त 300 रू0 प्रति क्वींटल बोनस देने का प्रावधान था ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । कुल 565 बीज उत्पादक किसानों (सामान्य कोटि) से धान बीज 65,033 क्वींटल 72 कि0ग्रा0 संग्रहित किया गया था जिसमें 459 बीज उत्पादक किसानों को 53,814 क्वींटल 74 कि0ग्रा0 मात्र हेतु 1,61,44,422 रू0 मात्र बोनस के रूप में भुगतान किया जा चुका है । इस प्रकार 81 प्रतिशत बीज उत्पादक किसानों को बोनस की राशि का भुगतान हो चुका है ।

शेष 106 बीज उत्पादक किसानों को बीज का कुल 11,218 क्वींटल 98 कि0ग्रा0 मात्र हेतु 33,65,694 रू0 मात्र बोनस के रूप में भुगतान किया जाना है ।

3- शेष 106 बीज उत्पादक किसानों को बोनस की राशि भुगतान करने हेतु राज्यादेश संख्या 1133 दिनांक 09.3.2017 द्वारा स्वीकृत कर दी गई है ।

अगले एक माह के अन्दर शेष किसानों को बोनस की राशि का भुगतान करने का आदेश दे दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1790 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बरसात के समय वार्ड नं0 4 में उसमानगंज अल्पसंख्यक मुहल्ला वासियों को 1/2 कि0मी0 घूमकर बाजार आना पड़ता है । वर्णित पथ एवं उसमें दो अदद छोटे आकार

की पुलिया का निर्माण योजना नगर पंचायत, घोघरडीहा द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना अन्तर्गत तैयार किये गये दीर्घकालीन कार्य योजना में वार्ड सं0 4 के प्राथमिक सूची के क्रमांक-2 पर अंकित है । नगर पंचायत, घोघरडीहा द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना अन्तर्गत क्रमानुसार वर्णित सड़क एवं पुलिया का निर्माण करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1791 (श्री दिनेश चन्द्र यादव)

श्री रामविचार राय, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- जिला में पूर्व से राशि उपलब्ध नहीं था । जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 648-2 दिनांक 29.11.2016 द्वारा 15 करोड़ 39 लाख रूपये अधियाचित राशि के विरूद्ध आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 144 दिनांक 16.12.2016 द्वारा 3 करोड़ रूपये मात्र आवंटन उपलब्ध कराया गया है ।

जिला आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा के ज्ञापांक 47(2) दिनांक 07.2.2017 के आलोक में आवंटित राशि को जिला कृषि पदाधिकारी के पत्रांक 226 दिनांक 18.2.2017 के द्वारा सलखुआ प्रखंड को 3,34,05,000 रूपये की अधियाचित राशि के विरूद्ध 65 लाख 08 हजार रूपये, सिमरी-बख्तियारपुर प्रखंड को 1,08,35,000 रूपये की अधियाचित राशि के विरूद्ध 21 लाख 11 हजार रूपये, महिषी प्रखंड को 3,65,51,000 रूपये की अधियाचित राशि के विरूद्ध 71 लाख 21 हजार रूपये और बनमा-इटहरी प्रखंड को 2,56,39,000 रूपये की अधियाचित राशि के विरूद्ध 49 लाख 95 हजार रूपये चेक द्वारा दिनांक 20.2.2017 को उपलब्ध करा दिया गया है ।

संबंधित प्रखंडों में इस वित्तीय वर्ष में राशि के वितरण करने हेतु जिला पदाधिकारी, सहरसा को कृषि निदेशालय के पत्रांक 1129 दिनांक 15.3.2017 द्वारा निदेश दे दिया गया है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वहॉ से जो डिमांड आया 15 करोड़ 39 लाख रूपये का लेकिन मात्र 3 करोड़ रूपया जिला में गया और उन्होंने यह भी बताया कि सलखुआ में 3 करोड़ 34 लाख का डिमांड था तो मात्र 65 लाख रूपया गया है और सिमरी-बख्तियारपुर प्रखंड में 1 करोड़ 83 लाख रूपये का डिमांड था तो मात्र 21 लाख 11 हजार रूपया गया और बनमा-इटहरी में 2 करोड़ 56 लाख रूपये का डिमांड था तो मात्र......

अध्यक्ष : ये बताये हैं मंत्री महोदय ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : हॉ, बताये हैं । अध्यक्ष महोदय, इसी को देखने से लगता है कि जो डिमांड था और जो पूर्त्ति की गई उसमें ऊँट के मुँह में जीरा के फोरन के समान है ।

पिछले बाढ़ में किसान का फसल बर्बाद हो गया और जो सर्वेक्षण हुआ, हम अधिक नहीं तो माननीय मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूँगा कि जो अतिरिक्त राशि बचती है, वह राशि कबतक जिला को उपलब्ध करा देंगे और कबतक उसका वितरण जिला में किसान को हो जायेगा ?

श्री रामविचार राय, मंत्री : मैंने बताया जिला पदाधिकारी को लिखा गया है और इसी वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1792 (श्री प्रकाश वीर)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पिदली पथरा राजस्व गाँव पथरा का एक टोला है जहाँ कार्डधारियों की संख्या 76 है, जिन्हें प्रत्येक महीना खाद्यान्न उचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है । फरवरी, 2017 तक का लाभुकों के राशन-कार्ड में वितरण इन्द्राज पाया गया है ।

श्री प्रकाश वीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसकी जाँच करा ली जाय, जो रिपोर्ट आई है मेरे समझ से बिल्कुल गलत है । हम सदन से आग्रह करना चाहेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, जाँच करा दी जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1793 (श्री नन्द किशोर यादव)

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न में अंकित जिले यथा पटना, बक्सर, भोजपुर, मुँगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्णिया, सीवान एवं गोपालगंज में दवा की खरीद की जा चुकी है । जिनका वितरण जिलों के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में किया गया है ।

जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 6,18,472 रू0 की दवा क्रय कर विपत्र कोषागार में उपस्थापित किया गया है । 40 लाख रू0 की दवा का क्रयादेश संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता को निर्गत किया जा चुका है । आपूर्त्तिकर्त्ता आपूर्त्ति प्राप्त होते ही एक सप्ताह के अन्दर गया जिले के सभी पशु चिकित्सालय में दवा का वितरण करा दिया जायेगा । डिटेल है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, हमने दो दर्जन जिलों का नाम दिया है, कई जिलों का नाम दिया है । माननीय मंत्री जी ने गया जिले का एक उदाहरण दिया है ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन जिलों का उल्लेख मैंने अपने प्रश्न में किया है, उन जिलों में कब टेन्डर हुआ और कब दवा की खरीद की गई ?

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री : कोई गड़बड़-घोटाला नहीं होगा ।

अध्यक्ष : प्रमोद जी, आपको हर चीज में घोटाला क्यों नजर आता है ?

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को डिटेल हम दे देंगे ।

अध्यक्ष : चूंकि इसमें कई जिलों का मामला है माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की चिन्ता भी जायज है इसलिये अलग से इसकी विस्तृत जानकारी लेकर आप उपलब्ध करा देंगे ।

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री : उपलब्ध है । माननीय सदस्य को भेजवा देते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-4/आजाद/16.03.2017

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, जब प्रश्न विस्तृत था और माननीय मंत्री महोदय के पास उत्तर उपलब्ध था तो माननीय मंत्री महोदय को चाहिए था कि वे पहले इसको दे देते । महोदय, इसमें कई प्रश्न और खड़े हो रहे हैं, मेरी जो जानकारी है महोदय, सभी जिलों में टेंडर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और मैंने इसलिए तिथि की मांग की है, कब टेंडर किया गया, कब दवा की आपूर्त्ति की गई और महोदय, मेरे पास जो जानकारी है, इस वित्तीय वर्ष का जो आवंटन है दवाओं के खरीद के लिए, पशुपालन विभाग ने 42 तरह के दवाओं की मंजूरी दी है, खरीदने का निर्देश दिया है और मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार अब तक केवल 7.58 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है । इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पशुपालक लोग परेशान हैं, उनके पशुओं की बीमारी हो रही है, बीमारी होने के बाद उनको दवा उपलब्ध नहीं हो रही है, जब खर्चा ही हुआ है 7.58 प्रतिशत तो महोदय, यह प्रश्न बड़ा मौजू है ।

वे डाईभर्ट कर रहे हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं ।

अध्यक्ष : वे लोग तो प्रमोद जी को घेर लेते हैं, आप कह रहे हैं कि दवा की खरीद ही नहीं हुई है और उनको घोटाला नजर आ रहा है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा मौजू है, जब खर्चा ही 7.58 प्रतिशत हुआ तो महोदय, दवाई खरीददारी कैसे हुई, कब हुई, इस सवाल का जवाब आना चाहिए और दूसरा महोदय, मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार के अन्दर पशुपालन विभाग , आप जानते हैं कि किस प्रकार के सुर्खियों में घिरा रहा है और उस सुर्खियों में घिरा रहने के बाद बड़े मुश्किल से हमलोगों ने निकाला था और 10 साल, साढ़े सात साल के शासनकाल में पशुपालन विभाग को एक नया आयाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन सब चीजों से एक संदेह पैदा हो रहा है कि दोबारा हम उस ओर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मैं

माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग के अन्दर दवाओं के खरीद के लिए जो राशि आवंटित थी, उसमें से केवल 7.58 प्रतिशत राशि खर्च हुई है । दूसरा जिन-जिन जिलों का जिक्र मैंने किया है, उन जिलों में कब टेंडर किया गया और कब खरीददारी की गई, इसका आंकड़ा दिया जाय ।

श्री मो0 नवाज आलाम : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आप पहले बैठिये न, आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, इसमें भोजपुर जिला भी है । पूरे जिला की चर्चा दवाओं की खरीद के मामले में और आवंटन जो की गई है, भोजपुर में कहीं भी किसी जगह दवा नहीं है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूँ कि पूरे जिले का विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री नन्दकिशोर जी पशुपालन में साढ़े सात साल के कार्यकाल का जिक्र किया है । मैं इनको जानकारी दे दूँ कि जब नई महागठबंधन की सरकार बनी तो कैलेंडर के स्टेज में हमने सभी जगह एफ0एम0डी0, सारे पशुपालकों के बीच में जाकर और कैलेंडर से वहां हम वैक्सीनेशन कराये हैं और जहां तक दवा के प्रश्न ये किये हैं तो दवा में पहले सचिवालय स्तर पर टेंडर होता था और यहां से जाता था । हमने विकेन्द्रीकरण किया है और हमने सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश और फंड के साथ उनको आवंटन किया है और उनको लिस्ट दिया है कि यह आवंटन है और आप अपने जिले में अपने टेंडर करके टेंडर सचिवालय में हुआ है, यह रेट है, इसपर आप काम करें और विशेष जितने जिले का आपने जिक्र किया है, उसका डिटेल्स हम आपको सदन के बीच में माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । हम आपकी ही बात को कह रहे हैं ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मेरा निवेदन एक मिनट सुन लिया जाय, मुझे अधिकार है, आपने अधिकार दिया है । मेरा कहना है कि अगर माननीय मंत्री महोदय को डिटेल्स यहां कहने में दिक्कत हो रही है तो महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मेरा आपसे आग्रह होगा कि आज प्रश्न को स्थगित कर दीजिये और जो उत्तर मंत्री महोदय के पास है, उसको बंटवा दीजिये और अगले सप्ताह में हमलोग उनके जवाब पर पूरक पूछेंगे महोदय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसका आप जवाब जो है, सभी लोगों को दे दीजियेगा ।

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : ठीक है, दे देंगे ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय,महोदय, कैसे हो सकता है । इतना छोटा क्वोश्चन है, सटीक क्वोश्चन है, कोई किन्तु, परन्तुक नहीं है, अगर इसका भी जवाब नहीं मिलेगा तो क्यों

क्वोश्चन आवर है महोदय ? इसलिए महोदय, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये, जवाब बंटवा दीजिये और उसपर हमलोग पूरक पूछेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य की चिन्ता है, आपने कहा कि विभिन्न जिलों में जो आपके जिला पशुपालन पदाधिकारी हैं, उनको जो आपने आवंटन दिया, उनके द्वारा दवा खरीद की गई कि नहीं की गई है, यह तो सुनिश्चित कराना विभाग की जिम्मेवारी है नम्बर-1, नम्बर-2 ये कह रहे हैं कि 7 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, उसको भी देख लीजिये और उसके संबंध में आप पूरा विस्तृत उत्तर वितरित करा दीजिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : जी । स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप विस्तार से जवाब दीजियेगा । स्थगित .....

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : नहीं, स्थगित क्यों करेंगे, मेरा जवाब तैयार है, मैं इसको भेजवा देता हूँ । ऐसा थोड़े ही है ।

अध्यक्ष : यह सरकुलेट हो जायेगा, फिर आप इसको दूसरे रूप में सदन में ले आईयेगा । अब इसको छोड़ दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश कुमार सिंह,मंत्री : सभी जिलों को सप्लाई हो चुका है और इस बीच में ....

अध्यक्ष : प्रश्न सं0-1794 ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय पशुपालन मंत्री ने विस्तार से चर्चा की है प्रश्न के आलोक में और माननीय मंत्री ने सदन को आपके माध्यम से भी विश्वास दिलाया है कि जो दवा की खरीद हुई है, उसके बारे में हम सभी माननीय सदस्यों को लिखित तौर पर अवगत करायेंगे तो सदन ने इस मामले में गंभीर है और सरकार भी गंभीर है और इसपर काफी चर्चा भी हो चुकी है और एक ही प्रश्न पर सभी माननीय सदस्य खड़े हैं, लगता है कि सदन में यह प्रश्न आया है, यह सही है कि सदन का यह प्रश्न है तो माननीय मंत्री तो विस्तार से जवाब दे चुके हैं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए कहा है तो थोड़ा धैर्य माननीय सदस्य को रखना चाहिए । धैर्य नहीं है विपक्ष के पास, यह सबसे बड़ी कमी है ।

अध्यक्ष : ठीक है, यह प्रश्न स्थगित होगा, अगले बार यह आयेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर बैठ गये)

तारांकित प्रश्न सं0-1794(श्री विद्या सागर केशरी)

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, वार्ड सं0-5 एवं 7 में रहने वाले संबंधित व्यक्तियों के पास भूमि संबंधी किसी भी प्रकार का स्वामित्व प्रमाण-पत्र नहीं है ।

प्रश्नगत भूमि से संबंधित वाद सं0-सी0डब्लू0जे0सी0-7811/2016 माननीय उच्च न्यायालय में दायर है, जो लंबित है । सम्प्रति लाभुकों से नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सुविधाओं के विरूद्ध अस्थायी होल्डिंग टैक्स वसूल किया जा रहा है ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब होल्डिंग टैक्स दी जा रही है लोगों के मलिन बस्ती के द्वारा और राशि वसूली जा रही है, इसके बावजूद भी उनको मलिकाना हक प्राप्त नहीं होने के कारण जो अम्बेदकर शहरी योजना है और हर घर शौचालय की योजना है, वह स्थगित है । तो कब तक जो है, मंत्री महोदय उसपर विचार करके निर्माण कराने का विचार रखते हैं ?

श्री महेश्वर हाजरी,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य होल्डिंग टैक्स के संबंध में कह रहे हैं, होल्डिंग टैक्स लेने का मतलब यह नहीं होता है कि उसका स्वामित्व प्रमाण-पत्र है । चूँकि उसपर केस चल रहा है, जब तक केस का डिसिजन नहीं होगा और जब तक स्वामित्व प्रमाण-पत्र उसको देगा नहीं, तब तक शौचालय बनना मुश्किल है ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : जब न्यायालय में मामला चल रहा है तो कब क्या पूछ रहे हैं, यह सरकार के वश की बात है ? न्यायालय जब फैसला देगा, तब न ।

प्रश्न सं0-1795 ।

तारांकित प्रश्न सं0-1795(श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री महेश्वर हजारी,मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद्, मधुबनी क्षेत्रान्तर्गत वाटसन स्कूल, रेडक्रॉस, मधुनबी से स्टेडियम रोड तक सड़क निर्माण की योजना मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत चयनित है । उक्त योजना हेतु 49 लाख रू0 मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है । योजना को कियान्वयन करने हेतु प्राक्कलित राशि जिला शहरी विकास अभिकरण के द्वारा नगर निकाय को उपलब्ध कराया जा चुका है । नगर निकाय द्वारा योजना के कियान्वयन हेतु निविदा निकालने की प्रकिया की जा रही है । निविदा निष्पादन के पश्चात् संवेदक का चयन कर नगर परिषद्, मधुबनी द्वारा योजना का कार्यान्वयन करा दिया जायेगा ।

स्टेडियम रोड से सप्ता जाने वाली सड़क आंशिक रूप से नगर परिषद् के क्षेत्रान्तर्गत आता है, जिसका प्राक्कलन नगर परिषद्, मधुबनी द्वारा तैयार किया जा रहा है।

विभाग में प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् निधि की उपलब्धता के आलोक में योजना की स्वीकृति के संबंध में विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

टर्न-5/अंजनी/दि0 16.03.2017

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, चूंकि पांच साल से ज्यादा से यह सड़क टूटी हुई है और वहां पर जनता आक्रोशित होकर बार-बार धरना प्रदर्शन कर रही है । महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि कबतक, चूंकि इनको तो अबतक इस्टीमेट नहीं मिला है । डूडा की बैठक बहुत पहले हुई थी, कहीं उस पैसे को डायभर्ट तो नहीं कर रहे हैं ? जबकि डूडा की बैठक एक साल पहले हुई थी उसमें केवल नाले के लिए था । अभी जो प्रश्न आया है, वह रोड से संबंधित है । जब वह नाला के लिए था तो यह सड़क में कैसे चला जायेगा? इसलिए दोनों प्रश्न के संबंध में आपका संरक्षण चाहिए, आप इसको करा दीजिए, अन्यथा मधुबनी पूरी तरह से परेशान है । मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि स्पष्ट उत्तर दें ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 49 लाख रूपये का इस्टीमेट बन चुका है । इस्टीमेट आने के बाद शीघ्र इसपर विचार किया जायेगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, यह पैसा नगर विकास विभाग ने दिया है तो मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, दोनों रोड का पैसा नगर विकास विभाग देने की कृपा करें। डूडा के पैसे को किसी भी स्थिति में रोड में डायभर्ट नहीं किया जाय, चूंकि पूर्व की बैठक में वह नाले के लिए पैसा कर्णांकित था ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-1796 ।

श्री फैयाज अहमद : महोदय, विभाग ने मंत्री जी को गलत रिपोर्ट दिया है । वाट्सन स्कूल से सेल्स टैक्स ऑफिस तक के रोड का टेंडर हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है, जबकि यह महत्वपूर्ण सड़क है । इस रोड को बनना चाहिए । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि इसको स्टेडियम रोड तक करा दें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1796(श्री मो0 नेमतुल्लाह)

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-क- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

विहित प्रक्रिया के तहत शीघ्र वर्णित स्थल पर से अस्थाई अतिक्रमण मुक्त करा दी जायेगी ।

खंड-ख- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वर्णित स्थल व्यवसायिक है और व्यवसायिक गतिविधियों के कारण भीड़ की समस्या रहती है ।

खंड-ग- खंड-क में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, कबतक करा देंगे अतिक्रमण से मुक्त, एक समय-सीमा दे दें ?

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह व्यवसायिक स्थल है, वहां पर सभी ग्राहक का आना-जाना लगा रहता है । भीड़ रहती है और जो ठेला वाले हैं, वे वहां पर लगाये रखते हैं । वह ठेला लगाता है और फिर बेचकर चला जाता है, बीच-बीच में उनको प्रशासन द्वारा हटाया जाता है लेकिन वे पुनः आकर लगा देते हैं । सप्ताह में एक-दो बार जरूर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जाता है, पुनः इसको अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-1797, श्रीमती रेखा देवी ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है, चूंकि यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और रामलखन पथ होते हुए बाईपास जानेवाली सड़क का भार कम हो जायेगा, इसलिए इसका एक समय-सीमा होना चाहिए और माननीय मंत्री महोदय जो कह रहे हैं कि ठेला-ठोली लगता है तो वहां पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण है तो सरकार को इसके लिए निश्चित रूप से एक समय सीमा निश्चित कर अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहिए, चूंकि यह सड़क अगर अतिक्रमण से मुक्त होता है तो बाईपास का सीधा सड़क उससे निकल जायेगा, इसलिए कोई समय-सीमा निश्चित करें महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1797(श्रीमती रेखा देवी)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

राजस्व जिला पटना में कार्यरत सभी राज्य खाद्य निगम के गोदामों को फरवरी, 2016 में निगरानी विभाग के द्वारा सील एवं गोदामों में संधारित पंजियों को आवश्यक जांच हेतु जप्त कर लिये जाने के कारण जिले में भारतीय खाद्य निगम से मासिक आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्न का उठाव पूर्णरूपेण बाधित हो गया, फलस्वरूप मसौढ़ी अनुमंडल के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को खाद्यान्न की आपूर्त्ति बाधित हो गयी तथा भारतीय खाद्य निगम के डीपो में भी खाद्यान्न के भंडार का अभाव होने के कारण पूरी मात्रा में खाद्यान्न का उठाव नहीं होने के कारण मसौढ़ी अनुमंडल में लाभुकों के बीच वितरण नहीं हो पाया है । माह अगस्त, 2016 से नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है । व्ययगत खाद्यान्नों के उठाव हेतु प्रशासी विभाग के द्वारा केन्द्र सरकार से अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मसौढ़ी अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी के लापरवाही के कारण जुलाई, 2016 तक खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है, जिसके कारण सारे कार्डधारी अनुमंडल में धरणा पर उतरे हुए थे, उन लोगों को हमने समझाया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में जानकारी हेतु लिखित रूप से सूचना दी । तो कबतक माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और जांच कराकर इसका निदान करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा, मंत्री जी जांच करा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1798(श्री निरंजन कुमार मेहता)</u>

श्री (डॉ0) मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मुरलीगंज अंचल, ग्वालपाड़ा अंचल, बिहारीगंज अंचल और उदाकिशुनगंज अंचल में कुल 8 राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं । विभागीय पत्रांक 92 दिनांक 14.2.2014 द्वारा कुल 4,353 रिक्त राजस्व कर्मचारी के पद की अधियाचना बिहार कर्मचारी आयोग को भेजी गयी है, आयोग से अनुशंसा प्राप्त होते ही राजस्व कर्मचारी के रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी । उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 334 दिनांक 16.04.2010 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में सेवा-निवृत राजस्व कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सभी समाहर्त्ताओं को पूर्व में निदेशित किया गया है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं कि आज हल्का कर्मचारी की क्या अहमियत है, उससे सरकार के राजस्व की वसूली होती है । एक-एक हल्का कर्मचारी को चार-चार हल्का का प्रभार है और एक हल्का कर्मचारी के पास चार-चार मुंशी, पांच-पांच मुंशी बिचौलिया के रूप में रखे हुए है । किसान को तबाही इतना है, अगर किसान को के0सी0सी0 लेना है या कृषि लोन, उसके लिए एन0ओ0सी0 लेने में उनको बहुत कठिनाई होती है, यह बहुत गंभीर बात है ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे कहीं से मतलब नहीं है, हमने जो चार प्रखंड के लिए हल्का कर्मचारी की मांग किये हैं......

अध्यक्ष : निरंजन जी, आप सदन में सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में बोल रहे हैं, आप यह क्यों कहते हैं कि हमको कहीं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे चार प्रखंड में कर दीजिए ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं । हम राज्यस्तर के लिए मांग करते हैं, सभी माननीय सदस्य के विधान सभा के प्रखंड के लिए, अंचल के लिए

हल्का कर्मचारी की मांग करते हैं । महोदय, राजस्व कर्मचारी की क्या अहमियत होती है, यह सभी लोग जानते हैं ....

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछकर समाप्त कीजिए ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, सरकार के राजस्व की वसूली उसी हल्का कर्मचारी से होता है, इसलिए जल्द-से-जल्द माननीय मंत्री जी कबतक हल्का कर्मचारी उपलब्ध करा देंगे, यह आप बताकर सदन के सभी माननीय सदस्य को आश्वस्त किया जाय ।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : पूर्व माननीय राजस्व मंत्री पूरक पूछना चाहते हैं, उन्हें पूछने दिया जाय । आप अशोक जी रूक जाइए, इनको पूछने दीजिए ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज अंचल का मामला है, मेरा भी क्षेत्र उसमें पड़ता है, 9 पंचायत पड़ता है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि वहां पर जो सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी हैं उनको नियमानुसार बहाल करने के लिए निदेश देंगे ?

श्री (डॉ0) मदन मोहन झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही यह स्पष्ट बता दिया है कि दिनांक 29.03.2010 को ही सभी समाहर्त्ताओं को सेवानिवृत कर्मचारियों को बहाल करने के लिए आदेशित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : अशोक जी ।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने सभी जिला पदाधिकारी को निदेशित कर दिया है लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि रोहतास जिला में राजस्व कर्मचारी का जगह रिक्त है, इनके निदेश के बावजूद भी एक भी रिटायर कर्मचारी को संविदा पर नहीं रखा गया है और न रखने का जिला प्रशासन विचार रखती है । माननीय मंत्री जी ने जब निदेशित किया है तो हम जिस जिला के बारे में कह रहे हैं, वे बात करके देख लें, इनके निदेश का एक परसेंट भी पालन हुआ है कि नहीं ?

अध्यक्ष : अशोक जी, सरकार ने भी कहा है, इन्होंने इसके लिए निदेश दिया है तो जरूर सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए, चूंकि लोगों को परेशानी हो रही है और अगर सेवा-निवृत कर्मचारी उपलब्ध हैं तो उनकी सेवा लें समाहर्त्ता । ऐसा आप देख लीजिए ।

श्री(डॉ0) मदन मोहन झा, मंत्री : जी ।

टर्न-6/शंभु/16.03.17

अध्यक्ष : क्या है राम बिलास जी ?

श्री रामबिलास पासवान : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूरक पूछना चाहता हूँ कि सभी प्रखंड में राजस्व कर्मचारी की कमी है और हमारे पीरपैंती विधान सभा के पीरपैंती प्रखंड

में प्रपत्र-क अंचलाधिकारी के खिलाफ पांच बार जिला पदाधिकारी के यहां से आया है और इसके बाद पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं और आज तक वहां से अंचलाधिकारी का तबादला नहीं किया गया, एक डेढ़ साल से जनता परेशान है। वहां पर वह कोई काम नहीं करना चाहता है।

अध्यक्ष : रामबिलास जी, अभी तो कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की बात चल रही थी और आप अंचलाधिकारी के प्रपत्र-क पर कहां चले गये ? उसके बारे में क्या बतायेगी सरकार ?

तारांकित प्रश्न सं0-1799(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री रामविचार राय,मंत्री : स्थानान्तरित है सहकारिता और वित्त विभाग को।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, यह प्रश्न सहकारिता विभाग और सांस्थिक वित्त विभाग दोनों को स्थानान्तरित है। सहकारिता विभाग सहकारी बैंकों के माध्यम से के0सी0सी0 किसानों को प्रोवाइड करता है। मैं इस प्रश्न को सांस्थिक वित्त को सहकारिता विभाग के सभी रिपोर्ट के साथ भेज रहा हूँ ताकि वह इन्टीग्रेटेड वे में सभी बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले के0सी0सी0 के साथ इसको जोड़कर इसका जवाब दे।

तारांकित प्रश्न सं0-1800(श्री नन्दकिशोर यादव)

श्री रामविचार राय,मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2015-16 में सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु मात्र 10 करोड़ आवंटित किया गया। वर्ष 2015-16 में 1 करोड़ 9 लाख रूपया व्यय किया गया। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा 25 करोड़ रूपये का वित्तीय लक्ष्य सूचित किया गया था। राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा दिनांक 21.07. 2016 को कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति में भारत सरकार के पदाधिकारी शामिल थे। वर्ष 2016-17 में परियोजना प्रस्ताव की प्रति भारत सरकार को दिनांक 1.08.2016 को भेजी गयी फिर भी भारत सरकार वर्ष 2016-17 का वित्तीय लक्ष्य शून्य कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश मद में 25 करोड़ रूपये तथा राज्यांश मद में 39 करोड़ 66 लाख रूपये कुल 64 करोड़ 66 लाख रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है। वर्ष 2016-17 में इस योजना में अब तक 3 करोड़ 64 लाख रूपये का व्यय किया गया है। इस योजना में मुख्य कठिनाई यह है कि भारत सरकार द्वारा ड्रीप एवं स्प्रींकलर के लिए इकाई लागत का निर्धारण किया गया है। यह लागत वास्तविक लागत से काफी कम है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रीप लगाने पर किसनों को औसतन 1 लाख 83 हजार रूपये खर्च करना पड़ता है। परन्तु भारत सरकार के द्वारा इकाई लागत 1 लाख रूपया निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा योजना में किसानों को सूखा प्रवण जिलों में 60 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए तथा गैर लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 45 प्रतिशत तथा गैर सूखा प्रवण जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 45 प्रतिशत तथा गैर लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। राज्य सरकार अपनी राशि से सूखा प्रवण जिला के किसानों को क्रमशः 15 एवं 30 प्रतिशत के अतिरिक्त तथा गैर सूखा प्रवण के जिला के किसानों को क्रमशः 30 एवं 40 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 75 प्रतिशत अनुदान देती है। फिर भी इकाई लागत कम रहने के कारण किसानों के द्वारा इस योजना में अभिरूचि नहीं ली जा रही है। राज्य सरकार इकाई लागत में परिवर्तन नहीं कर सकती है। भारत सरकार से वास्तविक मूल्य के अनुसार इकाई लागत निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि 2015-16 में जो राशि इनको प्राप्त हुई। महोदय, दो प्रकार की राशि है- एक तो राशि कर्णांकित की जाती है और दूसरी आवंटित राशि इनको प्राप्त होती है। इन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि जो राशि इनको प्राप्त हो गया 10 करोड़ रूपया उसमें से भी इन्होंने केवल 1.09 करोड़ रूपया खर्च किया है। महोदय, बिहार के अंदर, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, सबलोग जानते हैं और तब भी- यहां इस बात की आवश्यकता है कि ड्रीप और स्प्रींकलर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि एक बून्द जल भी बर्बाद न हो और एक-एक बून्द जल का उपयोग सिंचाई के लिए हो और इसीलिए जब यह योजना बनी थी, जो राशि स्वीकृत हुई थी तो उस राशि को भी खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि नन्दकिशोर जी कि यहां 1 एकड़ में योजना लागू करने के लिए उसका कॉस्ट आता है 1 लाख 83 हजार रूपया लेकिन अनुमान्य है सिर्फ 1 लाख रूपया इसलिए किसान इसका लाभ नहीं ले रहे हैं जिसके कारण राशि खर्च नहीं हो रही है । उस रेट को रिवाइज करने के लिए सरकार ने लिखा है। यह उन्होंने बताया है।

श्री नन्दकिशोर यादव : दूसरा महोदय, प्रश्न यह है कि ये तो अभी की बात कर रहे हैं लेकिन जब मैं 2015-16 की बात करूॅं तो उसमें यह सवाल कहां रखे हैं। वे तो अब कह रहे हैं इस बात को और दूसरा जो 2016-17 की राशि है उसका भी प्रस्ताव जो इन्होंने कहा है- मेरी जानकारी में दिसम्बर तक वह प्रस्ताव गया, लेकिन मान लीजिए इनकी बात सच भी है तो अगस्त, 2016 में इन्होंने प्रस्ताव भेजा है तो इतना विलंब होने का क्या कारण है ?

श्री रामविचार राय,मंत्री : हमने प्रस्ताव भेजा है, अनुरोध किया है उनसे लेकिन चूंकि इनका लागत कॉस्ट बहुत कम रखा गया है और हमने तो मीटिंग किया और इनके भारत सरकार के

अधिकारी थे फिर भी हमारा लागत यहां पर पैसा देने का शून्य कर दिया गया और पैसा नहीं दिया गया जो हमको बचा हुआ पैसा था पहले का और राज्य सरकार का दोनों मिलाकर हम उसको 3 करोड़ 64 लाख रूपया खर्च किये हैं।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय के पूरे जवाब को सुना जाय। ये खुद भी कह रहे हैं कि 2015-16 में 1 करोड़ 9 लाख खर्च किया। दूसरा कह रहे हैं कि 2016-17 में पैसा नहीं मिला तब भी हमलोगों ने पहला और अभी का मिलाकर के 3.64 करोड़ खर्च किया। महोदय, आखिर खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं और जब कठिनाई आ रही है तो एक पैसा खर्च नहीं होता, आप जब कह रहे हैं कि किसान इन्टेरेस्ट नहीं ले रहा है, इन्टेरेस्ट नहीं ले रहा है और अगर राशि कम आ रही है तो बिहार के हित में, बिहार के किसानों के हित में, एक एक बून्द जल बचाने के लिए क्या सरकार अपनी ओर से इस प्रकार की कोई योजना चलाना चाहती है ?

श्री रामविचार राय,मंत्री : राज्य सरकार तो अपनी ओर से इसमें पैसा खर्च करती है- टॉप योजना के तहत हमलोग अधिक पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसमें लागत खर्च के हिसाब से इन्होंने तय कर दिया है कि 1 लाख रूपया और हमारा इसमें किसान को लगता है 1 लाख 83 हजार रूपया इसलिए किसान उसमें अभिरूचि नहीं ले रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको रिवाइज कराने में आप माननीय सदस्य का सहयोग लीजिए।

श्री रामविचार राय,मंत्री : इनसे भी सहयोग हम ले रहे हैं कि रिवाइज करा दीजिए तो इसका टोटल पैसा खर्च हो जायेगा।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय ये तो पहल ही ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपनी बात भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष : बिना आपके सहयोग से नहीं न होगा।

(व्यवधान)

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, बड़ा अच्छा संयोग है भारत के कृषि मंत्री भी..........

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, और भी क्वेशचन का...........व्यवधान।

श्री नन्दकिशोर यादव : मुख्यमंत्री जी को देखकर उछल रहे हैं उससे क्या फायदा होनेवाला है, कुछ फायदा नहीं होनेवाला है, लड़ाई नहीं मिटनेवाला है, झगड़ा नहीं मिटनेवाला है।

(व्यवधान)

महोदय, मेरा सवाल यह है कि ये संयोग अच्छा है कि कृषि मंत्री भी बिहार के हैं। एक बार माननीय मंत्री महोदय पूरी बात के साथ कृषि मंत्री जी से मिलने का तो काम करें। महोदय, ये तो मिलने के लिए जाते ही नहीं हैं, इनको डर लगता है।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों सदन पटल पर रख दिये जाएं।

टर्न-7/अशोक/16.03.2017

कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 मार्च, 2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य स.वि.स.

श्री विद्या सागर केशर, स.वि.स. एवं

श्री विजय कुमार सिन्हा, स.वि.स.

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

शून्य काल

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय है ....

अध्यक्ष : शून्य काल तो जल्दी जल्दी होने दीजिए न । आप जो उठाते हैं वह सब महत्वपूर्ण होता है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, उत्तर बिहार के एक दर्जन जिला में भारी वर्षा एवं ओला वृष्टि हुआ है उससे किसनों की रब्बी की फसल हजारों एकड़ बर्बाद हुआ हैं, आम, लीची, मंजर सारा नुकसान हुआ है महोदय, हमलोग मांग कर रहे हैं महोदय..

अध्यक्ष : शून्य काल, माननीय सदस्य श्री शमीम अहमद ।

(व्यवधान)

श्री शमीम अहमद : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के छोड़दानों प्रखंड छौड़ादानों एवं बनकटवा प्रखंड को जोड़नेवाली तिअरा नदी एवं घोड़ासहन कैनाल के उपरी बना पुल विगत दस वर्षो से जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, किसी भी समय पुल ध्वस्त हो सकता है । अत: सरकार जनहित में उसी स्थान पर नये पुल का निर्माण कराये ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री शमीम अहमद जी एक मिनट । आप बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी जो ओला-वृष्टि हुई है और उससे जगह-जगह जो नुकसान हुआ है, इसके बारे में तत्काल हमलोगों ने निर्देश दिया है । जो भी जिले प्रभावित हैं इसका विस्तृत सर्वेक्षण करने का हमलोगों ने आदेश दिया है ताकि वह रिपोर्ट आ जाये और उसके आधार पर जो भी इसमें प्रभावित किसान हैं, उनको सहायता दी जायेगी ।

अध्यक्ष : शून्य काल, श्री राजेन्द्र कुमार ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, जब आपकी बातों का सरकार ने इतना संज्ञान ले लिया है तब उस संज्ञान के फोकस को डायभर्ट क्यों कर रहे हैं ?

माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र कुमार ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकोलिया एवं हरसिद्धि प्रखण्ड के कई पंचायतों में (जैसे- शंकर सरैया उत्तरी, शंकर-सरैया दक्षिणी, चरगांहा, हरयि इत्यादि) अति ओलावृष्टि के वजह से शत-प्रतिशत फसल नुकसान हो चुका है, सरकार जॉचोपरान्त किसानों को मुआवजा दे ।

अध्यक्ष : श्री अमित कुमार ।

श्री अमित कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिलांतर्गत सीतामढ़ी के प्रखण्ड बैरगनियॉ, सुप्पी, रीगा एवं अन्य प्रखण्डों के रब्बी फसल एवं खरीफ फसल के बीज के अनुदान का पैसा किसानों को भुगतान नहीं हुआ है । अतएव सरकार अनुदान की राशि का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करावे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग कला के प्रचार-प्रसार के लिये मधुबनी जिला के पंडौल में मधुबनी पेंटिंग विश्वविद्यालय बनाये जाने की मांग करता हूँ ।

श्री नवाज आलम : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र के नगर निगम आरा वार्ड न0-42 में शहीद जगदेव प्रसाद पार्क का सौन्दर्यीकरण कराने हेतु मैं सरकार से मॉग करता हूँ ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत एन.एच.-28 से मांझा प्रखंड तक जानेवाली सड़क के भवानीगंज मध्य विद्यालयस से निकलकर दुलदुलिया जाफरटोला तक जानेवली सड़क के बीच में स्थित धनखर ग्राम में धमई नदी में पुल नहीं रहने के कारण बरसात में आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो जाता हैं । अत: सरकार उक्त पुल का निर्माण जनहित में शीघ्र कराये ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, ग्राम लखनपुरा प्रखण्ड करगहर, रोहतास में 11.03.2017 को राजाराम चौधरी को दबंगों ने फसल चराने के विवाद में मारकर जख्मी कर दिया । 14.03. 2017 को ईलाज के दौरान वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई । विजय चौधरी अपने पिता के ईलाज हेतु पैसा लेने के लिए गांव पर आये थे तभी ही करगहर थाना के पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया । मैं मांग करता हूॅं कि आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पर कार्रवाई की जाय।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूॅं ....

अध्यक्ष : आपकी चिंता को सरकार ने पहले ही रिड्रेस कर दिया ।

श्री रामदेव राय : महोदय, फिर भी फारमलिटिज है, मैं पढ़ देता हूॅं । बेगूसराय जिला के भगवानपुर, मंसूरचक, वछवाड़ा प्रखंड सहित अन्य सीाी प्रखंडों में 10.03.2017 की रात में हुई भारी वर्षा एवं आंधी से गेंहू की 75 प्रतिशत फसलें नष्ट होने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । सरकार शीघ्रातिशीघ्र इसे मुआयना करते हुये किसानों को फसल क्षति अनुदान दे ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि सम्पूर्ण बिहार में जहां भी ओला- वृष्टि से नुकसान हुआ है, सबका सर्वेक्षण करा रहे हैं तो बेगूसराय उसमें शामिल है ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के चकीया मधुबन पथ पर लगातार हो रहे अपराधिक घटनाओं से इस इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है । शाम होते ही इस सड़क पर आवागमन रूक जाता है । मैं जनहित में सरकार से वहां एक पुलिस पिकेट(TOP) खोलने की मांग करता हूॅं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बारसासेई प्रखण्ड के गांजन पुल चालू करने के लिए किसानों का मुआवजा भुगतान हेतु 2,51,75,500/- रूपये संबंधित विभाग को उपलब्ध करवा दिये जाने के बावजूद भुगतान नहीं होने से पुल चालू नहीं हो पा रहा है । मैं कार्रवाई कर मुआवजा भुगतान कर पुल चालू करने की मांग करता हूॅं ।

श्री ललन पासवान: महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा काण्ड सं0-176/16 में विकास कुमार रालोसपा के नेता एवं उनके सहयोगी को फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है ।

सरकार से मांग करते हैं कि डी0आई0जी0 से जॉच कराकर निर्दोष सभी व्यक्तियों को रिहा कराये ।

श्री अत्रीमुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत थरथरी प्रखण्ड के भत्तहर ग्राम में सन 1956 ई0 में सुशीला चमेली आयुर्वेदिक औषधालय चलता आ रहा था, सभी कर्मचारी कार्यरत थे । भवन घ्वस्त होने के कारण कई वर्षो से बंद पड़ा है । आसपास के ग्रामीण, जनता चिकित्सा से वंचित हैं । अत: औषधाालय के भवन

निर्माण कराकर चालू कराने की मांग करता हूॅ ताकि आम जनता को चिकित्सा का लाभ मिल सके ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद मुख्यालय अवस्थित सदर अस्पताल में विगत् 2 वर्षो से एक्स-रे, अल्ट्रा साउण्ड बंद हैं । चिकित्सों की कमी का दंश भी गरीब मरीजों को झेलना पड़ रहा है । अत: आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द चिकित्सकों को पदस्थापित एवं एक्स-रे एवं अल्ट्रा साउण्ड क व्यवस्था जनहित मकें बहाल किया जाये ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड- असरगंज RCD पथ से देवधा-करहरिया पथ करीब आठ वर्षो से जर्जर है । अत: मैं सरकार से इसे शीघ्र निर्माण की मांग करता हूॅं ।

डॉ विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी भाया चेरकी MDR पथ जिसकी लम्बाई 29 कि.मी. है, यह पथ शेरघाटी अनुमण्डल मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय को जोड़ती है । शेरघाटी थाना से चिताब पुल तक सड़क के दोनों किनारे बसावट रहने के कारण सड़क जर्जर स्थिति में है । अत: उक्त पथ को SH(राज्य पथ) में शामिल कर शेरघाटी थाना से चिताब पुल तक 07 कि.मी. सड़क को कंक्रीट रोड निर्माण कराने की मॉग करता हूॅ ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी पीपरा कोठी प्रखण्ड सहित पूरे जिले भर में दिनांक 10.03.17 की ओलावृष्टि, (पत्थर) गिरने से रब्बी, गेंहू, मकई, दलहन, आम लिची के फसल मोजर से सैकड़ो किसानों की क्षति हुई है । सरकार से मांग करता हूॅ कि जांच कराकर उचित मुआवजा दे ।

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहॉं विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में विगत दस महीना से वृद्धावस्था पेंशन की राशि वितरित नहीं होने से अशक्त वृद्धों में हाहाकार है । अतएव मैं सरकार से उक्त पंचायतों में वृद्धावस्था पेंशन की राशि का वितरण करने की मांग करती हूॅ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर ईटवा-सलैया रोड में सिमरी-धमनी के पास पुनपुन नदी में पुल न होने से जनता को आवागमन में भरी कठिनाई होती है । अत: मैं सरकार से इटवा-सलेया रोड में सिमरी-धमनीके पास पुनपुन नदी पर शीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग करता हूॅ ।

टर्न-8/16.3.2017/बिपिन

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बन्दरों का उत्पात अत्यधिक बढ़ जाने के कारण आम लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: जनहित में आग्रह है कि बन्दरों के उत्पात से निदान दिलाने हेतु सरकार अविलम्ब बन्दरों को पकड़वाने की कार्रवाई करे ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत दाउदनगर प्रखण्ड में एन. एच.-98 से ग्राम तरारी के पूर्वी छोर तक ग्रामीण सड़क का हालत काफी जर्जर है जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रहा है ।

अत: इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृट करते हुए प्रश्नाधीन सड़कों को तत्काल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर, ग्राम-पजिवार निवासी रोहित बैठा पिता नागेन्द्र बैठा की हत्या दिनांक 24.2.17 को अपराधियों ने कर दी । आज तक न ही अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और न ही अनुग्रह अनुदान की राशि मिली ।

मैं सरकार से मॉग करता हूं कि अपराधियों की गिरफ्तारी और अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के शितलपुर शिर्षापट्टी निवासी जितेन्द्र राम पिता पारस राम की सड़क दुर्घटना में दिनांक 14.3.17 को मृत्यु हो गई तथा प्रेम राम, दिनेश राम, राजू राम, राजेश राम घायल हो गए ।

मृतक के आश्रित को 5 लाख तथा घायल को 2 लाख मुआवजा का मॉग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के पूर्णिया नगर निगम अन्तर्गत रंगभूमि मैदान चौक से पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, लॉ कालेज होते हुए कृष्णापुरी तक तथा हॉप चौराहा से बिहार टॉकेज होते हुए एन.एच.-31 बाजार तक सड़क की अत्यन्त जर्जर स्थिति है जिससे आवागमन बाधित है तथा बराबर दुर्घटना होती है ।

अत: राज्य सरकार जनहित में उक्त दोनों सड़कों का जीर्णोद्धार करावे।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर, सिधवलिया, बरौली, गोपालगंज तथा कुचायकोट प्रखण्डों के हजारों बाढ़ पीड़ितों को अब तक मुआवजा तथा क्षतिपूर्त्ति का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण बाढ़ पीड़ित आक्रोशित हैं । सरकार अतिशीघ्र बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा तथा क्षतिपूर्त्ति का भुगतान सुनिश्चित करे ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के खवासपुर पंचायत के परमान नदी पर कौआचाड़ घाट पर एवं पीपरा पंचायत के पीपरा घाट पर पुल निर्माण नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश है ।

दोनों घाटों पर पुल का जल्द-से-जल्द निर्माण कराने हेतु सदन से मांग करते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया, पिपरिया एवं लखीसराय प्रखंड के सभी किसानों को बाढ़ से हुई फसल के नुकसान का क्षतिपूर्त्ति राशि एवं बाढ़ राहत की राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

अत: सरकार से सभी किसानों के फसल क्षतिपूर्त्ति एवं बाढ़ राहत की राशि उपलब्ध कराने का माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण लिए जाएंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री फैयाज अहमद, अखतरूल इस्लाम शाहीन एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री फैयाज अहमद : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य में चल रहे मदरसों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनमान का निर्धारण पत्रांक-970, दिनांक-31.08.2013 के आलोक में किया गया है । उसके उपरान्त उन्हें 9300-34800/- एवं 5200-20200/- के वेतनमान का लाभ दिनांक-01.04.2013 से देय है । वेतनवृद्धि, चिकित्सा भत्ता एवं आवास भत्ता का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है । वहीं शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1530, दिनांक- 11.08.2015 द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतनमान के साथ-साथ वेतनवृद्धि सहित आवास भत्ता आदि का लाभ दिया जा रहा है ।

अत: 1128 कोटि के मदरसों में 15.02.2011 से 31.08.2013 तक कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी पूर्व में बहाल शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की भांति वेतनमान का लाभ देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-970 दिनांक 31.8.2013 द्वारा राजकीय प्रस्वीकृत वित्त सहित 1128 मदरसों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना एवं स्वीकृत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई भत्ता अथवा वार्षिक वेतनवृद्धि, आवास भत्ता आदि अनुमान्य नहीं किया गया है । 1128 कोटि के मदरसों में 15.2.2011 से 31.8.2013 तक कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों को उक्त लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री शकील अहमद खान: क्यों नहीं होगा ?

अध्यक्ष : यह तो नीतिगत बात है न ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्रीः ऐसा है, शकील साहब ऐसा है कि कुछ मदरसे सरकारी हैं और कुछ मदरसे एफ्लीएटेड हैं । सरकार ने उनको स्वीकृति प्रदान की है वित्त सहित । उसको हम अनुदान देते हैं । जिनको हम अनुदान देते हैं, उनका यह नहीं है कि सरकार सबको जो सरकारी मापदंड है, उनके मुताबिक उनको दें । जिसको अनुदान देते हैं, वो मदरसा चलाते हैं । उनको हम अनुदान देते हैं और जहां तक संभव होता है, सरकार के पास जो व्यवस्था है, उससे सरकार सुविधा प्रदान करती है ।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीनः अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों को लेकर हाइकोर्ट में श्री अश्विनी कुमार सिंह जी के कोर्ट में मामला गया था तो उन्होंने जजमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी स्कूल, संस्कृत विद्यालय, मदरसा टीचर को वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जो सरकारी शिक्षकों को है और इसलिए सरकार को तीन महीने के अंदर इस तमाम सुविधा उपलब्ध कराया जाए अन्यथा 8 परसेंट का ऐनुअल दर से सूद के साथ देय होगा । यह हाइकोर्ट का ऑडर है।

अध्यक्ष : सरकार ने तो कहा है कि जो सरकारी मदरसा है उसमें देती है, जो ऐफिलिएटेड नहीं हैं, जो दूसरे तरीके की संस्थाएं हैं, उनमें नहीं देती है । सरकार ने तो बता दिया है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : क्लैरिटी नहीं है सर । सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके एप्वायंटमेंट्स में, जो एफ्लीएटेड मदरसे हैं उनके एप्वायंटमेंट प्रौसेस में हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं हैं । किस तरह से नियुक्तियां होती हैं, कैसे करते हैं । हम उनको अनुदान देते हैं, वो जब चलाते हैं तो उनको फिक्स्ड सरकार समय-समय पर देखते हुए अनुदान देती है उनको । तो हमलोगों ने भी अभी जो पहले का प्रौसेस था, उससे हमलोगों ने इंक्रीज किया है लेकिन सेम वेतनमान जो सरकारी कर्मचारियों को है, तो वह सरकार के पास संभव नहीं है । हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को हमलोग देखेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा महोदय ।

श्री समीर कुमार महासेठः महोदय, संकल्प संख्या-1503 दिनांक 11.8.2015 में स्पष्ट है कि राज्य प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालयों में नियोजित शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतनमान के साथ-साथ वेतनवृद्धि सहित आवास भत्ता आदि का लाभ दिया जाएगा । जब स्पष्ट है, तो जब स्थिति अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं इनको भी देने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्री अशोक चौधरी, मंत्रीः वह तो नियोजित शिक्षक है सर । वो सरकारी विद्यालय में हैं । वह हमारा विद्यालय है । उसके लिए नीति अलग है । यह अनुदानित मदरसे हैं । यह हमारा मदरसा नहीं है । यह प्रस्वीकृत मदरसा उनका है, बिल्डिंग उनकी है, एप्वायंटमेंट उनके हैं । हम उनको अनुदान देते हैं । दोनों में फर्क है ।

श्री शकील अहमद खानः महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शकील अहमद खान जी, सबसे पहले तो आप सदन की जो प्रक्रिया है, आप बिना आसन की इजाजत के सीधे मंत्री के तरफ मुखातिब हो जाते हैं और आप इस ध्यानाकर्षण के सिग्नेट्रीज में नहीं हैं । आपको बिना आसन की इजाजत के पूछने का भी नहीं है । इसलिए सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न : 09/कृष्ण/16.03.2017

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	:	59 मिनट,
जनता दल (यूनाईटेड)	:	52 मिनट,
भारतीय जनता पार्टी	:	39 मिनट,
इन्डियन नेशनल कांग्रेस	:	20 मिनट,
सी0पी0आई0(एम0एल0)	:	02 मिनट,
लोक जनशक्ति पार्टी	:	02 मिनट,
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	:	01 मिनट,
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	:	02 मिनट,
निर्दलीय	:	03 मिनट ।

प्रभारी मंत्री,ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

'' ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च,2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 97,17,48,45,000/-(संतानवे अरब सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री संजय सरावगी, श्री तार किशोर प्रसाद, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं एवं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोवा में श्री मनोहर पार्रिकर जी ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया है ।

(व्यवधान)

देश के चार राज्यों में हमारी सरकार बन गयी है ।

अध्यक्ष : प्रेम बाबू ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, आपसे आग्रह है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को सदन की ओर से बधाई दिया जाय ।

अध्यक्ष : गोवा में मनोहर पार्रिकर जी ने विश्वासमत हासिल कर लिया है तो आप अरूण जी को उनके अधिकार से क्यों वंचित कर रहे हैं ? अरूण जी को क्यों बाधित कर रहे हैं ?

(व्यवधान जारी)

अरूण कुमार सिन्हा जी, आप कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष, महोदय माननीय प्रेम बाबू ने कहा है, यह सही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को हर्षध्वनि से धन्यवाद देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

‘‘ इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय, राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये । ’’

महोदय, हम जानते हैं कि बिहार की 80 प्रतिशत और उससे भी ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है और गांवों का विकास बिहार के संदर्भ में खास कर गांवों का विकास ही सही में बिहार के राज्यों के गांवों का तभी विकास संभव है । लेकिन सरकार गांवों के विकास में असफल है, इस बात का सबसे ज्यादा दुख है । महोदय, राज्य सरकार एक तरफ गांवों को स्मार्ट बनाने की बात कहती है और दूसरी तरफ साफ-साफ यह दिखता है कि पटना सहित राज्य के सारे जो शहर हैं, वे ही अभी तक स्मार्ट नहीं बन पायें तो गांवों के स्मार्ट बनाने की बात कहना कितना बेमानी और कितना हास्यास्पद है ?

महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर अगर गौर किया जाय तो 2016-17 के मुकाबले 2017-18 के योजना मद में 4220.19 करोड़ रूपये की वृद्धि की गयी है परन्तु 2016-17 में जनवरी,17 तक 33.2 प्रतिशत राशि योजना मद में खर्च हो पायी है और 66.8 प्रतिशत राशि मात्र दो महीने में कैसे खर्च होगा, यह घोर निराशा एवं चिन्ता की बात है और यह ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की पूरी लापरवाही दर्शाती है ।

महोदय, बिहार स्वच्छता मिशन यानी शौचालय निर्माण के मामले में बिहार अन्य राज्यों के मुकाबले बिल्कुल निचले पायदान पर खड़ा है । महोदय, गांवों में जॉब कार्ड के सत्यापन के विषय में सरकार फिसड्डी साबित हो रही है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं ।

अध्यक्ष : आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ग्रामीण विकास विभाग का अनुदान मांग माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव या सचिव नहीं हैं ।

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : महोदय, प्रतिवेदन भी नहीं बटा है । प्रतिवेदन तो बटवा दिया जाये, यह मेरा आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरूण जी, आप अपनी बात जारी रखिये ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, यह घोर निराशा की बात है, माननीय मंत्री जी जरा इस पर ध्यान दें । मनरेगा मजदूरों को संयुक्त खाता को एकल खाता में परिवर्त्तित नहीं करने से उनको मजदूरी मिलना मुश्किल हो गया है । यही नहीं, ग्रामीण मजदूरों के पलायन रोकने एवं रोजगार उपलब्ध कराने में भी सरकार विफल रही है । साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना एवं अंतोदय योजना में सरकार असफल है । अत: इन बिन्दुओं पर कटौती प्रस्ताव के जरिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि इसको अपने बजट में प्रावधान करें । आप ने बोलने के लिये समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जिस विभाग की मांग पर सदन में चर्चा होती है, उस विभाग के वरीय पदाधिकारियों से यह अपेक्षा रहती है और यह नियम भी है और प्राय: पदाधिकारीगण रहते ही है, नहीं रहना बड़ा अनुचित है । यह सदन के प्रति अवमानना भी है ।

अध्यक्ष : सरकार इस पर संज्ञान लेगी । माननीय सदस्या श्रीमती प्रेमा चौधरी ।

(व्यवधान)

चन्द्रसेन जी, आप बैठ जाईये ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ी हुई हूं ।

(इस अवसर पर भाजपा के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर बोलने लगे)

महोदय, मुझे ग्रामीण विकास पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया है, इसके लिये मैं अपने दल को भी धन्यवाद देती हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सबलोग आसन की तरफ देखें ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : महोदय, ग्रामीण विकास पर बोलने के पहले मैं अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी एवं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति उद्‌गार व्यक्त करती हूं । महोदय, मैं अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी एवं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती हूं कि 2015 के चुनावी सभाओं में बिहार की जनता के साथ किये गये वादों को अक्षरशः निभाने का काम किया है । महोदय, जब से हमारी सरकार बनी तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार अपने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत जनता की कठिनाईयों को दूर करने में लगी हुई है ।

टर्न-10/राजेश/16.3.17

श्रीमती प्रेमा चौधरी (क्रमशः) महोदय, मैं एक महिला होने के नाते मैं अपने पूरे बिहार की महिलाओं की तरफ से अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार की महिलाओं के सम्मान में शराबबंदी कानून को लागू करने का काम किया और इसके साथ ही साथ 35 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में महिलाओं को दे करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, जो बिहार की महिलाओं के हित में ऐतिहासिक काम करने का काम किया है, जिसे हम बिहार की महिलाएँ कभी नहीं भूलेंगी ।

महोदय, हमारे बिहार की अधिकतम आबादी ग्रामीण इलाकों में बसती है और गाँवों में शराबबंदी के कारण ग्रामीण इलाकों में रह रहे परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी आयी है । महोदय, इसतरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में जीविका को सशक्त एवं प्रभावी माध्यम के रुप में स्थापित किया है । महोदय, जीविका समूह के पहल का ही परिणाम है कि समाज में कई प्रकार की कुरीतियों को दूर कर जीविका समूह की महिलाएँ एवं परिजन हुनरमंद होकर अधिक से अधिक राशि अर्जन कर रही हैं । महोदय, जीविका से अब तक 70 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 5 लाख 66 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, 3.93 लाख समूहों के बचत खाते खोले गये हैं तथा 3.60 लाख समूहों को अब तक बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसका अब तक बैंकों से 2113 करोड़ रुपये समूहों को प्राप्त हुए । महोदय, समूहों के 8 लाख सदस्यों का बीमा करवाया गया, तो इसतरह से एक बड़ी उपलब्धि है हमारी राज्य सरकार की । महोदय, इसीतरह से बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान का क्रियान्वयन जीविका द्वारा 131 प्रखंडों में किया जा रहा है । महोदय, अब तक जल एवं स्वच्छता विषय पर 1200 स्वयं सहायता समूहों

को प्रशिक्षित किया गया है, 127 ग्राम पंचायत एवं चार प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं । महोदय, जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं में बढ़ती सक्रियता का ही सूचक है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के विभिन्न पदों पर कुल तीन हजार से अधिक महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं । महोदय, यह सारी देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का है । अध्यक्ष महोदय, इसीतरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मनरेगा के तहत इंदिरा आवास लाभार्थियों को उनके आवास निर्माण के द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में 90 मानक दिवस के रुप में 15930 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, वही दूसरी ओर इंदिरा आवास में भारत सरकार के द्वारा जो पैसा फंडिंग था, उसमें गरीब, गुरुआ, दलित एवं महादलितों के लिए 60 प्रतिशत पैसा आरक्षित था, जिसको भारत सरकार ने साजिश के तहत आरक्षित फंड को ही खत्म कर दिया, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है । महोदय, यह बहुत ही शर्मनाक साजिश है । महोदय, बी0जे0पी0 और आर0एस0एस0 के द्वारा आरक्षण समाप्त करने की साजिश लगातार रची जा रही है, जो देश के हित में अच्छा नहीं होगा । महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इस तरह की साजिश को जनता के सामने लाए और दलितों, शोषितों को समान रुप से जीने का हक दिलावें । महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी चार वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 70184 वार्डों में 1.2 करोड़ घरों को नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है भारत सरकार, इसीतरह से महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से अधिक संख्या वाले सभी टोलों/बसावटों को मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया है, जिसके तहत ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में 20305 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 2325 पथों एवं 36 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है। महोदय, इसके अतिरिक्त 2.467 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की लागत पर 1501 पथों एवं 8 बड़ें पुलों का निर्माण करा रही है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में..........(व्यवधान)

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्षः क्या व्यवस्था है ?

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, अभी तक आपके आदेशानुसार विभाग के प्रधान सचिव नहीं आये हैं ....(व्यवधान)

यह बजट सेशन है, ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा हो रही है और पदाधिकारी दीर्धा में प्रधान सचिव अभी तक नहीं हैं ।

अध्यक्ष: माननीय ललन जी, इसमें आपने हमारे आदेशानुसार शब्द कहाँ से लगा दिया । यह चीज सरकार को संज्ञान में लेने की है । आप माननीय सदस्या की बात को सुनिये ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 12 मासी सम्पर्कता करने हेतु ग्रामीण टोला संपर्क योजना प्रारंभ किया गया है, जिसमें महोदय 4683 टोलों को 3997 किलोमीटर सड़क निर्माण कर सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है हमारे महागठबंधन की सरकार ने । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को सदन के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने एक साल के कार्यकाल में बड़े-बड़े कार्य करने का काम किया है और साथ ही हमारे क्षेत्र पातेपुर विधान सभा, जो अत्यन्त ही पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ हमारे उप-मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही अपने पथ निर्माण विभाग के द्वारा चार लंबी-लंबी सड़कों के निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की है, उक्त सड़क का टेंडर भी हो गया है और अब उसमें निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा और मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से आशा करती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की शेष लंबित सड़कें, दो, चार और जो हैं, उसे भी स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई करें ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब माननीय सदस्या श्रीमती प्रेमा जी अब एकाध मिनट में जो कहना है, कह दीजिये ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र पातेपुर की ओर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ एक सड़क जो फकीरचंद चौक पातेपुर से भुसाई होते हुए बेझा तक गया है, जो किसी न किसी कारणवश 15 से 20 वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलो मीटर है, मैं सदन के माध्यम से आग्रह करती हूँ माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से कि इसी वित्तीय वर्ष में इसे बनवाने की कृपा करें । महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच एवं भावना है कि हर समुदाय के लोगों को अपने 7 निश्चय योजना अन्तर्गत लाभान्वित करें, चाहे वह किसी तरह की ही योजना हो और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री अपने किये गये वादों के अनुसार दृढ़संकल्पित हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने बलबूतों पर अपनी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार बिहार की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और जो हमारा अधिकार था, वह भी हमारा पैसा केन्द्र की सरकार नहीं दे रही है । महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी घोषण किये थे बिहारवासियों के समक्ष कि यदि हमारी सरकार बनती है, तो मैं विदेशों से कालाधन लाऊंगा और बिहार के गरीबों के खातों में 15-15 लाख रुपये डालूंगा । महोदय अब 15-15 लाख रुपया तो गरीबों को नहीं मिला ....(व्यवधान)

(इस अवसर पर मा0 सभापति, डा0 अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया)

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्या को समाप्त करने दीजिये ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी: माननीय प्रधानमंत्री जी के जल्दबाजी में लिये गये नोटबंदी के फैसले के कारण गरीब लोग परेशन हो गये और तो और हमारे बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाएँ कंगाल हो गयी, जो कुछ भी पैसा छिपाकर रखी थी, वह या तो पति ने ले लिया या बेटा ने ले लिया, महोदय अब तो आलम यह है कि आज हमारे देश की महिलाएँ अपने पति के अनुसार नहीं बल्कि मोदी जी के अनुसार बनने के लिए मजबूर है.......... (व्यवधान)

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): बोलिये ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: यह बड़ा ही गंभीर विषय है और लगातार माननीय सदस्यों ने कहा है कि अधिकारी दीर्घा में कोई है नहीं, माननीय मंत्री जी के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, इसका क्या वजह है, आपका ऑर्डर नहीं चल रहा है, विभाग आपकी बात को नहीं मान रहा है, आखिर क्या वजह है ?

(व्यवधान)

महोदय, 20 मिनट हो गया है और 20 मिनट होने के बाद भी कोई पदाधिकारी इनके नहीं आये, तो यह काफी दुखद है । इनका इतना बड़ा विभाग है, इसी विभाग पर बहस हो रहा है और अधिकारी न हो, यह तो लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर जैसा है । इसकी क्या वजह है ? क्या सरकार की बात को अधिकारी नहीं मान रहे हैं ? मंत्री जी इसको स्पष्ट करें ?

(व्यवधान)

टर्न-11/सत्येन्द्र/16-3-17

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: 20 मिनट हो गया है आपके अधिकारी अभी तक नहीं आये हैं। क्या आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है, क्या आपके अधिकारी नहीं आयेंगे। आज ग्रामीण विकास का बजट है उस पर बहस हो रहा है, सारे सत्ता प्रतिपक्ष के लोग भाग ले रहे हैं। आप बतलाईए तो खड़े होकर कम से कम कि उनके नहीं आने का कारण क्या है ?

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) माननीय मंत्री सुन रहे हैं..

(व्यवधान)

आयेंगे, सरकार सुन रही है न,आप सरकार को बोल रहे हैं न ।

(व्यवधान)

अब कार्यवाही चलने दीजिये, सरकार है न।

(व्यवधान)

सरकार का मतलब पदाधिकारी नहीं होता है,सरकार यहां बैठी है, सरकार सुन रही है न और सरकार देखेगी पदाधिकारी आते हैं, नहीं आते हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: सभापति महोदय, आज सरकार के तरफ से ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और ग्रामीण विकास के साथ-साथ मुखबंध के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग का भी बजट आज पारित होना है । महोदय, आज जिस विभाग पर पूरा सदन विचार कर रहा है, वह पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए अति महत्वपूर्ण विभाग है ग्रामीण विकास विभाग । ग्रामीण विकास विभाग शासन की सबसे निचली इकाई है, जहां से हम आज के नागरिकों को हर तरह के सुख सुविधा का ख्याल करते हैं, हमारे अधिकारी वहां पर बैठकर के गांवों का विकास कैसे हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में खुशहाली कैसे आये, इसकी व्यवस्था करते हैं । हमलोग खुशनसीब है बिहार के लोग कि हमलोगों के आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार का आज देश के जो विकास दर है उसमें काफी भागीदारी है । बिहार का ग्रामीण विकास विभाग जो जनहित से जुड़ा हुआ विभाग है, यहां पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सबसे जो हमारे मजदूर भाई हैं जो दूसरे जगह काम करने जाते थे दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते थे आज उनको घर में मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोजगार मिल रहा है और वे लोग यदि कोई दूसरे अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो ठीक नहीं तो मैं समझता हूँ मनरेगा के माध्यम से हर परिवारों को जो इच्छुक परिवार है उनको रोजगार मिल रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं भी मनरेगा के माघ्यम से तैयार हो रही है, चाहे आहर पईन की खुदाई का हो, मरम्मति का हो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से 40 प्रतिशित के तहत जो पक्के कार्य हैं लिये जा रहे हैं उसके तहत गांव में पक्की गली नाली का निर्माण हो रहा है, ऐसे कार्य ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जनपयोगी कार्य हो रहे हैं । महोदय,सात निश्चय के तहत जो हमारे नेता महागठबंधन के नेता जो चुनाव में जाने के पहले इन्होंने घोषणा किया था कि हम जब सत्ता में आयेंगे तो सात निश्चय लागू करेंगे जिसमें ग्रामीण विकास विभाग का भी एक निश्चय है और इन सात निश्चयों में जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है । महोदय हमारे नेता चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जनता से किये हुए वायदे को उन्होंने लागू करने का निश्चय किया और उसके तहत सातों निश्चय को एक साल पूर्ण होने से पहले घरातल उतार देने का काम किया । महोदय, आज हर गांव में जो हमारे माताएं, बहनें खुले में शौच के लिए जाती थी आज उन्हें अपने घर में प्रतिष्ठापूर्वक शौचालय उपलब्ध

कराया जा रहा है ताकि वे बाहर नहीं जायें शौच के लिए, उनके घर में ही शौचालय का निर्माण हो। ये ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्री जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संकल्प है इसे बिहार की जनता सर आंखों पर बैठाये हुए हैं । मैं समझता हूॅं कि प्रत्येक पंचायत में यह योजना, पूरे 8400 पंचायत हैं यहां बिहार में सभी पंचायतों में, सभी बार्डों में करीब इसका काम शुरू है महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जिलों में निश्चय यात्रा के तहत कैसे वहां पर शौचालय निर्माण हो रहे हैं उसका जाकर सतही स्तर पर निरीक्षण करने का काम किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूॅं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है । महोदय, एक हमारे नेता है जो अपने निश्चयों को लागू करने के लिए गांव गांव गरीब के घरों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और दूसरे जो 2014 में भी निश्चय किया था, 2014 में क्या-क्या सपना लोगों को दिखलायें कि आने के बाद हम सभी लोगों को 15-15 लाख रू0 खाते में भेज देंगे, आज तक 3 साल बीतने जा रहा है एक भी व्यक्ति के खाते में अगर 15 लाख रू0 चला जाता तो माना जाता कि भारत सरकार अपने घोषणाओं के प्रति खड़ा है। महोदय,भारत सरकार का निश्चय था कि हम किसानों को उनके लागत मूल्य को जोड़कर के और डेयोढ़ा मूल्य लागत उसको देंगे। ये घोषणा था लेकिन भारत सरकार अपनी घोषनाओं पर बेपरवाह होकर के केवल जीत में मस्त है और लोगों को क्या हो रहा है, लोगों के आकांक्षाएं कहां जा रही है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। माननीय सभापति महोदय,चूंकि ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास की जो परियोजनाएं हैं पी0एम0जी0एस0वाई0 जो गिलोटिन में हमारा आर0डब्लू0डी0 का जो हैं मांग इसमें शामिल है लेकिन भारत सरकार में ग्रामीण विकास के तहत ही पी0एम0जी0एस0वाई0 का भी काम चलता है महोदय। बिहार के लोगों को आजतक, पूरे जितनी भी राज्य हैं उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें उपलब्ध करा दी गयी लेकिन बिहार के जो 500 से..

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) सात मिनट आपका समय था वह समाप्त हो गया।

श्री विनोद प्रसाद यादव: समय समाप्त है तो समय मेरा एडजस्ट कर लीजियेगा, अनुमति है इधर से तो महोदय, मैं कहना चाह रहा हूॅं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अभी स्वीकृत हो रहा है भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार, बिहार के लोगों के साथ मजाक है। मजाक कैसे है कि आज भारत सरकार कह रही है कि ग्रामीण लोगों को मैं उतना उत्कृष्ट सड़क नहीं देना चाहता हूॅं कि जिसमें उनको अच्छी सड़क मिले और उनका परिकल्पना है केवल ग्रेड-1 ग्रेड-2 देकर 10 एम0एम0 उस पर पीच कर दिया जाय उनको आवाजाही के लिए हो जायेगा । एक तरफ आप स्मार्ट शहर की बात करते हैं और 80 प्रतिशत जनता जो गांव में बसती है उनको वे अच्छी सड़क देने के लिए नहीं सोच रहे हैं बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री सड़क

योजना में वर्षों से जो काम होकर बंद है, लाइबलिटी है उसको उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। बिहार के साथ जो भेदभाव है बिहार की जनता उसे बखूबी देख रही है और एक हमारे नेता जो सातों निश्चय को एक साल के अन्दर धरातल उतार देने का काम किया है आज जानते हैं कि ग्रामीण विकास के तहत आपके जीविका समूह का गठन किया गया है हमारी जीविका के जो माताएं बहनें हैं गांव में समूह का गठन कर के अपने बचत जो छोटे छोटे आय करते हैं उसको खाते में जमा करते हैं और जो जरूररतमंद महिलाएं हैं, जो जरूरतमंद लोग है उनको उस खाते से पैसा देते है।(क्रमशः)

क्रमश :

टर्न-12/मधुप/16.03.2017

...क्रमशः...

श्री विनोद प्रसाद यादव : सरकार भी उन्हें प्रोत्साहन के लिये सहयोग देती है और हमारी जीविका के माताओं एवं बहनों की मॉग पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा था कि हम शासन में आयेंगे तो बिहार में शराबबंदी करेंगे । यह जीविका की माताओं एवं बहनों की मॉग थी ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी लागू करके बिहार ही नहीं पूरे देश में मिसाल कायम किया है और आज जो होली का त्योहार कटा, आप देखें होंगे चार दिन पहले कि कितना शांतिपूर्वक बिहार में होली का त्योहार हुआ, जो शराबबंदी हुआ इसके कारण बहुत ही शांतिपूर्वक बिहार में त्योहार हुआ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप स्थान ग्रहण करें । और माननीय सदस्यों को मौका दीजिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में शराबबंदी लागू हुआ, उससे हर क्षेत्र में प्रगति आ रही है । हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को पूरे देश में लोग चाहते हैं कि वे देश भर में शराबबंदी के पक्ष में काम करें और इसके लिये देश के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी 2019 में भारत के प्रधानमंत्री बनें और देश भर में शराबबंदी लागू करें । जय हिंद ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : श्री राजेश कुमार । सात मिनट ।

श्री राजेश कुमार : सम्मानित सभापति महोदय, आज बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के जो व्यय मद हैं उसके पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, जिस तरह से हमारे बिहार की पृष्ठभूमि और देश में सात निश्चय के कारण और हाल में जो पटना साहिब की धरती पर और उनकी जन्म स्थली पर हमने प्रकाश उत्सव जिस तरह से मनाया, हमारे माननीय

मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश-विदेश में हम नाम रौशन किये हैं । उस सन्दर्भ में मैं आगे की पंक्ति को कहते हुये अपनी बात करना चाहूँगा -

''पटना साहिब दिव्यरूपम्, सम्पूर्ण लोके उज्जवला ।
जन-गण गौरव गाथा, हृदय कंचन निर्मला ।।
मन सुवासित, तन सुवासित, सुवासित शब्द श्रीकला ।
भावे-भावे गुरूगोविन्देश्वरम्, भावे देवी शीतला ।।

सभापति महोदय, हम यदि सात निश्चय की बात करें तो आज हम बिहार में गाँव को स्मार्ट बनाने की ओर अग्रसर हैं । मुख्यमंत्री जी का जो सात निश्चय योजना है, उस सात निश्चय योजनाओं के तहत - आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली-नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान । यह घर का सम्मान उस सम्मान से जुड़ा हुआ है जो हमारी गाँव की माता-बहनें शौचालय के लिये बाहर जाती हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े । ग्रामीण कार्य विभाग ने सात निश्चय के अवसर पर, हम समझते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जो परिलक्षित किया है, हम समझते हैं कि संत रैदास के उस सपना को नीतीश कुमार जी ने साकार किया है, 1460 ई0 में संत रैदास जी ने अपने मनोभेद से उजागर किया था और आज वही सात निश्चय में गरीबों के जो मुख्य अंश है उसको देने के लिये मुख्यमंत्री जी ने निश्चय किया है । संत रैदास जी ने 1460 ई0 में कहा था - ऐसा चाहूं राज मैं, मिलें सबन को अन्न,
छोटे-बड़े संग रहें रैदास रहे प्रसन्न ।

अर्थात् रैदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे राज की कामना करता हूँ जिसमें सबके पेट की आग बुझाने को पर्याप्त अन्न मिले और राज्य के समस्त छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, सज्जन-दुर्जन तथा शोषित-शोषक एक-दूसरे की भावना का सम्मान करते हुये मित्रता पूर्वक रहें । जब सबका पेट भरा होगा, सबके तन पर कपड़े होंगे, सबको रहने के लिये मकान होगा तथा सबको समान अवसर प्रदान होंगे तो संत शिरोमणि रैदास जी कहते हैं कि समाज को ऐसी अवस्था पाते हुये देखकर मुझे अति प्रसन्नता होगी । इसलिये मुख्यमंत्री जी का जो सात निश्चय है, उसके तहत समाज में जो वंचित और पीछे तबके के लोग हैं, उनके लिये जो कार्य किया जा रहा है, हम समझते हैं कि यह काबिले तारीफ है, इसको विपक्ष को कम से कम प्रोत्साहन देनी चाहिये । चूंकि अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग जो हैं, जो गाँव में विकास से वंचित रह जाते हैं, ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा अन्तर्गत मजदूरी के 177 रू0 जो निर्धारित था भारत सरकार द्वारा, उसको बढ़ाकर सरकार ने यहाँ पर काबिले तारीफ काम किया है । मनरेगा अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 177 रूपये दी जा रही है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर 167 रूपये से अधिक है । इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 6466.47

लाख रूपये की अंतर राशि का प्रावधान किया गया है । हम समझते हैं कि विपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, वह इनको वापस लेनी चाहिये चूंकि ग्रामीण विकास विभाग गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है, यह अंतिम पंक्ति से जुड़े हुये लोगों से संबंधित है और इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों, अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़ा हुआ मामला है ।

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, आप सदन से बाहर क्यों देखते हैं ?

श्री राजेश कुमार : मेरी समझ से यह 6466 लाख जो मद में है, इस विभाग के लिये पर्याप्त है। इसलिये विपक्ष कटौती प्रस्ताव जो लाये हैं, गरीबों के साथ यह अन्याय होगा।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : राजेश जी, आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, नाली-गली का निर्माण एवं अन्य योजना में जिस तरह से 2011 की जनसंख्या के आधार पर इंदिरा आवास बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 2014-15 में एक भी इंदिरा आवास की योजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है । एक समय यू0पी0ए0 की जब सरकार थी तो एक पंचायत में 600-700 तक इंदिरा आवास मिलता था लेकिन आर्थिक सर्वे के नाम पर भारत सरकार ने 2014-15 में योजना को रोक रखा, आज हमारे बिहार जैसे राज्य में योजनाओं में कटौती करके 60:40 का रेशियो बढ़ाकर हमारे गरीब जनता के साथ अन्याय किया गया है । जिस जनता ने भारत की सरकार को उच्च शिखर का पद दिया, प्रधानमंत्री का पद, वही जनता बिहार सरकार को महागठबंधन के लिये समर्थन दिया तो हम समझते हैं कि महागठबंधन की सरकार को डिरेल करने के लिये और यहाँ की जनता को विकास से वंचित करने के लिये सारे विभागों में 60:40 का रेशियो कर दिया गया । हम समझते हैं कि बिहार की जनता के साथ यह घोर अन्याय है । बिहार की जनता ने भारत की सरकार को जो समर्थन दिया था, हम समझते हैं कि जितना वे बोलते हैं, उसमें उनको दिल भी बड़ा करने की आवश्यकता है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, क्षेत्र की दो-तीन बातें हैं, उसको मैं सदन के माध्यम से लाना चाहता हूँ ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : एक मिनट में कह दीजिये ।

श्री राजेश कुमार : हमारे क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग में वृद्धावस्था पेंशन, कन्या विवाह योजना की राशि में विलम्ब हो रहा है, इसलिये वहाँ पर कन्या विवाह राशि अतिशीघ्र बँटवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

...क्रमश:....

टर्न-13/आजाद/16.03.2017

..... क्रमशः ......

श्री राजेश कुमार : और सदन द्वारा मुझे समय देने के लिए कुटुम्बा विधान सभा के सारी जनता की ओर से कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ और महागठबंधन के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी को भी मैं कोटि-कोटि बधाई देता हूँ, सोनिया जी को, राहुल गॉधी जी को भी बधाई देता हूँ । मैं बहुत,बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत,बहुत आपलोगों को धन्यवाद ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री केदार प्र0 गुप्ता । 9 मिनट में आप समाप्त कीजियेगा ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : सभापति महोदय, मैंने आग्रह किया था, यह चिन्ता का विषय है कि अभी तक ग्रामीण कार्य एवं श्रम विभाग के प्रधान सचिव नहीं आये हैं, कैसे कार्य होगा ?

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : हाऊस के अन्दर माननीय सदस्यों को सरकार को संबोधित करना है, सरकार यहां बैठी है । आपलोग बाहर क्यों देखते हैं कि कौन बैठा है, यह देखना सरकार का काम है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के नेता को और माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है । सदन की कार्यवाही में माननीय सदस्यगण जिस तरह से हिस्सा ले रहे हैं, सबका जवाब समय पर दिया जायेगा । मंत्री के द्वारा सरकार का जवाब होगा, सरकार जवाब देगी महोदय । इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता क्या है ?

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : जवाब अधिकारी नहीं न, सरकार जवाब देगी । सरकार देगी जवाब, मंत्री जवाब देंगे । सदन के प्रति मंत्री जवाबदेह हैं ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता, आप बोलिये । आप 9 मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, वर्ष 2017-18 के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए, समय देने के लिए महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, महात्मा गॉधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। सम्पूर्ण आबादी का 85 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकें में रहते हैं और ग्रामीण इलाकें में रहने वाले व्यक्तियों को देखकर योजना बनाना चाहिए और आज यह विभाग ग्रामीणों से जुड़ा हुआ विभाग है । महोदय, ग्रामीण इलाका में रहने वाले दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा एवं सवर्ण व्यक्तियों को पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिल रहा है । सरकार कहती है और 7 निश्चय का ढिढ़ोरा पीट रही है और नल का जल के बारे में सरकार कह रही है कि हर गांवों में देंगे, हर घरों में देंगे तो सरकार बताये कि कौन से गांवों में

कुढ़नी सहित पूरे बिहार में कहां पर नल का जल दिया गया है । महोदय, हमलोग मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से पहले 16हजार रू0 में चापाकल लगाने का प्रस्ताव था लेकिन इधर सरकार ने मार्क-2 में जिसमें 50हजार रू0 लग रहा है । चापाकल हमलोग भी देना चाहते हैं, गांव-गांव में बहुत ऐसे गरीब रहते हैं, सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए झेलना पड़ता है । हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि नहीं कुछ तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से 50हजार रू0 वाला जो मार्क-2 है, उसमें 16हजार रू0 वाला पहले जो लागू था, उसको सरकार लागू करे ।

महोदय, सरकार गरीबों को आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से राशि मिलती है, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को पहले 45हजार से 70हजार रू0 आवास बनाने के लिए गरीबों को मिलता था लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर के 1 लाख 20 हजार रू0 करने का काम किया है और 28 हजार रू0 और जोड़ा है, इस प्रकार 1 लाख 48 हजार रू0 दिया जाता है । परन्तु बिहार की सरकार अभी तक जो हमें मालूम है कुढ़नी के विधान सभा में प्रतिक्षा सूची भी फाईनल नहीं हो पाया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल रहा है । महोदय, गांव के गरीबों को कन्या विवाह योजना के तहत 5हजार रू0 प्रोत्साहित राशि मिलता था, आज 2013 के बाद 2014 से पूरा योजना लंबित है पूरे बिहार में, कुढ़नी में भी नहीं मिल रहा है 2014 के बाद और जब गरीब की बेटी शादी के बाद ससुराल जाती है और ससुराल से प्रखंड दौड़ते-दौड़ते थक जाती है और उसमें उसको 5हजार रू0 से ज्यादा खर्च हो जाता है । महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गांव के गरीब जब मरता है तो गरीबों को कबीर अंत्येष्ठि योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा 3 हजार रू0 देने का प्रावधान था लेकिन आप पता कर लीजिये, साल में हर पंचायत में दर्जनों लोग मरते हैं लेकिन सरकार जो है तीन महीना पर 3 आदमी का, 6 महीना का 5 आदमी का पैसा कभी-कभी भेजती है । क्या यह गरीबों के प्रति सरकार की यह उदासीनता नहीं तो और क्या है ? महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि यह गरीबों की सरकार है और गरीबों के नाम पर वोट लेने का काम करती है ।

महोदय, यह सरकार गांवों में बिजली देने की बात करती है, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी घुम-घुम कर यह बताने का काम किये थे कि हम हर घर को बिजली देंगे लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार सहित कुढ़नी में आजादी के बाद आज भी दर्जनों गांवों ऐसे हैं, जहां बिजली से लोग वंचित है । जैसे सकरी सरैया का कटरिया गांव है, जहां अतिपिछड़ों, पिछड़ों का गांव है, जहां पर अभी तक बिजली नहीं गयी है । बसौली ऐसा गांव है, भुलौना ऐसा गांव है, जहां अभी तक बिजली नहीं

गयी है । इटरिया, कुढ़नी बाजार का मुख्य पंचायत है और वहां का एक टोला है इटरिया, इटरिया में लाईन नहीं गया है । यहां तक वृद्धावस्था पेंशन जो गरीब, लाचार व्यक्ति को दिया जाता है, उनको अभी छठ के बाद अभी होली बीत गया है लेकिन उन लोगों को भी सही ढंग से पैसा नहीं मिल रहा है । सरकार कहती है कि गरीबों की यह सरकार है लेकिन मुझे लगता है कि गरीबों के प्रति यह सरकार बहुत उदासीन है । कुढ़नी विधान सभा में आजादी के बाद आज तक ऐसे-ऐसे सड़क है, मैं माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि मैं जब उनके यहां दौड़ा तो उन्होंने बलौर हाट से केशवपुर सड़क जो 11 कि0मी0 है और कुढ़नी का वह लाईफ लाईन है । इन्होंने तो 6 महीना दौड़ने के बाद पास तो कर दिया लेकिन अब वित्तीय वर्ष बीतने जा रहा है लेकिन उसमें अभी तक हाथ नहीं लगा है । मैं धन्यवाद दे दिया हूँ , यह कुढ़नी का लाईफ लाईन है ।

सभापति महोदय, मनरेगा के तहत केन्द्र सरकार मनरेगा के भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए ....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, आपको अब एक मिनट में समाप्त करना है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, सभी गांवों में सभी जौब कार्डधारियों को सत्यापन करके आधार से लिंक करने का, बैंक में एकल खाता खोलने की बात किया गया था, उसमें भी सरकार फिसड्डी है । मैं सरकार को यह बताना चाहता हूँ चूँकि ग्रामीण कार्य विभाग का यह मामला है । हमारे कुढ़नी विधान सभा में अंचलाधिकारी के द्वारा घोर लापरवाही बरता गया और छठ में दो यादव के बच्चे डूबकर मर गये और वहां उपसमाहर्त्ता ने जॉंच किया और सही पाया कि इनके लापरवाही से उसकी जान गई है, उसपर प्रपत्र-क गठित कर दिया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई । कुढ़नी विधान सभा में एक और मामला है, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य मंत्री जी बैठे हैं । कुढ़नी विधान सभा के छाजनदरधा पुल है, जो पश्चिमी इलाका का वह सर्वाधिक लोगों को शहर से जोड़ने वाला लाईफ लाईन है । मैं आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि उस पुल को आने वाले वित्तीय वर्ष में जरूर बनाया जाय, क्योंकि इसका डी0पी0आर0 बनकर के सेक्रेटरी के यहां पड़ा हुआ है । हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास की बात करते हैं लेकिन कुढ़नी के विकास के बिना बिहार का विकास असंभव है । कुढ़नी 39 पंचायतों का बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है और एक प्रखंड होने के नाते एक अधिकार पूरे 39 पंचायतों का समीक्षा नहीं कर पाते हैं और सरकार का जन कल्याण का कार्य जन-जन तक नहीं पहुँच पाता है । इसलिए मैं मनिहारी को प्रखंड बनाने की मांग करता हूँ और लास्ट में हम नरेन्द्र भाई मोदी जी को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि वे गांवों में गरीब, किसान नौजवान और महिलाओं के लिए

जो काम किया है, उसका मुहर चार राज्यों की जनता ने जीता कर देने का काम किया है । धन्यवाद ।

टर्न-14/अंजनी/दि0 16.03.2017

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री भोला यादव ।

श्री भोला यादव : सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग पर जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया है, उसके विरोध में बोलने का अवसर आपके द्वारा मिला है, इसके लिए मैं आपका और सदन को धन्यवाद देता हूँ । महोदय, माननीय लालू प्रसाद जी की दिशा निर्देश में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, डिप्टी सी0एम0 साहेब के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार काम कर रही है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, बहुत कम है । अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी विधान सभा चुनाव में आये थे और उन्होंने ढ़ेर सारी घोषणायें की थीं । उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे, गांव के विकास के लिए विशेष पैकेज देंगे लेकिन वह असत्य साबित हुआ । युवाओं को लुभाने के लिए कहे थे कि पांच करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वह भी असत्य साबित हुआ । तीसरा, उन्होंने कहा था कि जो काला धन स्वीस बैंक में पड़ा हुआ है, उसको ला कर हरेक खाता में 15-15 लाख रूपया जमा करेंगे, वह भी एक जुमला ही साबित हुआ । तो कुल मिलाकर केन्द्र सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, हमारे विपक्ष में माननीय प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं, इन लोगों की मंशा, कथनी और करनी में जो बातें आ रही है, उसमें कहीं कोई तालमेल नहीं है । लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है,

(व्यवधान)

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार की आबादी 10 करोड़ से उपर है और उसमें से 88 प्रतिशत् लोग गांव में निवास करते हैं । उस 88 प्रतिशत् का विकास कैसे हो, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सात निश्चय योजना लायी है । महागठबंधन की सरकार ने सात निश्चय योजना लाया है । उस निश्चय योजना के तहत गांव के सर्वांगीन विकास के लिए कसीदे गढ़े जा रहे हैं । हमलोग चाहते हैं कि हरेक गांव आदर्श गांव बने, माननीय प्रधानमंत्री जी शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं लेकिन हमारी महागठबंधन की सरकार गांव को स्मार्ट विलेज बनाना चाहती है और उस दिशा में सार्थक प्रयास जारी है । मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की जो नजरिया है, वह

है न्याय के साथ विकास का । उस न्याय के साथ विकास किसका ? सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी सम्प्रदाय के लोगों को समरसतापूर्वक समाज बनाने के लिए विकास की दिशा में यह सरकार काम कर रही है । हम बताना चाहते हैं कि गांव के विकास के लिए सात निश्चय योजना जो लाया गया है, उस सात निश्चय योजना में सबसे जरूरी है सड़क, उस सड़क योजना के लिए जब फर्स्ट यू0पी0ए0 गवर्नमेंट था, तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, उस समय में प्रधानमंत्री योजना के तहत पूरे राज्य में ग्रामीण सड़क का जाल बिछाया गया था लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना कहां चली गयी, इसका कोई नामोनिशान नहीं है । उसकी राशि में इतनी बड़ी कटौती कर दी गयी है कि कहीं देखने तक को नहीं मिलता है । हमारे सांसद महोदय अपना शिलापट्ट लगाने के लिए जगह खोजते रह जाते हैं लेकिन सैंक्सन ही नहीं हो पाता है । अभी हमारी सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम शुरू किया है, ग्रामीण टोला को जोड़ने के लिए ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना घर तक पक्की गली, नली लाने के लिए पक्की गली,नली योजना, इस तरह की तीन योजना बिहार सरकार ने चालू किया है और इस दिशा में काफी तेजी से कार्य हो रहा है । हम समझ रहे हैं, जब आप अपने गांव में जाते होंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई गांव ऐसा हो जो कम-से-कम सिंगल कनेक्शन से छूटा हुआ हो । हरेक गांव को सिंगल सड़क योजना के तहत जोड़ा गया है और उसके साथ ही अब टोला को भी जोड़ने का कार्य चल रहा है । उसके लिए सभी विधायकों से सूची की मांग की गयी थी और ग्रामीण विकास मंत्री जी को सूची दिये हैं तो हम पांच वर्ष में समझते हैं कि हरेक टोला जो 100 आबादी से अधिक का बसावट है सबको सड़क से जोड़ दिया जायेगा । तो कुल मिलाकर गांव की कनेक्टिविटी हो जायेगी तो गांव का विकास अपने आप हो जायेगा । शौचालय, हमारी मां-बहनें जो गांवों में रहती है, वे शाम का इन्तजार करती है । वह शाम का इन्तजार इसलिए करती है कि जब शाम होगा, तब कहीं हम पर्दे में जाकर शौच करेंगी लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो शौचालय योजना लाये हैं , उस शौचालय योजना के तहत लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हरेक घर को, हरेक परिवार को शौचालय से जोड़ा जा रहा है । इसके तहत एक अनुमंडल 9 प्रखंड और 204 पंचायत शौचालय युक्त हो चुका है । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । इतने कम समय में इतना बड़ा एचिवमेंट प्राप्त कर लिया गया है । हम समझते हैं कि आने-वाले पांच वर्षों में सभी घरों को शौचालय से युक्त कर दिया जायेगा और हर घर शौचालय युक्त हो जायेगा । यह हमारे महागठबंधन की बहुत बड़ी उपलब्धि है । महोदय, खुले शौच से मुक्त कर दिया जायेगा । अगला हमारा सात निश्चय का कार्यक्रम है हर घर को नल से जल, उसके तहत बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है और सभी घरों को नल से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया है और इसकी कार्य योजना शुरू

हो गयी है । इसी पिछले सितम्बर 2016 में इसका शुभारंभ कर दिया गया है । हम समझते हैं कि बहुत तेजी से हरेक घर को नल के जल से आच्छादित कर दिया जायेगा। अभी तक 8391 ग्राम पंचायतों को और 140 नगर निकायी में लागू किया जायेगा । महोदय, हम बताना चाहते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य टोला जितने भी हैं उसमें सौर्य ऊर्जा चालित पंप के साथ 256 मिनी पाईप जलापूर्त्ति योजना को पूर्ण किया गया है । कुल मिलाकर 305 योजना पर कार्य चल रहा है, जिसमें 256 योजनाओं का कार्य सम्पन्न हो चुका है और चालू हो गया है । इस तरह से यदि देखते हैं तो बिजली की दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाय, वह बहुत कम है । बिजली हरेक गांव को, हरेक घर को बिजली पहुंचाया जा रहा है, इसके तहत अब गांव में भी 24 घंटे बिजली मिल रही है । कम-से-कम 20 घंटे तो हरेक गांव में बिजली मिल रही है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । मैं बताना चाहता हूँ कि जो मनरेगा के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत अभी तक 18 लाख 96 हजार परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है । हम विपक्ष के साथियों से जानना चाहते हैं कि मनरेगा में पहले मिलता था केन्द्रांश 90 परसेंट , राज्यांश मिलाया जाता था 10 परसेंट, अब उसमें कटौती कर दी गयी क्या तो केन्द्रांश 75 परसेंट और राज्यांश 25 परसेंट, यह गरीब राज्यों के साथ बहुत बड़ा मार है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री भोला यादव जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री भोला यादव : मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रधानमंत्री जी से इस दिशा में कहिए कि जो पूर्व में लागू था, उसको पुनः लागू करें ।

सभापति : अब समाप्त करिए भोला बाबू ।

श्री भोला यादव : दो मिनट में समाप्त करता हूं । इंदिरा आवास योजना जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, उसमें लाखों-लाख घर बिहार में बना, उसमें पहले केन्द्रांश हन्डरेड परसेंट था, अब उसको घटाकर केन्द्रांश हो गया 60 परसेंट और राज्यांश हो गया 40 परसेंट । इसके बावजूद भी हमलोग वर्ष 2016-17 तक में 5 लाख 27 हजार 787 आवास का निर्माण कराये हैं।

...क्रमशः....

टर्न-15/शंभु/16.03.17

श्री भोला यादव : क्रमशः........मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। जीविका दीदी को संगठित करके, गांव

की महिलाओं को संगठित करके जिस तरह से स्वरोजगार योजना चलाया जा रहा है, महिलाएं अपने पैर पर आत्मनिर्भर हो रही हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ.....

सभापति(डा0अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भोला यादव : मैं एक दो बात अपने क्षेत्र से रीलेटेड माननीय मंत्री जी से रखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ माननीय मंत्री जी सभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत दो प्रखंड का बनना जरूरी है, चूंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से नदी की सात धाराएं हमारे क्षेत्र के बीचोबीच से गुजरती है। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री बड़े भाई श्री श्रवण कुमार जी से आग्रह करेंगे कि एक सोनकी में दरभंगा सदर और बहादुरपुर के कुछ हिस्सा और बेनीपुर के कुछ हिस्से को काटकर सोनकी में एक प्रखंड बनावें और दूसरा मब्बी पर जो कि बहादुरपुर का कुछ हिस्सा, केवटी का कुछ हिस्सा और सदर का कुछ हिस्सा काटकर तीनों को मिलाकर दो प्रखंड का सृजन करावें। इस दिशा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी उस समय प्रस्ताव आया था और वह प्रस्ताव शायद सचिवालय के दस्तावेज में पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि अविलंब उस दिशा में कार्य करके उन दोनों प्रखंड का निर्माण करावें। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अभय कुमार सिन्हा : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदानों के मांग के पक्ष में और विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, माननीय विकास एवं विश्वास पुरूष श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग में सकारात्मक बदलाव आया है। महोदय, आवश्यक मूलभूत सुविधाएं गांव तक हमारे पहुंचे इसके लिए चिंतित थे, आज महागठबंधन की सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस सोच को हर घर तक पहुंचाने का कार्य कर चुके हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और महागठबंधन सरकार के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। महोदय, सात निश्चय योजना सरकार की यह कोई योजना नहीं है, बिहार की जरूरत थी, बिहार के अवाम की जरूरत थी और इस जरूरत को हमारे नेता ने समझा और चुनाव में जाने के पूर्व महागठबंधन जब बना तो उन्होंने घोषणा किया कि अगर हम सरकार में आऐंगे तो इस सात निश्चय को हम धरातल पर लायेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा मैंने भी बहुत सारी सरकारें देखी है, अभी भी देश में अनेकों प्रदेशों में विभिन्न पार्टियों की सरकार चल रही है, लेकिन बिहार वह पहला राज्य है जो चुनाव के पहले किये गये वायदों को सरजमीन पर एक साल में उतारने का काम किया है। मेरे समझ से यह पहला राज्य है......व्यवधान आपको नजर आयेगा महोदय और मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि आनेवाले समय में जब सात निश्चय पूरा होगा तो सबसे पहले क्रेडिट लेने के लिए भी आप ही दौड़ियेगा- क्रेडिट

मत लीजिएगा पता चल जायेगा कि कहां काम हो रहा है। महोदय, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान निश्चय के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चलाया जा रहा है, सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। सरकार तकरीबन 1430 पंचायतों में 4 लाख 37 हजार व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में भी 60310 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। वहीं 29 सामुदायिक शौचालय, 1 अनुमंडल, 9 प्रखंड एवं 204 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बना दिया गया है। यह सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महोदय, हमारी आधी आबादी महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जीविका के तहत अब तक 70 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। स्वयं सहायता समूह का गठन- अब तक 5 लाख 66 हजार समूह बन गये हैं। 3 लाख 93 हजार समूहों के बचत खाते खोले गये हैं। 3 लाख 7 हजार समूहों को अब तक बैंक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। महोदय, यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। आज जब हमलोग गांव ग्राम में जाते हैं और हमारी महिलाएं गांव के चौपाल पर या किसी भी दलान में बैठकर समूह में मंत्रणा जब करती रहती हैं तो देखकर मन प्रफुल्ल हो जाता है, मन प्रफुल्ल होता है कि आज हमारी गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर है। आपस में मंत्रणा करती हैं कि हम किस योजना को अपने स्तर से उतारे, हम कौन सा ऐसा व्यापार करें ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, यह देखकर के.........

सभापति(डा0अशोक कुमार) : अब आप कंक्लूड कीजिए, अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री अभय कुमार सिन्हा : आपने हमें समय दिया, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि स्मार्ट शहर की बात कर रहे थे। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारे हैं अरूण बाबू बता रहे थे, पटना की बात बता रहे थे, यही पटना मैंने देखा है ये इको पार्क, कंकड़बाग का पार्क हो चाहे किसी भी कोने में चले जाइये जब हम पार्क देखते हैं तो वहां पर सुबह शाम खुशहाली पूर्वक हमारी बिहार की अवाम खुशी से वहां पर चैन की हवा लेते हैं। यह है हमारा स्मार्ट सिटी और सात निश्चय के मार्फत आनेवाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे बिहार की अवाम माननीय मुख्यमंत्री जी के निश्चय पर बिहार की हमारी अवाम निश्चिंत है कि विगत चार वर्षों में ये निश्चय पूरा हो ही जायेगा उसके लिए बिहार की अवाम निश्चिंत है। हम एक आग्रह माननीय महोदय से करना चाहेंगे हम अपने ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री महोदय से टेकारी विधान सभा क्षेत्र से हम आते हैं। टेकारी प्रखंड का जो कार्यालय है और उसमें जो आवासन की व्यवस्था है वह विगत आजादी के पहले का वह भवन बना हुआ है, बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है उस ओर ध्यान अगर देंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा टेकारी विधान सभा क्षेत्र के लिए-बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।

टर्न-16/अशोक/16.03.17

श्री मदन मोहन तिवारी : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य के बजट भाषण के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, बिहार सरकार के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं ग्रामीण विकास के मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी के अध्यक्षता में गांव का जो सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था उसको साकार करने का काम किया है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महागठबन्धन की सरकार ने सात निश्चय को अमलीजामा पहनाने के लिए जो कार्य, दृढ़ संकल्प किया हैं, वह हिन्दुस्तान के किसी राज्य के पास, राज्य में कार्य करने की शक्ति नहीं हैं । सात निश्चय में पूर्ण शराबबन्दी, इससे हमारे गांव में जो शांति एवं घर के अन्दर में पारिवारिक कलह, हिंसा समाप्त हुआ हैं वह इसका परिणाम है। महोदय, आज हमारे बिहार में सड़क दुर्घटना, डकैती, चोरी, रंगदारी का मामला प्राय: शून्य के बराबर है । हमारी मातायें बहने अमन चैन से अपे घर में जीवन बसर करती हैं । महोदय, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बिहार के सभी नौकरियों में हमारे सरकार के द्वारा सभी वर्ग की महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देकर के उसके आत्मबल बढ़ाने का काम किया गया है । महोदय, पंचायती राज व्यवस्था में सभी वर्ग के महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और नगर निकाय में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया गया है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पक्की नाली एवं गली का कार्य शुरू होने जा रहा है जो अब गांव भी शहर की तरह दिखलाई पड़ने लगेगा । महोदय, हर घर में नल का जल महागठबन्धन सरकार की अदभुत सोच का परिचायक हैं । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय में हर घर में बिजली कनेक्शन एवं 24 घंटा बिजली देकर पूरे भारत में बिहार सरकार ने अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया है । महोदय, बिहार सरकार के सात निश्चय संकल्प कर रखा है कि बिहार में जितने बसावट 100 से 249 के आबादी वाले टोले, बसावट हैं उनको बारहमासी सड़कों से 2020 तक जोड़ने काम काम किया जायेगा, इसके पक्ष में बिहार सरकार के मंत्री माननीय शैलेश बाबू की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को चिट्ठी भी निर्गत कर दिया गया हैं, इससे हमारे गांव में रहने वाले बिहारवासी भी शहर का आनंद ले सकेंगे । महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत गांव के सभी तालाबों का सिढ़ी के माध्यम से सौंदर्यीकरण करने का आदेश दिया हैं जो अपने आप में अति सुंदर विषय हैं । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारियों को उनके पौत्री, नातिन के शादी में 51 हजार रूपया का भुगतान करने का निर्णय लिया हैं साथ ही जे.पी. सेनानी सम्मान योजना के

तहत अब तक 3117 सेनानियों को पेंशन स्वीकृत किया है । महोदय, महागठबन्धन की सरकार द्वारा युद्ध एवं युद्ध जैसी परिस्थित में बिहार निवासी यदि कोई शहीद होता हैं तो उनके आश्रितों को 11 लाख रूपया अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है । महोदय, महागठबन्धन की सरकार ने सूचना के अधिकार के द्वारा निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक के भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़वाने के लिए, रोकने के लिए जो अधिकार दिया है वह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है । महोदय, बिहार सरकार ने 2016 में उच्च न्याययिक सेवा और जिला न्यायाधीश के पद पर आरक्षण का जो प्रावधान किया है, उससे हमारे बिहार के शोषित, दलितों को इसका लाभ मिलेगा । महोदय, महागठबन्धन की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज, नगर निकाय और प्रारम्भिक शिक्षक की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का सरकार ने निर्णय किया है । महोदय, इसके अलावे महिला पुलिस थाना की स्थापना, 35 प्रतिशत आरक्षण कांस्टेबुल में और थाना में पुलिस बल में देने का जो सरकार ने निर्णय लिया है वह काफी सराहनीय है । महोदय, हमारे महागठबन्धन की सरकार ने जीवकोपार्जन के तहत राज्य में 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन करने का लक्ष्य हैं, जिसपर लगभग 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं की भागीदारी होगी ।

सभापति(डॉ अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करिये ।

श्री मदन मोहन तिवारी : कुछ क्षेत्र की समस्या है, मैं गामीण कार्य विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंझोलिया प्रखण्ड हैं, जो लगभग 29 पंचायत का हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे विधान सभा में 18 पंचायत आता है उसका एक लालसरिया ब्लौक बनवा दिया जाय । दूसरा गामीण कार्य विभाग के मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि मझवलिया प्रखण्ड के बखरिया से कारामोरा तक जो प्राक्कलन बनकर ऑफिस में आ गया हैं उसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाय। सभापति महोदय, मुझको बोलने का समय देने के लिये धन्यवाद ।

श्री राजीव नंदन : सभापति महोदय, श्री अरूण कुमार सिन्हा माननीय सदस्य के द्वारा उपस्थापित कटौती प्रस्ताव के समर्थन करने तथा माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो मांग पेश की गई है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज बिहार राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी गांव परिवेश में जीवन जीने को मजबूर हैं और जी रही है । गांव की बात जैसे ही दिमाग में आती है तो दिमाग में एक भयावह चित्र उभरने लगता है, चारों और अभागग्रस्त जीवन जीने के मजबूर लोगों के जीवन सुधार कर खुशहाली लाने का जिम्मा अगर किसी एक विभाग में है तो वह ग्रामीण विकास विभाग पर है । ग्रमीण विकास विभाग ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणवत्ता और सुधार लाने के लिए ग्रमीण क्षेत्रों में होने वाले समग्र विकास को अभिव्यक्त करता

है। आज सारा बिहार प्रदेश भ्रष्टाचार, पक्षपात, बेईमानी, अयोग्यता, हत्या, लूटपाट बलात्कार आदि कारणों से इतना लाचार प्रदेश हो गया है, इतना लाचार प्रदेश बन गया है, इसलिए जब तक एक सच्चा, सुयोग्य और सुदृढ़, सक्षम, चरित्रवान प्रशासन नहीं रहेगा तबतक आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान की गारंटी नहीं दी जा सकती है । इस संदर्भ में सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना है कि हमारा सार्वजनिक प्रशासन सुन्दरतम, सक्षम चरित्रवान होना चाहिए लेकिन वास्तविकता देख कर हमें निराशा होती है । अपने बिहार के सार्वजनिक प्रशासन को देख कर हमारी व्यवस्था में गुणों से भरा होना चाहिए या अवगुणों से ? बेईमानी से भरा हो या इमानदारी से? निष्पक्षता से भरा हो या पक्षपात से ? योग्यता से भरा हो या अयोग्यता से ? सदाचार से भरा हो या भ्रष्टाचार से ? सभापति महोदय, आज आपके सामने आपके माध्यम से सरकार को इन कसौटियों पर हम नहीं कसेंगे तो हम सबों का यानी पूरे सदन का जो उद्येश्य है हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं । क्रमशः

टर्न-17/16.3.2017/बिपिन

श्री राजीव नंदन : क्रमशः ... आज जो सुशासन बाबू का जो प्रशासन है वह निकम्मा है, इनका निकम्मापन स्वयं सरकारी आंकड़ों में दिखाई देता है । वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित राशि में से मात्र 33 प्रतिशत् राशि इन्होंने खर्च किया है । क्या होगा 64 प्रतिशत् का ? 66 प्रतिशत् का आप क्या करेंगे ? इन दो महीनों में लूटपाट मचाएंगे ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रशासन तंत्र निकम्मा नहीं, निष्क्रिय नहीं, अयोग्य नहीं, असक्षम नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो क्या है ? यह सरकार बताए । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण के लिए राज्य सरकार अनेक योजनाएं चलाती है । उन योजनाओं में से कुछ पर चर्चा करना चाहूंगा । जीविका की बहुत बड़ाई हो रही है। जीविका बहुत अच्छा काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में । इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है । जीविका बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन 2013 तक जीविका को डेढ़ करोड़ परिवारों को 10 लाख स्वयं सेवी समूह में बनाना था लेकिन बनाया क्या, पांच लाख संतावन हजार । क्या होगा जो बाकी बचे हुए आधे परिवारों का ? आधे स्वयं सेवी समूहों का ? आपको बनाना था ग्राम संगठन 65 हजार, आपने बनाया क्या ? 32,431 मात्र । क्या होगा आगे का ? आपको संपूर्ण स्तरीय संघों में 1600 बनाना तो आपने बनाया क्या, 365 मात्र । 1600 में 365 । क्या होगा शेष 1244 का ? कब बनाएंगे ? जीविका का अभी भी हम पुरजोर समर्थन करते हैं । ऐसे संगठनों का काम ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए । लेकिन उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, उसमें व्याप्त तानाशाही को दूर करना इस सरकार का भी काम है । आपको भारत सरकार से भी गाइड लाइन आया है कि जीविका में भ्रष्टाचार व्याप्त है । मेल पर उपलब्ध है । लेकिन पदाधिकारी कोई

कार्रवाई नहीं करते हैं । आपको जीविका में जितने भी आवेदन पदाधिकारियों के विरूद्ध में आते हैं, जो आवेदनकर्त्ता हैं, उसके विरूद्ध में आप कार्रवाई करते हैं, उसका ट्रासंफर कर देते हैं, उसका पोस्टिंग कर देते हैं । क्या यही है ? मैं आपको एक पत्रांक देता हूं, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार का ज्ञापांक जी 321 दिनांक 13.5.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को लिखा गया है । शिकायत करने पर आजीविका परियोजना के पदाधिकारी द्वारा धमकी दिया जाता है और कहते हैं कि आयोग में दिए गए शिकायत को वापस लो नहीं तो निकाल दिया जाएगा । क्या बात है ? एक अनुसूचित जाति की महिला करती है । यह क्या है ? यह स्थिति है जीविका का ? जीविका में व्याप्त भ्रष्टाचार इस बात से पता चलता है कि बिहार राज्य के कार्यालय द्वारा जारी वित्तीय अनियमितता संबंधी कुल 16 पत्र, जिसपर स्पष्टीकरण अपने ही विभाग में अपने पदाधिकारी से पूछते हैं । क्या कार्रवाई आपने किया ? सब लिप-पोत कर बराबर कर दिया ? अनेक पत्रांक है । यह प्रदीप कुमार के आवेदन में वर्णित है । आपने क्या किया? प्रदीप कुमार को प्रताड़ित करने दिया । हम जीविका के कार्य पर उसमें जो भ्रटाचार व्याप्त है, जो तानाशाही व्याप्त है, उसको दूर करने का समय इस सदन को आ गया है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): समाप्त कीजिए आप ।

श्री राजीव नंदन : एक मिनट सर । जीविका की मनमानी । स्टेट लेवेल ग्रिवांस कमिटी की बैठक 22.11.16 को होती है । उसमें निर्णय में लिखा गया है कि 'आफ्टर हर ट्रांसफर वाज इशुड शी स्टार्टेड रेजिंग अंडर वेरियस इशुज इन्क्लुडिंग एप्लीकेशन अंडर आर.टी. आई', क्या मतलब है ? हमने आपके सदन को माननीय मंत्री को आज इस सदन में चैलेंज करना चाहते हैं कि उसका स्थानान्तरण बाद में हुआ, आर.टी.आई. उन्होंने पहले की थी और उसको प्रताड़ित करने के लिए आर.टी.आई. की, उसका स्थानान्तरण कर दिया गया ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): अब समाप्त कीजिए ।

श्री राजीव नंदन : और इस तरह से सैकड़ों मामले हैं हमारे पास । मैं सदन को प्रोपर्टी दूंगा । सदन में उन सारी बातों को रखा जाए । हमारे पास जो समय है, उसमें मैं नहीं कह सकता हूं।

ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री, चूंकि इस विभाग का गिलोटीन इसमें किया जा रहा है, मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो संवेदक 2000 पहले में लेकर काम नहीं किए हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का और आज तक नहीं हुआ है, अब उनपर काम करने के लिए आपने चिट्ठी निकाल दिया । वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। लागत मूल्य बढ़ गया । जो संवेदक ने यह काम नहीं किया समय पर ....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : समाप्त कीजिए । हो गया ।

श्री राजीव नंदन एक मिनट सर । बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । जो संवेदक काम नहीं किया, समूचे बिहार का मामला है । जो संवेदक ने काम नहीं किया और उस संवेदक को उस पर केस कर उससे राशि जो लागत मूल्य पर रोड बनाने का, उससे वसूल करने का नियम बनाना चाहिए सरकार को कि आप लेकर भाग जाइएगा और समय पर काम नहीं कीजिएगा ....

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): ठीक है ।

श्री राजीव नंदन : और महोदय, यह काम हमारा, परैया में वैगो वन बड़हिया में, आज 2009 से सड़क लंबित है ...

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार):धन्यवाद । माननीय सदस्य राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव: सभापति महोदय, जनहित से जुड़े अहम् विभाग पर बोलने के लिए जो आपने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

आश्चर्य होता है हमें, भाजपा के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी का एक बयान मैंने पढ़ा था दैनिक समाचार पत्र में कि हमारे लोग गांव में नहीं बसते हैं, शहर में बसते हैं । मैं आज भी इस पेपर का कटिंग रखे हुआ हूं और इन्होंने कहा था आदरणीय सुशील मोदी जी ने कि हमारे लोग गांव में नहीं बसते, शहर में बसते हैं, और यहां लोग गांव की बात करते हैं । हम स्मार्ट सीटी का नहीं, हम गांव के गौरव की बात करते हैं। हम अपना गांव, मेरा गांव-मेरे देश की बात करते हैं और ये स्मार्ट सीटी, शाइनिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ।

सभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है और देश का विकास गांव के रास्ते से ही संभव है । डा0 राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा । स्मार्ट सीटी से देश का विकास नहीं होता है और महागठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्रीजी और उपमुख्यमंत्रीजी ने जो संकल्प लिया, जब इनलोगों ने स्मार्ट सीटी का पास किया, वोटिंग कराते हैं स्मार्ट सीटी के लिए तो हमारे मुख्यमंत्रीजी ने और उपमुख्यमंत्रीजी ने अपना गांव-अपना गौरव, मेरा गांव-मेरा गौरव का बात करने का निश्चय लिया और आज उसी गांव के विकास के निश्चय के लिए आज सात निश्चय का योजना प्रारंभ हुआ ।

(व्यवधान)

अरे भट्ठा बैठ गया । तीन वर्ष तो बीत गया । अब माननीय सदस्य ने कहा है तो कुछ बोलकर कब तक कामयाबी हासिल कीजिएगा ? अब तो यह नौबत आ गई कि आपलोग कहते हैं कि राम के लहर से बड़ा मोदी लहर, तो भगवान से ऊपर

आपलोग बैठ गए तो नाश तो होना तय है । माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो गांव के विकास के लिए योजना चलाई, रोजगार गारंटी योजना, जीविका समूह, इंदिरा आवास योजना, आज मैं कहना चाहूंगा कि आज जीविका से कितने परिवार जुड़े हैं । हमारे यहां, हमारे बिहार में 70 लाख परिवार आजीविका से जुड़ा है ... क्रमशः

टर्न : 18/कृष्ण/16.03.2017

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्रमशः) आज घर की महिलायें कामकाजी हो गयी हैं, घरों में धनोर्पाजन हो रहा है और गांव का, परिवार का, सब का विकास हुआ है । आज 8 लाख जीविका से जुड़े हुये लोगों का बीमा कराया गया । साढ़े पांच लाख समूह का गठन किया गया और इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ा । महिलाओं में जागृति हुई, समाज का, गांव का विकास हुआ । आज गांव की महिलायें कहीं भी जाकर रोजगार करती हैं उनको सस्ते दर पर ऋण मिलता है और आज गांव खुशहाल है ।

सभापति महोदय, रोजगार गारंटी का पैसा ही बी0जी0पी0वाले बंद कर दिये थे। महागठबंधन वाले ने हल्ला किया । ये तो रोजगार गारांटी योजना ही लागू करो बंद कर देते । चूंकि जब यूपीए की सरकार बनी, उस समय रोजगार गारांटी योजना लागू हुई। मजदूरों को काम मिला और उसमें इनलोगों ने पैसे की कटौती की, जिसके कारण बहुत से मजदूर बेकार हो कर घर में बैठ गये, जिससे लोगों के विकास का काम बाधित हुआ। महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह चाहूंगा कि मजदूरों को काम मिले, अगर मजदूरों के लिये रोजगार गारांटी योजना बनी है तो हमारे दशे के किसानों की हालत खराब हो गयी है । हमारे राज्य के किसानों की हालत खराब हो गयी । मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मजदूरों के लिये रोजगार गारांटी योजना लागू हुई, किसानों के लिये मजदूर गांराटी योजना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाय और वह मजदूर, जो किसानों के खेत में काम करेगा, उसका पैसा केन्द्र सरकार दे और किसान अपनी देख-रेख में उस मजदूर से काम कराये ताकि देश, राज्य और किसान तीनों का विकास हो । सभापति महोदय, आज बड़ी भयावह स्थिति है । किसानों को खेत में काम करने के लिये मजदूर नहीं मिलता है । अगर फसल तैयार हो गया तो उसको काटने के लिये मजदूर नहीं मिलता । रोजगार गारांटी का मजदूर अगर मजदूर गांराटी योजना के तहत किसानों के खेत में काम करना शुरू करे तो किसान खुशहाल होंगे, हमारा देश, हमारा राज्य विकास करेगा ।

सभापित महोदय, इन्दिरा आवास योजना, जब यूपीए सरकार थी तो उस समय 6 लाख इन्दिरा आवास बिहार में मिलता था । हमारे किसी साथी ने कहा है कि एक-एक पंचायत में 200, 400 इन्दिरा आवास आती थी । उस साल तक तो इन्दिरा आवास बंद ही कर दिया गया । दो, चार, पांच इन्दिरा आवास दिया गया । अब इधर जो

टारगेट हुआ है, हमको लगता है कि प्रत्येक पंचायत में 20 से 25 इन्दिरा आवास से ज्यादा नहीं मिलनेवाला है । 2 लाख 75 हजार का इन्दिरा आवास जो बिहार का था, उसको केन्द्र की एनडीए सरकार ने खत्म कर दिया । गरीबों का घर छिना, मजदूरों का काम छिना ।

(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : वह अपनी बात बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिये । आप का जब समय आयेगा तब आप बोलियेगा । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, हमारे सामने बैठे हैं माननीय पूर्व मंत्री श्री मो0 इलियास हुसैन साहब जी । इन्होंने एक कहावत कही थी जो मुझे याद आ गया ।

''अंधा चकाचौध का मारा,
क्या जाने इतिहास बेचारा ।''

इनके द्वारा कही गयी कहावत मुझे याद आ गयी :-

''शहर में रहनेवाले, स्मार्ट सिटी की बात करनेवाले,
गांव का हाल क्या जाने ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : आप का दो मिनट ही बचा है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा । चाणक्य एक महान नीतिकार थे, बुरा नहीं मानियेगा माननीय सदस्यगण, उन्होंने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा, उस देश की जनता भिखारी होगी ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदय, मेरी पार्टी का समय माननीय सदस्य को दे दिया जाय ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : दे ही रहे हैं ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, मैं एनडीए के साथियों से कहना चाहूंगा कि देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी ...

(व्यवधान)

एक मिनट बोलने दीजिये । चाणक्य ने कहा था ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : शांति शांति ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था सीना ठोक कर कि मैं गुजरात से आता हूं और मेरे खून में भी व्यापार है, अखबार में भी यह बात आयी थी, जापान में यह बात बोले थे तो मैं यहां कहना चाहता हूं कि चाणक्य की नीति यहां साबित हुई कि खून में व्यापार है, इसका मतलब कि वे व्यापारी हैं और नोटबंदी लागू कर के पूरे देश की जनता को भिखारी जैसे लाईन में खड़ा कर दिया ।

(व्यवधान)

ये लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं । पंजाब की बात को सोचिये । मणिपुर और गोवा में तो जनतंत्र का गला घोट दिये । जो बड़ी पार्टी है, उसको आप

आने नहीं दिये । अपनी ताकत का इस्तेमाल किये, पैसे का, नोट का इस्तेमाल किये । बड़ी पार्टी वहां कांग्रेस थी । अगर वह बहुमत साबित नहीं करती तब आप आते और यहां कहते हैं कि बधाई देना चाहिए । बधााई आपको क्या दें ?

(व्यवधान)

बोलने दीजिये । 1990 में बिहार में गरीब की सरकार बनी । 21वीं सदी के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने थे । 1991 में उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि गाय चरानेवाले, सूअर चरानेवाले, भैंस चरानेवाले पढ़ना-लिखना सीखो और उन्होंने ऐसा सामाजिक परिवर्त्तन किया था, आज वही सामाजिक परिवर्त्तन की देन है कि 1990 के पहले का यह सदन और 1990 के बाद का यह सदन, इसका मुआयना कर लीजिये । आपको लगेगा कि लालू प्रसाद जी ने क्या सामाजिक परिवर्त्तन किया है ।

सभापति महोदय, आदर्श ग्राम योजना, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यू0पी0 ने हमें गोद लिया और जब सरकार बनी एनडीए गठबंधन की, बड़ा-बड़ा पोस्टर लगा कर के आदर्श ग्राम चुनने के लिये कहा और हरेक सांसद ने एक-एक गांव को गोद लिया । तीन साल बीतने जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं । आप एक साल की बात करते है । कहते हैं कि नल से जल नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है तो आप पानी पीकर कैसे आये हैं ? चापाकल का तो वह भी सरकार का है । आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी सांसदों ने एक-एक गांव को गोद लिया और बीजेपी वाले बतायें कि बिहार में किस गोद लिये हुये गांव में एक इंट तक गड़वाने का काम किया है ।

(व्यवधान)

तीन साल बीतने जा रहा है और दुख की बात यह है कि वह गांव जिस गांव को इन्होंने गोद ले लिया उस गांव में विकास का काम बाधित हो गया । मुजफ्फरपुर जिला में...

(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इनको अपनी बात कहने दीजिये न । वह अपनी बात कह रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, मैं अपने क्षेत्र में गांव को गोद लिया हूं, वहां चल कर देख सकते हैं

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य आप जल्द ही अपनी बात खत्म कीजिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि सदन में जितने माननीय सदस्य उपस्थित है, हर समाज में आशा बहन है, सेविका है, सहायिका है, रसोईया है, वे काम कर रहे है लेकिन हमने जो बदत्तर स्थिति आशा बहन जी की देखी है, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में अगर कोई आदमी डिलीवरी के लिये जाता है तो आशा बहन उसके साथ अस्पताल जाती है । पूरे महीने

में अगर वह एक डिलीवरी करवाती है तो 200 रूपया और दो डिलीवरी करवाती है तो 400 रूपया मिलता है और इसके लिए दिन-रात एक कर के अस्पताल में अगोरती है । मैं आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आशा बहन, सेविका, सहायिका, रसोईया तमाम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाय ताकि महिला सशक्तिकरण की ओर जो सरकार कदम बढ़ा रही है, उसको बल मिले, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार कुशवाहा ।

टर्न-19/राजेश/16.3.17

श्री उमेश सिंह कुशवाहा: सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग पर हमें जो बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपके प्रति तथा अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, ग्रामीण विकास एजेंडा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जनता की आत्मा गॉवों में बास करती है और बिहार के लिए ग्रामीण एजेंडा और महत्वचपूर्ण है, क्योंकि बिहार की आबादी का 90 प्रतिशत लोग गॉवों में रहते हैं और आबादी का 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है या आश्रित है और गॉव ही हमारी मानवीय विकास का उत्तम साधन है । सभापति महोदय, जब किसान की उपज अच्छी होगी, तो निश्चित तौर पर खाद्यान की सामग्री होगी । सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण बाबू के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ चलायी जा रही हैं । कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, मूलभूत सुविधाएँ, पेयजल शौचालय, बिजली, आधारभूत संरचना, पुल-पुलिया, सड़क, गली, नली एवं शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा तथा सामाजिक न्याय के तहत यह जो हमारी सरकार है, उसमें कानून का राज स्थापित किया है । अब हमारी सरकार कह रही है कि :

''उठो मेरे किसान-मजदूर, गरीबों को जगा दो,
खाके गुमराह के दर-ओ-दीवार हिला दो,
अब रुक नहीं पायेगी 7 निश्चय,
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करके गरीबी को मिटा दो ।''

सभापति महोदय, इसी उद्येश्य से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय का संकल्प लिया है और इसे 7 निश्चय से जोड़ा है, खास करके युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, उसे सक्षम बनाने के लिए, कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । आज हम विकास के अग्रसर है चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सरकार संकल्पित है, चाहे सामाजिक परिवेश हो या आर्थिक परिवेश हो, उसमें सकारात्मक बदलाव आया है और हमारे ग्रामीण

विकास विभाग से गॉवों तक विकास पहुंची है लेकिन अब सरकार चाहती है कि घर-घर विकास हो, इसलिए 7 निश्चय के तहत शौचालय निर्माण घर का सम्मान, लोहिया स्वच्छता मिशन द्वारा चलायी जा रही है । इस निश्चय के तहत खुले से शौच मुक्त एवं स्वच्छता के लिए बिहार के सभी घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है । मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना में सभी बसावटों को सम्पर्कता का लक्ष्य बनाया गया है, जिससे कि सभी घरों को पक्की सड़क तथा गली नली से जोड़ा जा रहा है तथा हर घर को नल का जल पहुंचाया जा रहा है । ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली घर-घर में पहुंचाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है, पहले हमारी बिजली पर र्दुदशा थी, पहले लोग कहते थे कि:

''देखो बड़े-बड़े लोगन के बिजली जलत रहल, धनवा होखत रहे सभ्य समाज,
किसान मजदूर देखके तरसन लागे, दिया बिना रहे घरवा अंधकार ।''

मगर सभापति महोदय, अब घर-घर बिजली मिलने से गरीब के टूटी मकान में भी बिजली जल रही है, वहीं झोपडी में भी बिजली जल रही है और इसी आशा एवं विश्वास के साथ ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो योजना चलायी जा रही है जैसे इंदिरा आवास योजना, मनरेगा योजना, जीविका, इसके संबंध में मुझे कहना है कि जो केन्द्र की सरकार है और उस योजना में जो कटौती की है और इसके बावजूद भी 2016-17 में 5 लाख 27 हजार 87 सौ का निर्माण कराया गया है और इंदिरा आवास योजना जो संचालित हैं, उसके तहत पक्का मकान वित्तीय वर्ष में अधिक बनाने की प्रक्रिया थी, मगर केन्द्र सरकार से राशि कटौती के बावजूद भी बिहार की सरकार गॉवों और पंचायतों में गरीबों की टूटी हुई झोपड़ियों को, पक्का मकान बनाने के लिए कृतसंकल्प है । महात्मा गॉधी सेतु, महात्मा गॉधी मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में अब तक 18 लाख 96 हजार परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है, जिसके फलस्वरुप 6 करोड़, 31 लाख, 59 हजार, मानव दिवस का सृजन किया गया है और इसमें महिलाओ, अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित-जनजाति की भागीदारी क्रमश: 43 और 26 प्रतिशत है । मुझे आशा है कि इन योजनाओं को सफल कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग संकल्पित है, जो काबिले तारीफ है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एवं माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी को बहुत ही बधाई देना चाहता हूॅं और मैं एक विनम्र निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो मनरेगा है, इस मनरेगा से जो कार्य का प्रावधान है, जिसके तहत जीविका से जुड़े अनेक योजनाऍं, जैसे भूमि पर बकरी शेड, कुकुर शेड, वृक्षारोपण जैसे कार्य किये जा रहे हैं, इसमें मेरा सुझाव होगा कि दो हजार क्षमता का मुर्गी फॉर्म बनाने का भी प्रावधान हो ताकि हमारे जो गरीब किसान हैं, जो कटठा, दो कटठा वाले किसान हैं, उसको भी इसका लाभ मिल सकें,

इसलिए इसको बनाने का प्रस्ताव सरकार लें, यह मेरा आग्रह रहेगा, विनम्र निवेदन रहेगा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने जो समय दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । जय हिन्द ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्या सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान: माननीय सभापति महोदय जी, मैं सदन में प्रस्तुत ग्रामीण विकास विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो मांग प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ और आपने मुझे जो मौका दिये हैं इसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ और आज गठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और कॉग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गॉधी जी एवं उपाध्यक्ष माननीय श्री राहुल गॉधी जी के नेतृत्व में बिहार में आज गठबंधन की सरकार है और यह गठबंधन की सरकार, मजबूती के साथ आज बिहार में काम कर रही है । सभापति महोदय, 7 निश्चय योजना जिस समय लागू हुआ, उस समय हमारे विधान सभा क्षेत्र में 7 निश्चय योजना को लागू करने का काम किया गया और यह सरकार बनने के बाद 7 निश्चय को धरातल में उतारने का काम किया है, जो काफी सराहनीय है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 7 निश्चय के तहत कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने जाने का काम किया और कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र में चाहे वह नल का जल हो, मनरेगा के तहत चाहे सड़क की योजना हो या हमारा राईस मिल, जो पैक्स के माध्यम से राईस मिल की जरुरत थी, उन्होंने देने का काम किया ।

टर्न-20/सत्येन्द्र/16-3-17

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान(क्रमशः): और वहां काफी उन्नति इस सरकार में हो रही है लेकिन हम ये कहना चाहती हूँ कि ग्रामीण कार्य जिस तरह पूरे बिहार में विकसित होकर के काम कर रही है सड़कों को जोड़ने का वह सात निश्चय में लिया गया है । आज हमारे इलाके में जो सड़क बालू में गड्ढे में तब्दील हो गया था उससे लोगों को बरसात के मौसम में काफी परेशानी होती थी लेकिन आज सात निश्चय के तहत जो काम शुरू हो रही है निश्चित तौर पर लोगों में एक उत्साह है हमारे क्षेत्रों में हमारे ग्रामीणवासियों में कि सात निश्चय में सड़कों को लाने से काफी तीव्र गति से काम चल रहा है लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, मेरे क्षेत्रों में कुछ ऐसी सड़कें है जैसे हमारे फलका ब्लौक के बेलगछी में वोट का बहिष्कार हुआ था, आज वहां सड़क नहीं है । हम माननीय सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि उस सड़क को भी जोड़ा जाय ताकि वहां के हमारा जो ट्राईबल इलाका है और उस

जगह लोगों को काफी परेशानी हो रही है बरसात के दिनों में, चाहे कोई बीमार पड़ता है तो उनके कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसीलिए हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी उसको अपने कार्य विभाग से जोड़ने का काम करे ताकि वहां के लोगों को साधन हो पाये और हमारे इलाके में जो एक पुल है वहां आज भी चचरी पे लोग चल रहे हैं वह चचरी कभी कभी धंस जाता है तो उसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भरसिया पंचायत के राजधानी गांव में एक पुल का निर्माण कराया जाय जिससे कि वहां के आवागमन में लोगों को साधन उपलब्ध हो पाये और लोग सही ढंग से चल पाये । महोदय, ग्रामीण विकास में जिस तरह कार्यों को प्रगति में ले जाया जा रहा है, चाहे वह आपका वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे सहायता समूह जो आज चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, केन्द्र सरकार में बहुत पहले 2014 से पूर्व ही सहायता समूह का निर्माण किया गया था और उस समय यू0पी0ए0 की सरकार थी उसी समय से सहायता समूह चल रही है लेकिन आज जो तीब्र गति से नजर आ रही है पंचायत स्तर पर निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण बाबू को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य गांव में कर रही है चाहे वह छोटी कुटीर उद्योग ही क्यों न हो, आज हमारे विधान-सभा में सहायता समूह के द्वारा मसरूम की खेती की जा रही है और उनका जो उत्पादन हो रहा है वह आज शहरों में बेचा जा रहा है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और हम चाहते हैं कि इस सदन के माध्यम से सभापति महोदय जी आपके माध्यम से कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देनी चाहिए। महोदय, जो प्रधानमंत्री सड़क की जो आज स्थिति है चाहे आप मनिहारी कटिहार ले लें, चाहे हमारे कोढ़ा विधान-सभा के 81 एन0एच0 है आज उसकी स्थिति जर्जर है, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में जाते हैं तो घुमा कर ले जाया जाता है ताकि ये रोड नहीं देख लें। इसलिए हम कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि एन0एच0 की जो आज हालत है वह पूरी बदतर है हम खुद जाने के लिए परेशान हो रहे हैं कि एन0एच0 में किस तरह जायें इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एन0एच0 की व्यवस्था सुदृढ़ की जाय । जो हमारे इन्दिरा आवास में कटौती हुई है आज गांव में हम यह चाहते हैं कि आज केन्द्र सरकार के द्वारा काफी कटौती की गयी है जो हमारे कांग्रेस की सरकार थी यू0पी0ए0 की गठबंधन की सरकार थी उस समय काफी इन्दिरा आवास को दिया जाता था जो आज नहीं के बराबर है इसीलिए एक चीज हम चाहते हैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जो पूर्व में इन्दिरा आवास बना था आज उसकी मरम्मति के लिए उनके पास पैसे नहीं है और फिर दोबारा नहीं मिल सकता है इसलिए उसे रिपेयरिंग के लिए कुछ अनुदान दिया जाय ताकि गरीबों को राहत मिले जिससे कि हमारा जो सपना बिहार में विकास, बढ़ता बिहार का सपना है

जबतक गरीब को हम लोग पूर्ण रूप से खत्म नहीं करेंगे, एक चीज में और धन्यवाद देना चाहती हूॅ इस गठबंधन सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि महिलाओं को जो आज 50 प्रतिशत पंचायतों में आरक्षण दिया है और सहायता समूह की महिलाओं, जीविका के महिलाओं के आह्वान पर उन्होंने शराबबंदी किया इसीलिए हम महिलाओं की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूॅ और एक चीज सर मैं कहना चाहती हूॅ अभी जो नौकरियों में खासकर लड़कियों को, बच्चियों को जो 35 प्रतिशत आरक्षण मिला है उससे वे काफी खुश नजर आ रही है और सरकार को धन्यवाद दे रही है, मैं उनकी तरफ से सरकार को और तमाम सदस्य को और सभापति महोदय को हमारे मुख्यमंत्री जी और गठबंधन की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती गायत्री देवी: सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लाये गये मांग प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूॅं । महोदय, बिहार में 80 प्रतिशत से अधिक आबादी गांव में रहती हैं जिनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न है । ग्रामीण विकास विभाग गांव में बसने वाले लोगों की गरीबी दूर करने, आधारभूत सुविधाओं को ठीक करने और गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने का काम करती है परन्तु बिहार सरकार यह काम नहीं कर पा रही है, सिर्फ अखबारों में घोषणा करती है। सभापति महोदय, पिछले विधान-सभा चुनाव में बिहार की जनता को सब्जबाग दिखाने का काम किया गया और सिर्फ ठगने का काम किया गया है । मनरेगा योजना से मजदूरों को 100 दिनों का काम गरीबों को उपलब्ध कराया जाता है जिसमें गरीबों को रोजगार मिल सके और रोजगार के लिए अन्य राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र से होने वाले पलायन को रोका जा सके परन्तु बिहार में ऐसा हो नहीं रहा है । महोदय पूरे बिहार में मिट्टी का कार्य जे0सी0बी0 जैसे बड़े मशीन से कराया जा रहा है जिसमें पूरा महकमा लगा हुआ है। सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत 2015-16 में राजबाड़ा पश्चिम पंचायत में 18 योजनाएं मिट्टी एवं वृक्षारोपण का लिया गया जो पूरी की पूरी 18 योजनाएं लूट योजना है और इसमें बड़े पैमाने पर राशि का गबन हुआ है । हम चाहेंगे कि इसकी जांच करा लीजिये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। यह तो उदाहरण के लिए बोल रही हूॅं। महोदय, ट्रेक्टर के नाम पर रू0 ले लिया गया है, एक ही व्यक्ति प्रखंड के मनरेगा कार्यालय में कार्यरत है और मजदूर का भी रू0 निकालता है, ट्रेक्टर का भी पैसा निकालता है उनके द्वारा पूरी तरह से सरकारी राशि का गबन किया गया है । महोदय, मनरेगा के माध्यम से 18 से 35 वर्ष के जॉब कार्ड धारकों का कौशल विकास कराने का प्रावधान किया गया था लेकिन सीतामढ़ी में कहीं भी यह कार्य नहीं हुआ है । महोदय, वर्ष 2016-17 में गरीबों के घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लक्ष्य मिला था घर बनाने के लिए उसकी अभी तक शुरूआत भी नहीं हई है अर्थात् एक भी घर नहीं बना है और साल का अंत हो रहा है और सरकार

कहती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। यह कैसी बिडम्बना है । महोदय, पिछले चार साल में इन्दिरा आवास योजना से 19 लाख घर बनाने की स्वीकृति मिली थी जिसमें 16 लाख घर अभी अधूरा पड़ा हुआ है जबकि भारत की सरकार ने इनको पूरा करने के लिए अलग से राशि देने का काम किया है । यह सरकार गरीबों के हितैषी नहीं है, गठबंधन में उठापटक चल रहा है महोदय काम नहीं हो रहा है। महोदय, 6 वर्ष पहले सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड में इन्दिरा आवास योजना में भारी गड़बड़ी हुई थी जिसे मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और मंत्री जी भी जानते हैं।(क्रमशः)

क्रमशः

टर्न-21/मधुप/16.03.2017

...क्रमशः...

श्रीमती गायत्री देवी : आज तक न गरीबों को घर मिला और न गबन किया हुआ रूपया सरकार के खजाने में आया जबकि माननीय मंत्री जी लाभुकों को घर बनवाने का आश्वासन दिये थे। जनता सब देख रही है कि आप गरीबों के कितने बड़े हितैषी हैं ।

सभापति महोदय, पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है जिससे बाहर में शौच जाने से मुक्ति मिले । बिहार में यह अभियान मंथर गति से चल रहा है, इसमें लोहिया स्वच्छता अभियान जोड़ दिया गया है। सिर्फ सीतामढ़ी जिला में जिला पदाधिकारी के मेहनत के कारण शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति पर है । बिहार सरकार को अन्य जिलों में ध्यान देना चाहिये, जो सरकार नहीं दे रही है । गरीबों का पेंशन भी साल भर से नहीं मिल रहा है ।

सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये हमें समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ ।

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार ।

श्री वीरेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं आज ग्रामीण विकास विभाग के बजट के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया है, इसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

महोदय, 80 प्रतिशत जनता गॉवों में रहती है, गॉवों का जबतक विकास नहीं होगा तबतक राज्य का और देश का विकास नहीं होगा । इसको मद्देनजर रखते हुये हमारे मुखिया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इलेक्शन के ही दौरान कहा था कि सात निश्चय का काम पूरा किया जायेगा जिससे गॉवों का विकास होगा, जिसके कारण आज

हमलोग यहाँ सदन में बैठे हुये हैं । गाँव के विकास के लिये सबसे पहले उसकी मूलभूत सुविधा के उपर ध्यान दिया जाना जरूरी है । जैसे– पेयजल, शौचालय, बिजली, गली का पक्कीकरण, सड़क का निर्माण, इत्यादि कामों को करना होगा तभी गाँव का विकास होगा ।

महोदय, मनरेगा के तहत करीब–करीब 15 लाख परिवारों को रोजगार का सृजन किया गया जिसके फलस्वरूप 476 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ । मनरेगा के तहत किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो इसके लिये हमारी सरकार ने उनके खाते में डायरेक्ट पैसा भुगतान करने का दृढ़ निश्चय लिया और उनको आधार बेस कार्ड से जोड़कर सब पेमेन्ट किया जायेगा । मनरेगा के तहत पहले केन्द्र और राज्य सरकार में 90 परसेंट और 10 परसेंट की राशि का प्रावधान था लेकिन उसको घटाकर केन्द्र सरकार ने 75 परसेंट कर दिया और राज्य को 25 परसेंट कर दिया । 18 अरब 95 करोड़ रूपया ड्यू था जिसमें 15 अरब 69 करोड़ रूपया दिया गया जिसकी वजह से 3 अरब 25 करोड़ रूपया आज भी केन्द्र सरकार के पास बिहार सरकार का बचा हुआ है, केन्द्र सरकार राशि देना नहीं चाहती है और राज्य के साथ रूख इनका ठीक नहीं है ।

जैसा कि आप देख चुके हैं कि शिक्षा विभाग में भी, कोऑपरेटिव विभाग में भी, अन्य विभाग में भी बिहार सरकार का पैसा केन्द्र सरकार के पास बाकी है । केन्द्र सरकार देने के पक्ष में अभी नहीं है, बिहार के साथ दोहरी नीति अपनाती है । ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा भी सड़क की योजना काफी तेजी से चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना है, ग्रामीण टोला सम्पर्क योजना है, इनसे टोलों में काम काफी तेजी से चल रहा है, इससे टोलों का विकास होगा, जो गाँव में इंटीरियर गरीब लोग बसे हुये हैं उनको मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है जिससे गाँव की तरक्की हो ।

बिजली के क्षेत्र में भी बिहार सरकार काफी काम कर रही है, गाँव–गाँव तक बिजली पहुँचाने का काम कर रही है, कनेक्शन देने के काम काफी किये गये हैं, ट्रांसफर्मर की बदली हुई है और अब करीब–करीब 20–22 घंटा बिजली गाँव में भी रहती है ।

हर घर को नल और पीने का जल – इसके तहत भी सरकार कटिबद्ध है और सरकार इसके उपर काम कर रही है और बहुत तेजी में काम का प्रोग्रेस है । केन्द्र सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार एक गरीब राज्य है और इस राज्य को आपने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया, विशेष पैकेज देंगे । विशेष पैकेज भी आपने नहीं दिया और विशेष पैकेज अगर दिये रहते, ये लोग पूछ रहे हैं कि काम में क्या प्रोग्रेस है, अगर विशेष पैकेज रहता तो जो पाँच साल का काम था उस काम को तीन साल में पूरा करके आपको दिखा दिया जाता ।

आपने लाया नोटबंदी । नोटबंदी के कारण प्रोग्रेस में बाधा आई । पैसा नहीं था, शादी-ब्याह नहीं हो सकता है, मजदूर को देने के लिये पैसा नहीं है, सड़क का निर्माण नहीं हो सकता है, किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता है । नोटबंदी से बाहर से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया । जितने मध्यम श्रेणी के कारखाने थे, बंद पड़े हुये हैं ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री वीरेन्द्र कुमार : हम कहना चाहते हैं कि सांसद कोटा से भी था कि पंचायत को गोद लिया जायेगा, वह भी नहीं लिया गया और किस-किस गॉव में किस पंचायत को गोद लिया गया, कौन सांसद लिये हैं, इसका पता नहीं है । मुख्यमंत्री ने तो इंदिरा आवास वाले में कहा कि जब कार्य पूरा हो जायेगा तो महादलित को उसके उपर से दो हजार रूपया देने के लिये उन्होंने घोषणा किया । इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद ।

श्री राज किशोर प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, सरकार के मंत्री के द्वारा लाये गये बजट के पक्ष में तथा विरोधी दल के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

सबसे पहले मैं विरोधी पक्ष के साथी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज कम से कम इस सदन में महात्मा गॉधी जी का नाम तो लिये, इसके लिये उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद । राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने कहा था - भारत की आत्मा गॉवों में बसती है । इसी गॉव के विकास के लिये, सुखद संयोग है कि हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी गॉव से आते हैं, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री गॉव से आते हैं, हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री गॉव से आते हैं । मुझे स्मरण है हाजीपुर की सभा में इस देश के महान सपूत स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जिस मंच पर भाषण दे रहे थे, मुझे भी उस मंच पर रहने का अवसर मिला था । उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति गॉव से आता है, चूँकि मैं गॉव से आता हूँ, मुझे मालूम है गॉव की पीड़ा और कष्ट, दूसरे लोगों को मालूम नहीं है । आज जो हमारी सरकार है इसके मुखिया विकास पुरूष श्री नीतीश कुमार जी गॉव से आये, ग्रामीण कार्य मंत्री गॉव से आये, ग्रामीण विकास मंत्री गॉव से आये, इसीलिये इतना बेहतर बजट प्रस्तुत किया गया है ।

..क्रमशः...

टर्न-22/आजाद/16.03.2017

.... क्रमशः .....

श्री राजकिशोर सिंह : अभी जो बजट लाया गया है, इसमें गांव और गरीबों को सामने रखकर के सारा निश्चय किया गया । इसमें खासकर के 7 निश्चय पर हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है । 7 निश्चय चन्द अल्फाज नहीं हैं, जिस दिन 7 निश्चय का काम पूरा हो जायेगा, उस दिन गांव का तस्वीर और तकदीर बदल जायेगी । महोदय,

जी0टी0ए0एस0एन0वाई0 के तरफ हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी का ध्यान गया । मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, गांव में बसावट किन लोगों का है, जहां तक सड़कें नहीं हैं । वहां पर कौन लोग बसे हुये हैं, डेमोक्रेसी में सरकार जनता के लिये होती है और वह सरकार जो अंतिम व्यक्ति के तरफ देखती हे, उसके लिए कुछ करती हे, सही मायने में वही डेमोक्रेसी की बेहतर सरकार होती हे । गांव में गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सड़क पर नहीं बसा हुआ है । कौन लोग बसे हुये हैं, यही लोग बसे हुये हैं, बड़े लोग बसे हुये नहीं हैं । मैं आपको बहुत विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब गांव में गरीब लोग बसावट में बसे हुये हैं, उनके घर जब दुल्हन आती है । प्रथम बार ससुराल आती है तो दुल्हन को सड़क पर उतरना पड़ता है, जो आधा कि0मी0 दूर है । धूल लगाकर के, कीचड़ लगाकर के पहले-पहले ससुराल में प्रवेश करती है । उस बेटी के दर्द को समझिये और जब घर में से बेटी विदा होती है और जब प्रथम बार ससुराल जाना चाहती है तो कादो, कीचड़ और धूल लगाकर जाना पड़ता है । हमारी जो सरकार है, हमारे जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, हमारे जो मंत्री हैं शैलेश कुमार जी, हमारे जो मंत्री हैं श्री श्रवण कुमार जी, इनका ध्यान वहां गया । बहुत कम लोगों का वहां ध्यान जाता होगा और गया होगा । महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इन्सान झोपड़ी में पैदा लेता है, झोपड़ी में बड़ा होता है और एक समय आता है कि झोपड़ी में ही वह दुनिया छोड़कर चला जाता है और आज इस दुःखद सपना को सही मायने में उसके दुःख-दर्द को दूर करने के लिए हमारे नेता कृतसंकल्प है लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री का ध्यान इन गरीबों के तरफ नहीं है .....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राजकिशोर सिंह : महोदय, अगर प्रधान मंत्री का ध्यान इन गरीबों के तरफ होता तो आज बुलेट ट्रेन के लिये 98हजार करोड़ रू0 दो घंटा बचाने के लिए बड़ों लोगों के लिए खर्चा करना चाहते हैं । लेकिन आज इंदिरा आवास में राज्यांश में बढ़ोतरी किया गया । उनका ध्यान गरीबों पर नहीं है, अगर गरीबों पर होता तो इस तरह का काम कभी नहीं करते । महोदय, मैं सदन में विरोधी पक्ष के नेता से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी कूर्पूरी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने बिहार की गरीबी और गुरवत को रखने का काम किया और इनके समय में न विशेष पैकेज मिला और न विशेष दर्जा मिला । मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, आपने हमको बोलने का समय दिया, आपको और अपने नेता को और अपने मुख्य सचेतक के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा में हमलोग शामिल हुये हैं, सर्वप्रथम मैं इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । महोदय, इस विभाग का नाम ही है ग्रामीण विकास और यह बात सही है कि गांवों का विकास नहीं होगा तो न बिहार का विकास हो सकता है और न हिन्दुस्तान का विकास हो सकता है और हमलोग जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, इसमें से मेरा मानना है कि 90 प्रतिशत हमलोग यहां गांव से चलकर आये हैं । गांवों का विकास हो और गांवों की गरीबी दूर हो, इसके लिए जितनी सरकारें आयी, प्रयास की और मैं समझता हूँ कि यह सरकार भी प्रयास कर रही है । माननीय मंत्री जी के नियत पर मुझे संदेह नहीं है लेकिन सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि गरीबों के उत्थान के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए जो आपने बी0पी0एल0 की सूची बनायी है, उस सूची में इतनी गड़बड़ी है कि जिसको बी0पी0एल0 के सूची में शामिल होना चाहिए, वह बी0पी0एल0 की सूची से बाहर है और जिनको उस सूची में शामिल नहीं होना चाहिए, वह उस सूची में शामिल हैं । सरकार प्रयास करे और जो वाजिब हकदार हो, उनका नाम बी0पी0एल0 सूची में शामिल हो । इसके चलते लोगों के अन्दर आक्रोश है और हद तब हो गया कि बिहार सरकार भी कहती है और भारत सरकार भी कहती है कि बी0पी0एल0 का लाभ हम महिला के नाम से देंगे और जो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार सरकार ने बी0पी0एल0 की सूची जारी है, उस सूची में अनेक पंचायतों में महिला के जगह पर पुरूष का नाम दर्ज है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, पुरूष का नाम दर्ज होने के चलते भारत सरकार की महत्वपूर्ण उज्जवला योजना जो आज घर-घर में गैस का कनेक्शन भारत सरकार दे रही है, उसे बहुत सारे लोग वंचित रह जा रहे हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो सूची आप निर्गत किये हैं, जारी किये हैं , जिन-जिन जिलों में पुरूषों का नाम है, उस नाम को हटाकर उनके जगह पर महिलाओं का नाम दर्ज हो और गरीबों की सूची जारी कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम हर घर में गैस का चूल्हा जलायेंगे और गरीबों को रहन-सहन को बदलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं इंदिरा आवास के संबंध में कहना चाहता हूँ कि 2011-12 का इंदिरा आवास का पैसा गरीबों का सरकार के यहां बाकी है । हमारे माननीय सदस्य जाते होंगे, हम भी गांवों में जाते हैं, लोग भीख की तरह अपना पैसा मांग रहे हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप यदि गरीबों का

भला चाहते हैं, गांवों का विकास चाहते हैं तो जो गरीबों का पैसा बकाया है, उस पैसे को गरीबों के खाते में डालने का काम करिये । नहीं तो उनकी आह आप पर पड़ेगी और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मनरेगा के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि मनरेगा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सभी जिलों का दौरा किये और सरकार अपना पीठ थपथपा रही है कि हम यह काम कर रहे हैं, वह काम कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ, किसी भी पंचायत में चलें और देखें कि मनरेगा कि क्या स्थिति है, मनरेगा को लूट बना लिया गया है और मनरेगा को सारे आम लूटा जा रहा है, कहीं इससे गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है । गरीब बेचारा मारा जा रहा है और उसका प्रमाण है कि सरकार कहती है कि संयुक्त खाता जिसका होगा, उसका भुगतान हम नहीं करेंगे, इसके लिए एकल खाता चाहिए । आपने क्या किया, बिहार 3 लाख 18 हजार मनरेगा के मजदूरों का संयुक्त खाता है, एकल खाता आपने कितना खोला 0.22, कैसे भुगतान उनका होगा? महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने हमलोगों को पत्र सभी विधायकों को दिया था कि मनरेगा में आपलोग सभी योजनाओं को दीजिये । हमलोगों ने बड़ी तत्परता से योजना दिया और जिला में, जिला की बेठक में हमलोगों ने कहा कि पहला काम करिये कि जिला में जितना तालाब है, प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा से लीजिए । लेकिन सरकार कह रही है कि हम नल का जल देंगे, नीचे बोरिंग होगा, पानी का लेयर रोज भाग रहा है । जब हमारे तालाब में पानी नहीं रहेगा तो आपका नल जल भी फ्लोप हो जायेगा, आप किसी को पानी नहीं दे पायेंगे लेकिन आज तक कहीं काम नहीं लगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अशोक जी, आप एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, तीन मिनट बचा है माननीय सदस्य श्री गायत्री जी का ।

अध्यक्ष : जल्दी कह डालिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह : दूसरी बात कहना चाहूँगा महोदय, माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, महत्वपूर्ण सवाल है । अध्यक्ष महोदय, 11 जिला बिहार के आई0ए0पी0 जिला थे, तीन साल से वहां पर आई0ए0पी0 बन्द है । आई0ए0पी0 के चलते वहां मुख्यमंत्री सड़क योजना का काम बन्द है । न सड़क हमारी 11 जिलां में आई0ए0पी0 में बन रही है और न वह सड़क हमारी मुख्यमंत्री सड़क योजना से बन रही है ।

टर्न-23/अंजनी/दि0 16.03.2017

श्री अशोक कुमार सिंह...क्रमशः... : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप सरकार को बताइए कि जो 11 जिला, आई0ए0पी0 के 11 जिला हैं, उन जिलों में मुख्यमंत्री सड़क योजना चलायी जाय । तीसरी बात मैं वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में कहना चाहता हूँ,

गांव में जाइए, पुराने हमारे बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमलोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं, होली बीत गया, कितना पर्व निकल गया लेकिन आज तक उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला, वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं । यह सरकार उनको वृद्धावस्था पेंशन दे, हर हाल में दे । जहां तक शौचालय की बात है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, सरकार कह रही है कि जबतक एक गांव का शौचालय नहीं बन जायेगा..

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह : जब तक एक गांव का शौचालय नहीं बन जायेगा, तबतक सब का भुगतान नहीं किया जायेगा । जब एक गरीब आदमी शौचालय बनाता है तो उसके शौचालय का भुगतान होना चाहिए । सिर्फ एक बात मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि समय बर्बाद मत कीजिए केन्द्र की शिकवा शिकायत करके, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस दिन केन्द्र की मदद बंद हो जाय बिहार को तो आप जहां हैं, वहीं खड़े रह जायेंगे, कुछ नहीं कर पायेंगे । आप जो कर रहे हैं केन्द्र की बदौलत ही कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, श्री सुदामा प्रसाद जी, आपको दो मिनट में समाप्त करना होगा । चन्द्रसेन जी, जब आपको मौका मिलेगा तो बोलियेगा । आपका समय दो मिनट है ।

श्री सुदामा प्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया । महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोल रहा हूँ, इसलिए है कि जिनके बल पर खेत-खलिहान में हरियाली दिखायी पड़ रही है, जिनके भाई-बंधु दिल्ली, पंजाब जाकर बड़ी-बड़ी चिमनियों से धुआं निकाल रहे हैं, वे आज बड़े ही दुर्दिन से गुजर रहे हैं । यह बड़े ही दुःख की बात है कि लगातार कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की जा रही है । मनरेगा योजना चल रही है और हमलोग सुन रहे हैं कि जो 100 दिन काम का प्रावधान था, उसको 34 दिन करने जा रही है और उसमें भी मशीन का प्रयोग होगा । यह बिल्कुल ही निंदनीय बात है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि कम-से-कम साल में 200 दिन काम दिया जाय ग्रामीण मजदूरों को । अभी मजदूरों के साथ भूखमरी की स्थिति है, मजदूरों को 500 रूपया मजदूरी दिया जाय । मनरेगा में 2013-14 का प्रखंड सहार- खड़ांव चतुर्भुज, गुलजारपुर, कोरनडिहरी, एकवारी । तरारी प्रखंड का पनमारी, सिकरहटा कला । पीरो प्रखंड कातार, खननी कोथुआ, लहठान, अमेहता में दसों करोड़ रूपया बकाया है । वहां के प्रोग्राम पदाधिकारी कहते हैं कि यह वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, पैसा नहीं मिलेगा । हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि जिन मजदूरों ने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, उनके पेट पर लात मारना कहां तक जायज है । आप पैसा देने की व्यवस्था कीजिए । मजदूरों ने काम किया है, यह पैसा उनको मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : एक मिनट सर । ग्राम सभा करके योजनाओं का चयन करना है, लेकिन मुखिया, पंचायत सेवक, बी0डी0ओ0 मिलकर के अपनी योजना तैयार करते हैं । वही हाल इंदिरा आवास के साथ है । कोई ग्राम सभा नहीं होती है, बी0डी0ओ0 सूची सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, हम विधायक होकर सूची मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि इंटरनेट पर है निकाल लीजिए, तो क्या गांव का गरीब आदमी इंटरनेट खोलने के लिए जायेगा सूची देखने के लिए ? कई गांव ऐसे आ रहे हैं सहियारा है, भखुरा है, भवसेरा, कह रहा है कि चार साल से हमलोग दूसरा किस्त के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन दलाल घूसखोरी के चक्कर में पैसा नहीं दिला रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी ।

श्री सुदामा प्रसाद : एक अंतिम बात । शौचालय के बारे में, सामुदायिक शौचालय गांव में बनाया जाय, चूंकि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है ।

अध्यक्ष : तो आपका अंतिम बात शौचालय बनाया जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : शौचालय में ठीकेदार घुस गये हैं और वे कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो हम शौचालय बना देते हैं । तीन हजार का शौचालय बना रहे हैं और 12 हजार रूपया ठीकेदार उठा रहे हैं, तो इन सब चीजों पर रोक लगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी । सुदामा जी, अब आप बैठ जाइए, अब आपका हो गया ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं दो मिनट में सरकार को धरातल पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ चूंकि सरकार अधिकारियों के आंख से धरातल पर जाने का प्रयास कर रही है, जो विकास के लिए बाधक होगी ।

अध्यक्ष : अगर कोई क्षेत्र की बात हो तो कह दीजिए, समय डेढ़- दो मिनट बचा है ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूँगा । मैं नया सदस्य हूँ, मुझे बोलने के लिए आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमलोग सीखेंगे कहाँ ।

अध्यक्ष : दो मिनट का समय है ।

श्री राजू तिवारी : सर, थोड़ा बढ़ा दीजिए समय । महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, डेढ़ साल से मैं एम0एल0ए0 हुआ हूँ, मै ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में लिखित रूप में मंत्री जी से मिले भी हैं और बैठक में अपनी बात को रखा हूँ । बाहर की कम्पनी आयी, लगभग एक दर्जन रोड ईंट से जो सोलिंग हुआ था, ईंटीकरण हुआ था, उसको उखाड़कर बेच दी और आज तक रोड नहीं बना । उसमें गांव वालों का क्या कसूर है ? आज दो साल, तीन साल, चार साल हो गया, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार को इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जल्द-से-जल्द सरकार

इसका कोई रास्ता निकाले । रही बात शौचालय की तो अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, एक कॉडिनेटर हैं और एक बी0डी0ओ0 हैं, जिस-जिस पंचायत को हन्डरेड परसेंट शौचालय बनाने का लक्ष्य दिया गया है, वहां एक तरफ से शौचालय बन रहा है और दूसरी तरफ से जो शौचालय की लाईन खींच रहे हैं, वह पुनः ध्वस्त हो रहा है । मैं वहां पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूँ, नहीं तो आपकी योजना धरी-की-धरी रह जायेगी । भ्रष्टाचार इसमें कूट-कूटकर भर गया है । स्थिति यह है कि वहां पर कॉडिनेटर और बी0डी0ओ0 हर शौचालय पर ठीकेदारी कर रहे हैं और वे मिलकर ठीकेदार बन गये हैं । महोदय, एक मिनट । मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : यह अंतिम बात, जल्दी ।

श्री राजू तिवारी : तो शौचालय में लूट हो रही है । महोदय, अधिकारी जो हैं, उनपर लगाम लगाना जरूरी है । आज के डेट में नीचले धरातल पर भ्रष्टाचार बहुत भारी मात्रा में हो रहा है । जनता का मान-सम्मान नहीं रह गया है, सारे एम0एल0ए0 हैं लेकिन कोई बोल देता है, हमलोग स्वतंत्र हैं, हमलोग अपनी बात बोल देते हैं लेकिन सत्ता पक्ष चाहकर भी, कष्ट में रहते हुए भी नहीं बोल पाते हैं । तो नीचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, जो गरीबों को लूट रहे हैं, उस पर रोक लगाइए ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए । अब आप छोड़ दीजिए ।

श्री राजू तिवारी : एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ इंदिरा आवास पर, प्रधानमंत्री आवास पर, पहले विकास मित्र के माध्यम से कोई एक नया पद आया है, उसके माध्यम से लूट हो रही है । मैं आपके माध्यम से इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसपर सरकार नजर रखे ।

..... क्रमशः ....

टर्न-24/शंभु/16.03.17

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी 5 मिनट कम ही बोलेंगे तो क्या दिक्कत है?

अध्यक्ष : जल्दी-जल्दी बोलिये, आप समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं गरीब-दलित की बात बोलता हूँ बाकी मैं नहीं बोलता हूँ। इसलिए हमको तो थोड़ा प्रिवलेज दीजिए।

अध्यक्ष : जल्दी बोलिये।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं कहूंगा कि आज बजट है ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और श्रम विभाग का- माननीय तीनों मंत्री बैठे हुए हैं और सरकार इतनी लाचार है और मंत्री भी इतने लाचार हैं कि बजट- कि सरकार के मंत्री के

मौजूदगी में आधे घंटे प्रधान सचिव आये और दो आदमी तो अभी तक गायब हैं। हमलोग बात बोलेंगे कौन लिखेगा और क्या करेगा यह पता नहीं चलता है। श्रम मंत्री जी.....इसीलिए महोदय- हम कहना चाहते हैं कि सबसे स्थिति बिहार में दलितों, शोषितों की जो स्थिति है, बी0पी0एल0 का जो सवाल है इतना बद से बदतर है कि मुसहरी में जाकर देखें तो 19 नंबर पर मुसहरी का बी0पी0एल0 है, जिसका झोपड़ी नहीं है, जिसकी बहु-बेटियां, 8 साल की बेटियाँ कपार पर झाड़ू और बढ़नी लेकर मुसकैल के धान से अपने पेट की आग बुझाती है। उसके बी0पी0एल0 की स्थिति वह 19वां नंबर पर है, 15वां नंबर है, 18वां नंबर पर है और बिहार सरकार बी0पी0एल0 की बात करती है। दूसरा सवाल अध्यक्ष महोदय............

अध्यक्ष : अंतिम, बोल डालिये, जल्दी बोल डालिये।

श्री ललन पासवान : महोदय, इसलिए इंदिरा आवास की स्थिति आज भी वही है, संपूर्ण राज्य में क्योंकि बी0पी0एल0 का नया संशोधन हुआ तो गरीबों का, दलितों का, शोषितों का आज तक उसका मकान नहीं बना, जो बाकी है तो बाकी है। हमारे यहां जो इलाका है- मैं रिजर्व कन्स्टीच्वेंशी से आता हूँ चेनारी नौहट्टा सबसे आदिवासी और दलितों की आबादी बड़ी है। वहां नौहट्टा में ही ग्रामीण मंत्री बैठे हुए हैं, हमलोगों का पूरा जिला कैमूर रोहतास दोनों काट दिया गया है- नक्सल इलाका आइ0पी0एल0 में काट दिया गया है। 11 जिले काट दिये गये हैं। हमलोगों के यहां रोड बंद है, हमारे यहां पूरा नक्सल है, कई अफसरों पर हमला हुआ है, डी0एफ0ओ0 मारे गये हैं, कई पदाधिकारी मारे गये हैं, सैकड़ों गांव हैं आज आजादी के 70 वर्षों के बाद भी नायबपुर, हरनगरा, उदहनी, मुसहरवा टोला, हिरौली, जमुआ रोहतास में थुम्बा, देवीपुर ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो आज तक बसावट जिसकी बात कर रही है सरकार, दावा कर रही है आज तक यह गांव सड़कों से नहीं जुड़ा।

अध्यक्ष : चलिए समाप्त कीजिए। श्री शमीम अहमद दो मिनट में अपनी बात कह डालिये। अब आपका समाप्त हो गया, आप बैठ जाइये, अरे आपकी ग्रामीण विकास मंत्री से हमेशा बात होते रहती है, लिखकर दे दीजिएगा।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, आज मैं ग्रामीण विकास के बजट के पक्ष में एवं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, आज ग्रामीण विकास के बजट के पक्ष में मैं आया और विपक्ष द्वारा इसमें भी कटौती प्रस्ताव लाया गया यह निंदनीय बात है। अध्यक्ष महोदय, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की यह महागठबंधन की जब सरकार बनी तो उन्होंने खासकर के शहर के साथ-साथ गांव का विकास कैसे हो इसपर खास ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी को लेकर के यहां सात निश्चय की योजना जो बनायी गयी है। सात निश्चय योजना

बनाया गया है- आर्थिक हल युवाओं को बल और आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल से जल, हर घर तक पक्की गली नली, हर घर शौचालय, अवसर बढ़े आगे बढ़े। महोदय, आज ग्रामीण विकास का बजट जो लाया गया है खासकर के आज भी 80 से 90 परसेंट लोग देहात में रहते हैं और विपक्ष द्वारा हमारे केन्द्र द्वारा लगातार केन्द्रांश योजनाओं में कटौती होती जा रही है। यह बिहार को उपेक्षित किया जा रहा है। मैं अपने विपक्ष के भाइयों से आग्रह करूँगा कि ये लोग भी बिहार के विकास में रोड़ा नहीं बनकर के बिहार का विकास कैसे हो, कैसे बिहार विकास करे यह भी लगकर के केन्द्र से केन्द्रांश में जो कटौती हो गयी है उसको पूरा करायें। महोदय, आज मनरेगा में पहले 10 परसेंट बिहार सरकार को देना पड़ता था और 90 परसेंट केन्द्र से लिया जाता था, लेकिन अभी 25 परसेंट बिहार सरकार को देना पड़ता है और 75 परसेंट ही केन्द्र सरकार दे रही है, लगातार कटौती हो रही है, इंदिरा आवास में भी....

अध्यक्ष : अब आप अंतिम सुझाव दे दीजिए।

श्री शमीम अहमद : जी। 70 लाख परिवार जीविका में जुड़े हुए हैं। आज जो हमारे ग्रामीण विकास माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी द्वारा ढाई सौ से आबादी एवं 400 के लगभग टोला को भी रोड से जोड़ने का जो संकल्प लिया गया है, वह सराहनीय है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की जो सोच है- अच्छी बात है कि बुलेट ट्रेन चले, स्मार्ट सिटी बने, लेकिन केन्द्रांश द्वारा जो कटौती हो रहा है वह बिहार के हक में ठीक नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो सोच है- स्मार्ट गांव बने, अच्छी सड़कें बने, हर घर को बिजली मिले, हर घर को नल से जल मिले, हर घर नली गली मिले और 5 घंटे में बिहार में कहीं से भी पटना में हम पहुंचे। आपने मुझे टाइम दिया।

अध्यक्ष : शमीम जी, अब आप समाप्त करें। अब सरकार का उत्तर होगा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग।

सरकार का जवाब

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में विपक्ष और सत्तापक्ष के माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी, माननीय श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, माननीय श्री विनोद प्रसाद यादव जी, माननीय श्री राजेश राम जी, माननीय श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, माननीय श्री भोला प्रसाद यादव जी, माननीय श्री अभय कुमार सिन्हा जी, माननीय श्री मदन मोहन तिवारी जी, माननीय श्री राजीव नन्दन जी, माननीय श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी, माननीय श्री उमेश प्रसाद कुशवाहा जी, माननीय सुश्री पूनम पासवान जी, माननीय श्रीमती गायत्री देवी जी, माननीय श्री वीरेन्द्र कुमार जी, माननीय श्री राजकिशोर प्रसाद सिन्हा जी, माननीय श्री

अशोक कुमार सिंह जी, माननीय श्री सुदामा प्रसाद जी, माननीय श्री राजू तिवारी जी, माननीय श्री ललन पासवान जी और माननीय श्री शमीम अहमद साहब ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और बहुत बहुमूल्य सुझावों से ग्रामीण विकास विभाग को अवगत कराने का माननीय सदस्य ने काम किया है। माननीय अरूण कुमार जी बैठे हैं सदन में कटौती प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है और विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपेक्षा थी कि जहां 80 फीसदी आबादी गांव में निवास करती है उस विषय पर जब बहस हो रही है, चर्चा हो रही है तो गांव के विकास के बारे में, गांव की तरक्की के बारे में बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होंगे। महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ दो तीन माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं अशोक कुमार सिंह जी, सुदामा प्रसाद जी, ललन पासवान जी दो तीन विषय को बहुत ही गंभीरता से उन्होंने उठाया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील है। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की चर्चा सुदामा प्रसाद जी ने की है। ग्रामीण विकास विभाग ने मंत्री समूह की बैठक में भी हमने इस मामले को उठाया और अलग से भी भारत सरकार से पत्राचार किया कि मजदूरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए। माननीय अशोक सिंह जी ने कहा कि जो इंदिरा आवास बनाये जा रहे हैं उसमें गरीबों का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि सूची उपलब्ध करा दें और जिन अधिकारियों ने गरीबों के साथ गड़बड़ी की है, समय पर उसको राशि उपलब्ध नहीं करायी है उसपर सख्त कार्रवाई करेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। महोदय, ललन पासवान जी माननीय सदस्य कह रहे हैं बी0पी0एल0 में नाम नहीं है। जब बी0पी0एल0 में नाम जोड़ा जा रहा था– अब तो 2011 में सामाजिक आर्थिक जातीय आधारित जनगणना हुई है उसी आधार पर चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे राज्य सरकार की जो भी योजना...क्रमशः

टर्न–25/अशोक/16.03.2017

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : क्रमशः ... राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सारी योजनायें उस आंकड़े पर आधारित हैं महोदय । उस समय गरीबों के बारे में माननीय सदस्यों को चिन्ता करनी चाहिए, सोचना चाहिए और सरकार लगातार, सरकार की तरफ से अखबार में विज्ञापन, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से भी माननीय सदस्यों को अवगत कराया जाता रहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई चल रही हैं, इसमें आपको हिस्सा लेना चाहिये । महोदय भारत सरकार से हमने अनुरोध किया था कि सूची में कुछ नाम छूट गये हैं, कुछ गलत हो गये हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन भारत सरकार ने हमारे पत्र पर कुछ विचार नहीं किया महोदय और बगैर विचार किये हुये हमारे पत्र को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि हम नहीं मानेंगे जो गलती हो गई, जो छूट गये, जो अधिकार से वंचित हैं, जो लाभ से वंचित हैं,

वह वंचित रहेंगे यह भारत सरकार ने फैसला लिया और हमारे विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत कराया । महोदय, जब सात निश्चय की चर्चा होती है महोदय तो जैसे वह गांव में एक कहावत है महोदय कि 'लाल कपड़ा देखकर सांढ़ भड़कता है' उसी प्रकार से भाजपा के नेता लोग सात निश्चय का नाम सुनते ही भड़कने लगते हैं, भड़कते ऐसा हैं महोदय कि इनको तो भड़कना नहीं चाहिये, इनको सोचना चाहिए कि राज्य का विकास हो रहा है, राज्य की तरक्की हो रही है लेकिन ये भड़क जाते हैं महोदय चूंकि राज्य सरकार ने जो फैसला किया, महागठबन्धन की सरकार ने जो संकल्प लिया महोदय और विधान सभा के चुनाव से पहले बिहार की जनता के सामने जो कमिटमेंट किया उसको एक-एक करके लागू करने का हमारा कर्त्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है और हम चाहते भी हैं कि एक-एक करके लागू करें । महोदय, जब पांच वर्ष के बाद जब जायेंगे गांव में, इनको तो गांव से मतलब है नहीं, ये तो स्मार्ट सिटी वाले लोग हैं, ये शहर को सुंदर देखना चाहते हैं, गांव के लोगों की चिन्ता इनके मन में नहीं है, कुछ माननीय सदस्य हैं जो गांव की चिन्ता भी रखते हैं लेकिन उनकी आवाज दब जाती है । ज्यादातर लोग शहर की चिन्ता करने वाले लोग हैं महोदय, मैं बतलाना चाहता हूॅ कि सात निश्चय में एक निश्चय हमारा शौचालय निर्माण का है, उस शौचालय निर्माण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चल रहा है महोदय, इमने सभी माननीय सदस्यों को चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि शौचालय निर्माण का कार्य हो रहा हैं, आपका सहयोग चाहिये, हम सिर्फ शौचालय निर्माण का काम ही नहीं करते हैं महोदय, हम तो शौचालय निर्माण के लिए पैसा उपलब्ध कराते हैं, हम तो उनके आदत में बदलाव चाहते हैं महोदय, हम तो व्यवहार में परिवर्त्तन के लिए अभियान चलाते हैं उस अभियान में जनप्रतिनिधियों का सहयोग जब तक नहीं रहेगा तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती । माननीय सदस्य कह रहे थे कि लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लक्ष्य प्राप्त करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमारी कार्रवाई चल रही हैं, महोदय स्वच्छ भारत मीशन ग्रामीण के अन्तर्गत सभी बी.पी.एल. एवं कुछ चिन्हित ए.पी.एल. परिवार को शौचालय निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया हैं, लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किया हैं भारत सरकार ने उससे सम्पूर्ण बिहार को ओडीएफ नहीं किया जा सकता हैं, बाहरी शौच से मुक्त नहीं किया जा सकता हैं, इसके लिए नीतीश कुमार का विजिन चाहिये, नीतीश कुमर जी ने फैसला लिया, नीतीश कुमार जी, महागठबन्धन की सरकार ने फैसला लिया कि बिहार को बाहरी शौच से मुक्त करना हैं, जो बी.पी.एल. में हैं उनका भी शौचालय बने, जो ए.पी.एल. में हैं उनका भी शौचालय बने और जो दोनों में नहीं हैं उनका भी शौचालय बने तब बिहार को बाहरी शौच से हम मुक्त कर सकते हैं महोदय । महोदय, माननीय

मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महागठबन्धन की सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छ अभियान चलाकर बिहार को बाहरी शौच से 2019 तक मुक्त करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है महोदय । लोहिया स्वच्छ अभियान के जरिये राज्य में शेष ए.पी.एल. के परिवारों को 12 हजार रूपया राज्य के खजाने से देकर शौचालय निर्माण का काम कराया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में 2 करोड़ 13 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख परिवार के घरों में शौचालय नहीं है । यह राज्य के लिए बहुत ही चिन्ता का विषय हैं । राज्य सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है और युद्ध स्तर पर कार्य प्रारम्भ किया हैं, ग्राम्य पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति जिला पर्षद के सदस्य, प्रगतिशील लोगों का व्यापक जन समर्थन इस योजना में मिल रहा है और लक्ष्य के प्रति लगातर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं महोदय । महोदय, सदन को बताते हुये प्रसन्नता हो रही हैं कि जुलाई, 2016 से अब तक एक अनुमण्डल, 13 प्रखण्ड, 526 ग्राम्य पंचायत एवं 3 हजार से ज्यादा गांव को अब तक बाहरी शौच से मुक्त किया जा चुका है । मैंने तो सभी माननीय विधायक, विधान परिषद् के माननीय सदस्य, माननीय सांसद, माननीय जिला पर्षद के अध्यक्ष, प्रखण्ड प्रमुख, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, अन्य सभी प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत पत्र भेजकर लोहिया स्वच्छता अभियान को गति देने हेतु सहयोग की अपेक्षा की हैं । जनप्रतिनिधियों का जब तक व्यापक जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस बड़े अभियान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, राज्य के गंगा किनारे अवस्थित 12 जिलों में, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण, वैशाली- 61 प्रखण्डों के 307 ग्राम पंचायत के 437 गांव को खुले शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित हैं जिनमें से अब तक 170 गांव को खुले शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है एवं अन्य शीघ्र ही सभी गांवों को खुले शौच से मुक्त घोषित करने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई चल रही है महोदय । हम तो इस दिशा में काम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे राज्य की महत्वाकांक्षी जो योजना हैं महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा है कि जीविका योजना के बारे में आपको सदन में बताना चाहता हूॅ महोदय, जीविका का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है । उसे गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद करना है, जीविका के तहत अब तक 5 लाख 80 हजार स्वयं सहायता समूह राज्य में बनाये गये हैं महोदय । 5 लाख 80 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका हैं, 32 हजार 421 ग्राम संगठन 368 संकुल स्तरीय संघों का गठन किया जा चुका है, जिससे लगभग 71 लाख से अधिक परिवार सम्बद्ध हो चुके हैं, वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 5 लाख 80 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, आने वाले वर्षों में, 2018-19 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य है

एवं लगभग डेढ़ करोड़ परिवार को इस योजना में शामिल करके उनको सहायता पहुंचानी है और उनको अपने पैरों पर खड़ा करना हैं महोदय । रोजगार मुहैया कराना है, आत्मनिर्भर बनाना हैं । महोदय जीविका के माध्यम से 3 लाख 20 हजार स्वयं सहायता समूहों को बैंक के साथ क्रेडिट लिंक किया गया है एवं उन्हें 2116 करोड़ रूपये की राशि बैंक को उपलब्ध कराई गई है, अगले वित्तीय वर्ष में 2017-18 में 2 लाख 50 हजार स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा 2000 करोड़ रूपये से भी अधिक का वित्त पोषण उपलब्ध कराने का लक्ष्य हैं, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समूह के वित्त पोषण में सुधार करते हुये ऋण की राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रूपया करने की घोषणा की गई हैं । इस योजना के तहत अब तक 8 लाख 73 हजार परिवारों का आम आदमी बीमा योजना किया जा चुका हैं । महोदय, जीविका के तहत अब तक जीवकोपार्जन हेतु, जीवकोपार्जनहेतु 4 लाख 46 हजार परिवारों को कृषि योजनाओं से मुर्गी पाालन के 556, मदर यूनिट 1लाख 65 हजार परिवार को सम्बद्ध किया गया हैं । वित्तीय वर्ष 2016-17 में 27 हजार 162 युवाओं को रूरल सेल्फ इम्पलायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट ....(व्यवधान) अथवा ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान योजना के तहत प्रशिक्षण कराते हुये 9398 युवकों को रोजगार से जोड़ा गयाहै । महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 में (व्यवधान)

अध्यक्ष: मंत्री जी,मंत्री जी, श्रवण बाबू , ...

टर्न-26/16.3.2017/बिपिन

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मंत्री जी, एक मिनट सुन लीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, नेता विपक्ष क्या कहेंगे, सदन को मालूम है लेकिन अध्यक्ष महोदय, आसन का आदेश है तो इनकी बात को सुनना ही पड़ेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: जल्दी-जल्दी कह लीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, सरकार चालू वित्तीय वर्ष में महोदय, भारत सरकार ने महोदय, बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राशि दी है महोदय, एक भी गरीबों का आवास नहीं बना है, शौचालय के निर्माण में महोदय....

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जीविका की दीदियों के द्वारा मद्य निषेध जागरूकता अभियान राज्य के सभी 534 प्रखंडों में आयोजित की गई । 60 समुदाय स्वयंसेवियों को मद्य निषेध के क्षेत्र में जागरूकता...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गए)

जागरूकता में सहयोग करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है । राज्य में 12 जिले में नीरा उत्पादन हेतु नीरा प्रोजेक्ट क्रियान्वयन की जा रही है एवं इसके अन्तर्गत 8200 लाभार्थियों को चिन्हित् किया गया है । साथ ही, नीरा से गुड़ एवं अन्य उत्पादन हेतु 7000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । राज्य में मद्य निषेध में काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं । मद्य निषेध के फलस्वरूप सड़क दुर्घटना एवं अपराध में कमी आई है । साथ ही, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में काफी कमी आई है ।

अध्यक्ष महोदय, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जीविका के द्वारा अनेक प्रकार के रोजगार का सृजन किया जा रहा है । मधुमक्खीपालन, मुर्गीपालन, पशुपालन, विभिन्न कृषि उत्पादन, जैसे, मशरूम आदि एवं आधुनिक तकनीकी से खेती को बढ़ावा देकर अधिक उत्पादन करने, नीरा उत्पादन, केला निर्माण, गुल निर्माण, लहठी, चूड़ी, ठोंगा, रस्सी निर्माण, डालिया निर्माण, वस्त्र निर्माण, चटनी, आचार, चाली निर्माण, शेड निर्माण एवं जांता सत्तु निर्माण में हमारे जीविका की महिलाएं बढ़-चढ़ कर केवल हिस्सा नहीं ले रही है बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है । प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय के निरीक्षण का दायित्व भी जीविका समूह के दीदियों को दिया गया है । राज्य में अबतक 14,372 विद्यालय का निरीक्षण जीविका की दीदियों के द्वारा किया गया है । निरीक्षण के दौरान 1237 विद्यालय में 2703 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए । कुल 297 स्पष्टीकरण पूछे गए एवं 92 शिक्षकों का वेतन काटा गया एवं 11 मामले अन्य दंड देने की कार्रवाई की गई है महोदय । तो इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है महोदय । तब भी विपक्ष के नेता और विपक्ष के माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जीविका के समूह द्वारा उत्पादित सामग्रियों को सरस मेला, जिला विकास मेला, उद्योग मेला, दिल्ली एवं बिहार के बाहर कई अन्य राज्यों में बिक्री की जा रही है । इस कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, सदन में यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जीविका की दीदियां बिहार से बाहर राज्य के जीविका समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दे रही है । अब तक पूरे राज्यों तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड आदि में 1748 जीविका दीदियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है तथा उन्हें 23 करोड़ 94 लाख रूपया मानदेय के रूप में उन राज्यों से प्राप्त हुआ है महोदय । तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतना बड़ा काम हो रहा है, तब भी इनको सुनने का धैर्य नहीं है । महोदय, आपको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा राज्य के संसाधन से 300 प्रखंडों में गरीबी निवारण हेतु बिहार टांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जीविका-2 के द्वारा जीविका को प्रभावी ढंग से संचालन एवं क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है जो छः वर्षों की है

जिसे 10 अगस्त, 2016 से प्रारंभ किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय भार का 70 प्रतिशत् विश्व बैंक से प्राप्त ऋण तथा संपोषित किया जाना है और शेष 30 प्रतिशत् वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा । यह योजना इस बात का प्रमाण है कि महिला सशक्तिकरण एवं घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य सरकार खुद पूरी तरह से तत्पर है महोदय ।

इसी प्रकार, मनरेगा योजना के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं महोदय । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल मजदूर मजदूरी करने के प्रत्येक इच्छुक परिवार को साल में सौ दिन काम उपलब्ध कराया जाता है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में कुल जॉबकार्डधारियों की संख्या एक करोड़ सैतीस लाख नवासी हजार पांच सौ एक्कीस है जिसमें सक्रिय जौबकार्डधारियों की संख्या चालीस लाख छियालीस हजार सात सौ पैंतीस है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 10,140 परिवार को साल में सौ दिन रोजगार दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14 करोड़ 25 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया था । अब तक राज्य में 20 लाख 93 हजार परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 07 करोड़ 19 लाख मानव दिवस सृजन किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में अब तक मजदूरी मद में 14 अरब 01 करोड़ 01 लाख रूपए तथा सामग्री मद में अब तक 06 अरब 16 करोड़ 84 लाख रूपए का भुगतान किया गया है । मनरेगा योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक 20 अरब 17 करोड़ 85 लाख रूपए व्यय किए जा चुके हैं । मजदूरी मद में केन्द्र सरकार पर 294 करोड़ एवं सामग्री मद में 158 करोड़ रूपया बकाया है । साथ ही, भारत सरकार द्वारा विगत् दो माह से मनरेगा योजना मद की राशि विमुक्त नहीं करने के कारण मजदूरी के भुगतान में विलंब हो रहा है । भारत सरकार से राशि उपलब्ध कराने हेतु लगातार पत्राचार किया जा रहा है ताकि राशि उपलब्ध हो सके और मजदूरों को समय-सीमा के अंदर मजदूरी का भुगतान किया जा सके । मनरेगा योजना की गति तेज की जा सके । अध्यक्ष महोदय, मनरेगा योजना में काम करने वाले परिवारों के सदस्यों एवं सक्रिय जॉबकार्डधारी जो माध्यमिक उत्तीर्ण हैं, वैसे 660 लोगों को वेयरफुट तक्निशियन के रूप में प्रशिक्षित करने का फैसला लिया गया है । सभी नौ प्रमण्डलों में प्रशिक्षण का कार्य जारी है । प्रशिक्षण के बाद मनरेगा कार्यों की नापी के लिए उन्हें लगाया जाएगा ताकि मजदूरों की मजदूरी का समय पर भुगतान हो सके और कार्यो में तेजी आ सके ।

अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना से गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में अब तक कुल 45 लाख 40 हजार 200 वृक्षारोपण किया गया है जिसमें आधे वृक्ष फलदार लगाए गए हैं । सड़क किनारे 10,188

इकाई, नदी एवं नहर के किनारे तटबंधों पर 3,397 इकाई, निजी भूमि पर 9,116 इकाई पेड़ लगाए गए हैं । एक यूनिट पेड़ में 200 पेड़ लगाए जाते हैं और उसके देख-रेख के लिए दो वनपोषक बहाल किए जाते हैं । इन्हें सौ दिन की मजदूरी दी जाती है । इस योजना में माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ी दिलचस्पी लेकर इस योजना को सफल बनाने में आपका सहयोग अपेक्षित है । महोदय, मनरेगा योजना में शिकायतों की निष्पक्ष जांच हेतु स्वतंत्र प्राधिकार, 24 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। शेष 14 जिलों में लोकपाल चयन की प्रक्रिया चल रही है । राज्य में 48 क्वालिटी मोनिटर की नियुक्ति की गई है । राज्य में मनरेगा कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा शिकायतों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय शिकायत निवारण अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है । पूरे राज्य में मनरेगा में जांच में दोषी पाए गए मनरेगाकर्मी एवं जनप्रतिनिधि के विरूद्ध 6 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । 10 मनरेगाकर्मी का अनुबंध रद्द किया गया है । रूपए जुर्माना के रूप में वसूल किए गए हैं । मनरेगा योजना में मजदूरों की मजदूरी 10 लाख 26 हजार 440 रू0 का भुगतान नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है ताकि विचौलियों से मजदूरों को मुक्त रखा जा सके और कार्य में पारदर्शिता बनी रहे । इसके तहत मजदूरों के मजदूरी का भुगतान सेंट्रल नोडल एकाउन्ट से सीधे उनके खाते में किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में है । इसी प्रकार, आधार-सीडिंग के बारे में महोदय, राज्य में अब तक 8 करोड़ 47 लाख परिवार का आधार से जोड़ा गया है । मात्र 02 करोड़ 50 लाख परिवार को ही आधार से जोड़ना है । जीरो से पांच वर्ष के उम्र के 01 करोड़ 19 लाख बच्चे का आधार पंजीकरण बाकी है और 5 से 18 वर्ष के उम्र के 01 करोड़ 31 लाख बच्चे आधार से पंजीकरण बाकी है महोदय । कुल 81 प्रतिशत् से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और इस दिशा में एक हजार स्थायी पंजीकरण केन्द्र खोले जा रहे हैं ...क्रमशः

टर्न : 27/कृष्ण/16.03.2017

श्री श्रवण कुमार,मंत्री (क्रमशः) यही स्थायी केन्द्र 3 वर्षो के लिये खोले जायेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसको बढ़ाये भी जा सकते हैं । प्रधान मंत्री आवास योजना, आधारभूत संरचना के संबंध में कुल 178 प्रखंड भवनों और उसके आवास का निर्माण कराया जा रहा है और सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जो प्रखंड भवन क्षतिग्रस्त हैं, जहां प्रखंड भवन नहीं हैं, जहां जमीन नही हैं, उसके बारे में अद्यतन स्थिति से अवगत करायें । इसी प्रकार से सांसद आदर्श गांव श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना एवं इसी प्रकार से अन्य योजनाओं के बारे में हमने बताने की कोशिश

की है । महोदय, माननीय श्री नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की सोच है कि राज्य के गांवों को इतना समृद्धशाली और सभी सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया जाय कि गांवों के लोगों को शहर आने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस सोच के साथ ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र के विकास की दिशा में प्रयत्नशील है और आनेवाले वर्ष 2020 तक गांवों को इतना सांधन सम्पन्न बना दिया जायेगा कि गांवों के लोगों को शहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा । महोदय, यही कहते हुये मैं माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें तथा सदन से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में प्रस्तुत अनुदान मांग पर अपनी अनुमति प्रदान करें ।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरे वक्तव्य के इस लिखित अंश को प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री द्वारा जो भी लिखित वक्तव्य दिया जा रहा है, वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च,2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 97,17,48,45,000/-(संतानवे अरब सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

आज दिनांक 16 मार्च, 2017 के लिये स्वीकृत कुल निवेदनों की संख्या 20 (बीस) है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिये जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 17.03.2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

.....

परिशिष्ट

अध्यक्ष महोदय,

आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ग्रामीण विकास विभाग पर सदन में चर्चा की गयी जिसमें विपक्ष एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग सार्थक सुझावों को योजना बनाते समय अवश्य ही ध्यान में रखेगा।

महोदय,

हमें लगा कि विपक्ष के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के मॉग पर सार्थक चर्चा कर गॉव के तरक्की, गॉव के विकास, गॉव की उन्नति की बात किया जायेगा, परन्तु उनलोगों के द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए कोई सुझाव नहीं दिया, गॉव के विकास के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया। शोषित, पीड़ितों के लिए कोई सुझाव नहीं दिया। सात निश्चय का नाम लेते ही जैसे लाल कपड़ा देखकर सांढ़ भड़कता है, वैसे ही भाजपा के नेता भड़क जाते हैं, भड़कने से काम नहीं चलेगा। शालीन्ता पूर्वक सोचिए और 11 करोड़ लोगों में से जो 88% लोग गॉव में रहते हैं, उनके बारे में सोचिए, उनकों कैसे उपर उठाया जा सकता है।

जब श्री नीतीश कुमार जी उनके बारे में सोचते हैं तो विपक्ष के नेता कहते हैं सात निश्चय धोखा है। आप सात निश्चय से भड़कते हैं क्योंकि हर गरीब के खाते में आपकी सरकार 15 से 20 लाख रूपया पहुॅचा दिया उसी पैसे से लोगों का विकास में तेजी आयेगी। किसानों के फसल के लागत मूल्य में 50% समर्थन मूल्य जोड़ कर सभी किसानों दे दिया। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल सरकारी सेवा में भर्त्ती चल रही है, आपका भड़कना वाजिव है।

जब 5 साल में शहर से भी अच्छा गॉव दिखने लगेगें, तब बिहार की जनता आपको पुछेगी कि क्यों भड़कते थे ? सच तो सच है जुमलावाजी नहीं है।

(1)

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

माननीय अध्यक्ष महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सभी बी०पी०एल० एवं कुछ चिन्हित ए०पी०एल० परिवारों को शौचालय निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया लेकिन भारत सरकार के लक्ष्य से बिहार को बाहरी शौच से मुक्त नहीं किया जा सकता है । राज्य में ऐसे बड़ी तादाद में गरीब हैं जिनका नाम गरीबी रेखा की सूची में शामिल नहीं है, ए0पी0एल0 परिवार में है । जबतक ए0पी0एल0 परिवार के घरों में भी शौचालय निर्माण नहीं होगा तबतक बिहार को बाहरी शौच से मुक्त नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चलाकर बिहार को बाहरी शौच से 2019 तक मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

लोहिया स्वच्छ अभियान के जरिए राज्य के शेष ए0पी0एल0 परिवारों को भी 12 हजार रूपये राज्य के खजाने से देकर शौचालय निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में 2 करोड़ 13 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं जिसमें 1 करोड़ 60 लाख परिवार के घरों में शौचालय नहीं है, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है, और सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया और युद्ध स्तर पर कार्य आरंभ किया गया है । ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य,

प्रगतिशील लोगों का व्यापक सर्मथन इस योजना में मिल रहा है और लक्ष्य के प्राप्ति में लगातार प्रगति हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय,

सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जुलाई, 2016 से अबतक 1 अनुमंडल, 13 प्रखंड, 526 ग्राम पंचायत एवं तीन हजार से ज्यादा गाँव को अबतक बाहरी शौच से मुक्त किया जा चुका है ।

मैने तो सभी माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य, माननीय सांसद, जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, मुखिया को व्यक्तिगत पत्र भेज कर लोहिया स्वच्छता अभियान को गति देने हेतु सहयोग की अपेक्षा किया है । जन प्रतिनिधियों का जबतक व्यापक जन सहयोग नहीं मिलेगा तबतक यह बड़ा अभियान सफल नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय,

हमने तो व्यवहार में परिवर्तन, आदत में बदलाव करने के अभियान में जीविका के दीदियों को भी बड़े पैमाने पर लगाया है और वे लोग प्रचार–प्रसार का कार्य चला रहे हैं ।

गंगा कार्य योजना (नमामि गंगे)

राज्य के गंगा किनारे अवस्थित 12 जिलों में बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, पटना समस्तीपुर सारण एवं वैशाली के 61 प्रखंडों के 307 ग्राम पंचायत के 473 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें से अबतक 170 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है एवं शीघ्र हीं सभी गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की दिशा में तेजी से अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है ।

(2)

जीविका

अध्यक्ष महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी योजना जीविका है । जीविका का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उसे गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद करना है । जीविका के तहत अब तक 5,80,000 (पांच लाख, अस्सी हजार) स्वयं सहायता समूह एवं 32,431 (बतीस हजार चार सौ एक्तीस) ग्राम संगठन एवं 368 (तीन सौ अड़सठ) संकुल स्तरीय संघों का गठन किया जा चुका है जिससे लगभग 71 लाख से अधिक परिवार सम्वद्ध हैं । वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक लगभग 5,80,000 (पांच लाख अस्सी हजार) स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है । आने वाले वर्ष 2018–19 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य है एवं लगभग 1.50 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख) परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने एवं आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। जीविका माध्यम के तहत गठित 3,20,000 (तीन लाख बीस हजार) स्वयं सहायता समूहों को बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज किया गया है एवं उन्हें 2,113 (दो हजार एक सौ तेरह) करोड़ रूपये की राशि बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अगले वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) स्वयं सहायता समूहों को बैंको द्वारा 2,000 (दो हजार) करोड़ रूपये से भी अधिक का वित्त पोषण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है । राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति ने समूहों के वित्त पोषण में सुधार करते हुये ऋण की राशि 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) रूपये करने की घोषणा की है । इस योजना के तहत अब तक 8,73,000 (आठ

लाख तिहत्तर हजार) परिवारों का आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमा किया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय

जीविका के तहत अब तक जीविकोपार्जन हेतु 4,46,000 (चार लाख छियालीस हजार) परिवारों को कृषि योजनाओं से एवं मुर्गी पालन के 556 मदर यूनिट से 1,65,000 (एक लाख पैसठ हजार) परिवारों को सम्बद्ध किया गया है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में 27,164 (सताईस हजार एक सौ चौसठ) युवाओं को R-SETI (रूरल सेल्फ इम्पलाईमेंट ट्रेनिंग इन्टीच्यूट अथवा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) योजना के तहत प्रशिक्षित कराते हुये 9,398 (नौ हजार तीन सौ अन्ठानवे) युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया । वित्तीय वर्ष 2017–18 में R-SETI द्वारा 28,750 (अठाईस हजार सात सौ पचास) युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में अबतक कुल 33 नियोजन मेलों में 9,881 (नौ हजार आठ सौ इकासी) युवाओं को नियोजित कराया गया है । चालू वित्तीय वर्ष में अबतक इस परियोजना के तहत 686 (छः सौ छियासी) करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है ।

अध्यक्ष महोदय

जीविका दीदियों के द्वारा मद्य निषेध जागरूकता अभियान राज्य के सभी 534 प्रखंडों में आयोजित की गई । 60 सामुदायिक स्वयं सेवियों को संकुल संघो को मद्य निषेध के क्षेत्र में जागरूकता में सहयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया गया । राज्य के 12 जिलों में नीरा उत्पादन हेतु "नीरा प्रोजेक्ट" क्रियान्वित की जा रही है एवं इसके अन्तर्गत अबतक 8,200 (आठ हजार दो सौ) लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है । साथ ही नीरा से गुड़ एवं अन्य उत्पाद बनाने हेतु 7000 (सात हजार) प्रशिक्षकों

को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । राज्य में मद्य निषेध के काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं । मद्य निषेध के फलस्वरूप सड़क दुर्घटना एवं अपराध में कमी आई है साथ ही महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में काफी कमी आई है ।

अध्यक्ष महोदय

सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जीविका के द्वारा अनेक प्रकार के रोजगार का सृजन किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, विभिन्न कृषि उत्पाद जैसे– मशरूम आदि एवं आधुनिक तकनीक से खेती को बढ़ावा देकर अधिक उत्पादन करने, नीरा उत्पादन, पेड़ा निर्माण, गुड़ निर्माण, लहठी, चुड़ी, ठोंघा, रस्सी निर्माण, डलिया निर्माण, वस्त्र निर्माण, चटनी, अचार, चाली निर्माण, शेड निर्माण एवं जाता– सत्तू के निर्माण में हमारी जीविका की महिलाएँ बढ़–चढ़ कर केवल हिस्सा हीं नहीं ले रही है बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है ।

प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के निरीक्षण का दायित्व भी जीविका समूह के दीदियों को दिया गया है । राज्य में अबतक 14,372 (चौदह हजार तीन सौ बहत्तर) विद्यालयों का निरीक्षण जीविका दीदियों द्वारा किया गया है । निरीक्षण के दौरान 1,247 (एक हजार दो सौ सैतालीस) विद्यालयों में 2,703 (दो हजार सात सौ तीन) शिक्षक अनुपस्थित पाये गये । कुल 297 (दो सौ सनतानवे) स्पष्टीकरण पूछे गये एवं 92 शिक्षकों का वेतन काटा गया एवं 11 मामले में अन्य दंड देने की कार्रवाई की गई है ।

अध्यक्ष महोदय

जीविका समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों को सरस मेला, जिला विकास मेला, उद्योग मेला, दिल्ली एवं बिहार से बाहर कई अन्य राज्यों में बिक्री की जा रही है । इस कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय

सदन में यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि जीविका की दीदियाँ बिहार से बाहर अन्य राज्यों के जीविका समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दे रही है । अबतक दूसरे राज्यों यथा– राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड आदि में 1,748 (एक हजार सात सौ अड़तालीस) जीविका दीदियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है तथा उन्हें 23 करोड़ 94 लाख रूपये मानदेय के रूप में प्राप्त हुये हैं ।

बिहार ट्रासफोरमेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट – जीविका–II

अध्यक्ष महोदय

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य के 300 प्रखंडों में गरीबी निवारण हेतु बिहार ट्रासफोरमेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट– (Bihar Transformative Development Project (BTDP))-जीविका–II के द्वारा जीविका को प्रभावकारी ढंग से संचालन एवं क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है, जो छः वर्षों की है, जिसे 10 अगस्त, 2016 से प्रारंभ किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय भार का 70 प्रतिशत विश्व बैंक से प्राप्त ऋण द्वारा संपोषित किया जाना है एवं शेष 30 प्रतिशत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।यह योजना इस बात का प्रमाण है कि महिला सशक्तिकरण एवं घरेलू महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु राज्य सरकार बढ़–चढ़ कर सहयोग कर रही है ।

③

मनरेगा

अध्यक्ष महोदय,

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल मजदूरी करने के प्रत्येक इच्छुक परिवार को साल में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय

राज्य में कुल जॉबकार्ड धारियों की संख्या 01 करोड़ 37 लाख 89 हजार 521 है जिसमें सक्रिय जॉबकार्डधारियों की संख्या 40 लाख 46 हजार 735 है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में अबतक 10 हजार 140 परिवारों को साल में 100 दिन रोजगार दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में चौदह करोड़ पच्चीस लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

अबतक राज्य में 20 लाख 93 हजार परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 7 करोड़ 19 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय

राज्य में अब तक मजदूरी मद में 14 अरब 01 करोड़ 01 लाख रूपये तथा सामग्री मद में अबतक 6 अरब 16 करोड़ 84 लाख रूपये भुगतान किया गया हैं । मनरेगा योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में अबतक 20 अरब 17 करोड़ 85 लाख रूपये व्यय किया जा चुका है । मजदूरी मद में केन्द्र सरकार पर 294 (दो सौ चौरानवे) करोड़ एवं सामग्री मद में 158 (एक सौ अनठावन) करोड़ रूपये बकाया है । साथ हीं भारत सरकार द्वारा विगत दो माह से मनरेगा योजना मद की राशि विमुक्त नहीं करने के कारण मजदूरी का भुगतान लंबित है । भारत सरकार से राशि

उपलब्ध कराने हेतु लगातार पत्राचार किया जा रहा है ताकि राशि उपलब्ध हो सके एवं मजदूरों को समय सीमा के अंदर मजदूरी का भुगतान किया जा सके तथा मनरेगा योजनाओं की गति तेज की जा सके ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मनरेगा योजना में कार्य करने वाले परिवार के सदस्यों एवं सक्रिय जॉब कार्डधारी जो माध्यमिक उर्तीण हैं, ऐसे 660 (छः सौ साठ) लोगों को बेयर फुट तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करने का फैसला लिया गया है । सभी 9 प्रमंडलों में प्रशिक्षण का कार्य जारी है । प्रशिक्षण के बाद मनरेगा के कार्यों में मापी के लिए लगाया जायेगा ताकि मनरेगा के कार्यों में तेजी लायी जा सके और समय पर मजदूरों को भुगतान करने में सहायता मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय

बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना से गाँव–गाँव, पंचायत–पंचायत में वृक्षा रोपन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में अबतक कुल 45 लाख 40 हजार 200 वृक्षारोपन किया गया है जिसमें आधे पेड़ फलदार लगाये गये है । सड़क किनारे 10 हजार 188 इकाई, नदी एवं नहर किनारे तटबंधों पर 3 हजार 397 ईकाई एवं निजी भूमि पर 9 हजार 116 ईकाई पेड़ लगाये गये । एक यूनिट पेड़ में 200 पेड़ लगाये जाते हैं और इसके देख–रेख के लिए दो वन पोषकों की बहाली की जाती है जिन्हें 100–100 दिन की मजदूरी दी जाती है ।

इस योजना में माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि थोड़ी दिलचस्पी लेकर इस योजना को सफल बनायें ताकि राज्य को प्रदूषण से मुक्त बनाया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय,

मनरेगा योजना में शिकायतों के निष्पक्ष जांच हेतु स्वतंत्र प्राधिकार 24 लोकपाल की नियुक्ति की गयी है। शेष 14 जिलों हेतु लोकपाल चयन की प्रक्रिया चल रही है । राज्य में 48 स्टेट क्वालटी मॉनिटर (SQM) की नियुक्ति की गई है । राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा शिकायतों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण समिति गठित की गई है ।

अबतक पूरे राज्य में मनरेगा योजना में जांच में दोषी पाये गये मनरेगा कर्मियों एवं जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध 6 (छः) प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है तथा 10 मनरेगा कर्मी का अनुबंध रद्द किया गया है तथा 10 लाख 26 हजार 446 रूपये वसूल किये जा चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय,

मनरेगा योजना में मजदूरों के मजदूरी का भुगतान नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (N-EFMS) द्वारा किया जाता है, ताकि बिचौलियों से मजदूरों को मुक्त रखा जा सके और कार्य में पारदर्शिता बना रहे । इसके तहत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सेन्ट्रल नोडल एकाउंट से सीधे उनके खाते में किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय

राज्य के दक्षिण बिहार के जिलों में जल संचय योजना, पईन, आहर, पोखर, तालाब के योजना के कार्यान्वयन से सिचाई क्षमता में व्यापक वृद्धि की संभावना है । नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, जमुई, बांका, भागलपुर इत्यादि जिलों में यह कार्य बहुत तेजी से चलाया जा रहा है । राज्य एवं जल संरक्षण की 12,567 (बारह हजार पांच सौ सड़सठ) योजनाएँ ली गई जिसमें से 1,768 (एक हजार सात सौ अड़सठ) योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है एवं शेष में कार्य जारी है । सिंचाई की कुल 28,348 (अठाईस हजार तीन सौ अड़तालीस) योजनाएँ ली गई जिसमें से 3,594 (तीन हजार पांच सौ चौरानवे) योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है एवं शेष में कार्य चल रहा है । इसी प्रकार वाटर शेड मैनेजमेंट की कुल 5,644 (पांच हजार छः सौ चौवालीस) योजनाएँ ली गई जिसमें से 659 (छः सौ उन्सठ) योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है एवं शेष में कार्य जारी है । इस योजना के कार्यान्वयन से भारत सरकार काफी प्रभावित है और सूखाग्रस्त राज्यों में उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है ।

④

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

अध्यक्ष महोदय,

ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना के व्यय भार का वहन 60 प्रतिशत केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार को करना पड़ता है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस राज्य को 4,76,715 (चार लाख छिहत्तर हजार सात सौ पन्द्रह) आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर 1 लाख 60 हजार 943 आवास का लक्ष्य बढ़ाया गया । अब बिहार में 6 लाख 37 हजार 658 गृह विहीन परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिलेगा ।

ग्रामीण आवास लाभार्थियों का चयन 2011 के सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर तैयार सूची से की जानी है ।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य के 27 सामान्य जिलों में आवास के लिए 01 लाख 20 हजार एवं उग्रवाद प्रभावित 11 आई०ए०पी० (एकीकृत कार्य योजना) जिलों में आवास के लिए 01 लाख 30 हजार रूपये का भुगतान किया जाता है। लाभुक अगर मनरेगा के जॉब कार्डधारी है तो उन्हें सामान्य जिलों में 90 दिन एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों में 95 दिन की मजदूरी मनरेगा योजना से देने का प्रावधान भी है । लाभुक अगर अच्छा घर बनाने को उत्सुक हैं तो उन्हें 70 हजार रूपये बैंक से भी ऋण के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है । साथ हीं शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रूपये अलग से दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय,

आवास लाभुकों को बिचौलियों से बचाने एवं योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हेतु लाभूकों को सहायता राशि सीधे उनके खाते में EFMS (इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) द्वारा को किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय,

इस योजना का शुभारंभ करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है । माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को उत्तर प्रदेश के आगरा से 20 नबम्बर, 2016 को लांच किया गया । सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में त्रुटि के कारण कुछ परेशानी हुई है, उसे ठीक करने में समय लगा है । इसके बाबजूद भी हम तेजी के साथ लाभुकों प्रथम किस्त की राशि मुहैया कराने में लगे हैं ।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ग्रामीण विकास विभाग, जनवरी, 2016 से अबतक लगभग 14 लाख अपूर्ण इंदिरा आवासों को पूर्ण कराया गया जो पूरे देश में सर्वाधिक है ।

सबसे अधिक इंदिरा आवास पूर्ण कराने में बिहार का देश में पहला स्थान है, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने वीडियो कॉनफ्रेसिंग के जरिये ग्रामीण विकास की प्रशंसा भी की है ।

(5)

आधार

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में अबतक 8 करोड़ 47 लाख परिवारों को आधार से जोड़ा गया है । मात्र 2 करोड़ 50 लाख परिवारों को ही आधार से जोड़ना शेष रह गया है ।

0 से 5 वर्ष के उम्र के 1 करोड़ 19 लाख बच्चों का आधार पंजीकरण बाकी है तथा 5 से 18 वर्ष के उम्र के 1 करोड़ 31 लाख बच्चों का आधार पंजीकरण बाकी है ।

राज्य में कुल 81 प्रतिशत से भी ज्यादा आधार पंजीयन किया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, सभी नगर पंचायतों, सभी नगर परिषदों में 1000 (एक हजार) स्थायी पंजीकरण केन्द्र खोला जा रहा है यह स्थायी केन्द्र तीन वर्षों के लिए होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर दो साल की अवधि के लिये बढ़ाया भी जा सकता है । इन केन्द्रों पर 53 करोड़ रूपये व्यय होने की संभावना है ।

जिन जिलों में आधार कार्ड निर्माण की गति धीमी है वहां ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रचार वाहन से लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है ।

ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को आधार से जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

(6)

आधार भूत संरचना

[redacted]

राज्य में प्रखंड एवं अंचल कार्यालय तथा आवासीय भवनों की हालत जर्जर है । कुल 77 प्रखंड–सह– अंचल कार्यालय–सह– आवासीय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, साथ हीं 101 जीर्ण–शीर्ण प्रखंड एवं अंचल कार्यालय भवन –सह– आवासीय भवन वाले स्थलों पर सूचना प्रोद्योगिकी भवन के निर्माण की स्वीकृति मंत्री परिषद से दी जा चुकी है ।

इसमें 19 प्रखंड –सह– अचंल–सह– आवासीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष में कार्य प्रगति पर है । कुछ भवनों के निर्माण हेतु प्रक्रिया चल रही है । राज्य में विकास की रफ्तार को ग्रामीण विकास विभाग काफी तेजी से चलाने का काम कर रही है ।

[redacted]

राज्य में 1000 (एक हजार) आंगनबाड़ी भवन का निर्माण भी मनरेगा योजना से कराने का कार्य चल रहा है ।

राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे अपने–अपने जिला में अवस्थित सभी प्रखंड –सह– अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन की अद्यतन स्थिति से विभाग को शीघ्र अवगत करावे ताकि भवन निर्माण या मरम्मति का निर्णय लेकर उस पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके । साथ हीं सभी जिला पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि जिन प्रखंडों में प्रखंड –सह– अंचल कार्यालय –सह– आवासीय भवन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है वहां शीघ्र जमीन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय, ताकि भवनहीन प्रखंड –सह– अंचल कार्यालय में भवन निर्माण की दिशा में निर्णय लिया जा सके।

[redacted]

पूरे राज्य में अबतक 37 प्रखंड मनरेगा भवन (भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 276 (दो सौ छिहत्तर) प्रखंड मनरेगा भवन निर्माणाधीन है । साथ हीं पूरे राज्य में अबतक 504 (पांच सौ चार) पंचायत मनरेगा भवन का निर्माण किया जा चुका है एवं 2661 (दो हजार छः सौ एकसठ) पंचायत मनरेगा भवन निर्माणाधीन है ।

(7)

सांसद आदर्श ग्राम योजना

अध्यक्ष महोदय

इस योजना का आरंभ केन्द्र सरकार द्वारा 11 अक्टूबर, 2014 को किया गया है। बिहार में इसमें कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है । इस योजना का उद्देश्य माननीय सांसदों (लोक सभा एवं राज्य सभा) द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को गति प्रदान करना है। इस योजनान्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के अभिसरण से चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है । इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक तीन आदर्श ग्राम बनाये जाने का लक्ष्य है । तत्पश्चात् 2019–2024 तक पुनः 5 गांवों के समग्र विकास की योजना तैयार की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय

इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के लोक सभा के सभी 40 माननीय सांसदों द्वारा एवं राज्य सभा के सभी 16 माननीय सांसदों में से 13 माननीय सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें बेस लाईन सर्वेक्षण कराकर ग्राम विकास योजना (भी०डी०पी०) तैयार की गई है तथा ग्राम विकास योजना में चयनित योजनाओं को विभागवार वर्गीकृत करते हुए उनके क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया जा चुका है । इस योजना के द्वितीय चरण में 6 माननीय लोक सभा सांसदों एवं 1 माननीय राज्य सभा सांसद द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ।

सबसे बड़ी बात एवं कठिनाई यह है कि इस कार्य क लिए केन्द्र सरकार ने अलग से कोई राशि प्रावधानित नहीं किया है । राज्य सरकार को विभिन्न केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं को समेकित कर उक्त चयनित ग्रामों को विकसित करना है, जिसमें व्यवहारिक कठिनाई तो होगी परंतु सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है ।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

अध्यक्ष महोदय,

वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत राज्य एवं संघ के वैसे 300 रूर्बन क्लस्टर को चिन्हित किया जाना है, जहां विकास की काफी संभावनाएँ हैं । रूर्बन क्लस्टर तैयार करते हुए उसे वास्तविक रूप से सुदृढ़ करने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं एवं नागरिक सुविधाओं का विकास, बेरोजगारी उन्मूलन तथा निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना है । रूर्बन मिशन के तहत एन०आई०टी० पटना एवं बी०आई०टी० मेसरा, पटना को स्टेट टेक्नीकल सपोर्ट एजेंसी बनाया गया है । इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की गयी है ।

अध्यक्ष महोदय

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित किये गये 20 उप जिलों (प्रखंडों) में से राज्य सरकार द्वारा संपतचक (पटना), मानपुर (गया), कोचस (रोहतास), सोनवर्षा (सहरसा), बेतिया (प0चम्पारण), शिवाजीनगर (समस्तीपुर) एवं श्रीनगर (पूर्णियाँ उप जिलों (प्रखंडों) का चयन किया गया है । राज्य सरकार द्वारा चयनित उप जिलों के अंतर्गत चार रूर्बन क्लस्टर यथा–बैरिया (संपतचक), नौरंगा (मानपुर), कुचिला (कोचस) एवं सोनवर्षा (सोनवर्षा) का अनुमोदन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रूर्बन मिशन के प्रथम चरण हेतु किया गया है । इन चारों क्लस्टरों की समेकित क्लस्टर कार्य योजना (ICAP) तैयार की जा चुकी है, जिसका अनुमोदन भारत सरकार की प्राधिकृत समिति द्वारा किया गया है । इस मिशन के द्वितीय चरण अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीन क्लस्टर का आवंटन किया गया है, जिसमें से दो

क्लस्टर यथा बरबत पारसेन (बेतिया) एवं करियन (शिवाजीनगर) का चयन हो गया है तथा श्रीनगर (पूर्णियाँ) अंतर्गत क्लस्टर का चयन प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष महोदय

रूर्बन क्लस्टर में समता और समावेश पर जोर देते हुए ग्रामीण जन–जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए उसका सर्वांगीण विकास किया जाना है । इसके लिए केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं से कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं का निर्धारण कर समयबद्ध एवं समेकित ढंग से उनके क्रियान्वयन का समन्वयन किया जाएगा । विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र/कार्य जो इनसे आच्छादित नहीं होगे अथवा जिनके कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता के अनुसार राशि की उपलब्धता में कठिनाई हो, वहाँ राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (N.R.M.) द्वारा पूरक वित्त पोषण मुहैया कराये जाने का प्रावधान है । इसके लिए उच्चतम सीमा कार्य योजना में चयनित परियोजनाओं की कुल लागत राशि का 30 प्रतिशत अथवा 30 करोड़ रूपये की राशि जो भी कम हो, की व्यवस्था होगी ।

अध्यक्ष महोदय

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच है कि राज्य के गाँवों को इतना समृद्धशाली एवं सभी सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया जाय कि गाँव के लोगों को शहर आने की आवश्यकता नहीं पड़े । इस सोच के साथ ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की दिशा में प्रयत्नशील है । आने वाले वर्ष 2020 तक गाँव को इतना साधन–सम्पन्न बना दिया जायेगा कि गाँव के लोगों को शहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

(10)

मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग

अब मैं माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले तथा सदन से अनुरोध करता हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में प्रस्तुत अनुदान की माँगों पर अपनी अनुमति प्रदान करें।